हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

29 मार्च, 1985

खण्ड 1, अंक 16

अधिकृत विवरण

विशय सूची

शुक्रवार, 29 मार्च, 1985

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(16)1
नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे	(16)19

गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	
सचिव द्वारा घोशणा –	
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिल सम्बन्धी	(16)25
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(16)25
वैयक्तिक स्पश्टीकरण–	
श्री लछमन सिंह द्वारा	(16)31
विभिन्न विशयों को उठाया जाना (पुनरारम्भ)	(16)31
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव	
गेहूं अधिप्राप्ति मूल्य तथा सरकार द्वारा किसानों को बोनस देने सम्बन्धी	(16)39
वक्तव्य –	
(i) मुख्यमंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(16)40
(ii) लोक स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पेय जल की कमी सम्बन्धी	(16)44
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(16)51

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(16)53
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	(16)54
समितियों की रिपोर्टस पेश करना–	
(i) पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 22वीं रिपोर्ट	(16)55
(ii) ऐस्टीमेटस कमेटी की 17वीं रिपोर्ट	(16)55
(iii) कमेटी और पब्लिक अन्डरटेकिग्ज की 17वीं, 18वीं और 19वीं रिपोर्टस	(16)55
(iv) कमेटी औन वैल्फेयर औफ शैडयूल्ड कास्टस एंड शैडयूल्ट ट्राइब्ज की 10वीं रिपोर्ट	(16)55
(v) कमेटी औन सबार्डिनेट लैजिसलेशन की 16वीं रिपोर्ट	(16)55
(vi) कमेटी औन गवर्नमैंट अश्योरैंसिज की 16वीं रिपोर्ट	(16)55
बिल्ज –	
(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 1985	(16)57
वाक आउट	(16)84

बिल्ज (पुनरारम्भ) –	
(ii) दि पंजाब लैड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1985	(16)84
(iii) दि पेमैंट आफ वेजिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1985	(16)86
(iv) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1985	(16)90
(v) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1985	(16)105
(vi) दि पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1985	(16)108
(vii) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन्शन औफ मैम्बर्ज) अमैडमैंट बिल, 1985	(16)121
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव	(16)131
अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद	(16)137

हरियाणा विधान कार्यवाही

शुक्रवार, 29 मार्च, 1985

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Relatives of Haryana State Electricity Board Employees working in industries/companies having business dealing with the Board

***826. Ch. Balvir Singh Grewal**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether any complaint/information has been received during the period 1982-83 to 1984-85 that family members/near relatives of some of the employees of the Haryana State Electricity board are working in such industries/companies as have business/dealing with the said Board; and

(b) if so, the names of the industries/companies where such employees are working?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) and (b): Time and labour involved in the collection of complete information will not be commensurate with the benefits to be derived.

However, there are 7 such cases which are in the record of the Board. The particular of these 7 cases are as under:-

Sr. No.	Name of the Officer/official	Name of the relative & the company in which employed
1	Sh. O.P. Puri, C.E.	Sh. Ajay Puri, employed in Voltas Ltd.
2	Sh. R.B. Saxena, S.E.	Son, Sh. S.K. Saxena, employed in Electronics Systems Punjab Ltd., Mohali.
3	Sh. O.P. Gupta. S.E.	Son, Sh. Sanjeev Gupta, working as Trainee Computer Programme for one year with M/S Escorts Ltd., Faridabad.
4	Sh. M.L. Sharma, S.E.	Three sons employed in 3 private firms at Faridabad which have no dealings with the Board except that the firms are Board's consumers.
5	Sh. I.N. Thukral, S.E.	Son, working as Trainee in

		Haryana Concast, Hissar having official dealings with the Board.
6	Sh. Babu Ram Gupta. Supdt. General	Son. Sh. Arum Kumar is doing liaison work of M/S Jaihind investment, Faridabad, M/S Rahul Casting Raipur, M/S Sarswati Cable Himachal, M/S Electric Co., Bangalore, which have dealing with the Board.
7	Sh. R.L. Gagneja, Financial Advisor (Material Management)	Son, Sh. R.K. Gugneja is employed with M/S Nicholas Laboratory of India Ltd. as a medical representaive. His headquater is at Chandigarh.

चौ. बलबीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, अभी मंत्री महोदय ने लिखित जवाब के अलावा जो इन्फर्मेशन हाउस में दी है वह हमें नहीं दी गई। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सैकड़ों और हजारों की तादाद में कर्मचारियों के या आफिसर्ज के लड़के या रिश्तेदार इण्डस्ट्रीज में लगे हुए हैं। इन कर्मचारियों के उन इण्डस्ट्रीज में इन लीन होने की वजह से लाखों यूनिट बिजली की चोरी होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बोर्ड के कर्मचारियों या इन अधिकारियों के इन लीग होने की वजह से जहां बिजली को चोरी हुई हो ऐसा कोई सीरियस केस इनके नोटिस में अया है?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, कम्पलीट इन्फर्मेशन तो इसलिये नहीं दी जा सकी क्योंकि बोर्ड में इस वक्त अन्दाजन 40 हजार कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की इन्फर्मेशन जो कन्ट्रोलिंग आफिसर होता है उसके पास हो सकती है। किन्हीं कर्मचारियों का कन्ट्रोलिंग आफिसर ऐस.ई., किन्हीं का ऐक्सीयन है और किन्ही कर्मचारियों का कन्ट्रोलिंग आफिसर एस. डी.ओं. वगैरा हैं। इन सारे आफिसिज से इन्फर्मेशन इकट्ठी करना इस समय सम्भव नहीं था। यदि माननीय सदस्य यह इन्फर्मेशन मांगने के लिए कहेंगे तो बाद में डाक द्वारा यह सूचना इनके घर पर भिजवा देंगे। जो बोर्ड लैवल पर इन्फर्मेशन थी वह मैंने आपको बता दी है। स्पीकर साहब दूसरे जिस समय इस सवाल का जवाब तैयार किया गया उस वक्त इन्सीडेन्टली मैं यहां पर नहीं था। जब बाद में आकर मैंने इस सवाल को देखा तो मैंने यह कहा कि बोर्ड के पास जो इन्फर्मेशन हैड क्वार्टर पर अवेलेबल है वह तो दे ही देते हैं। इसलिए जो इन्फर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी वह बता दी। दूसरी बात मि. ग्रेवाल साहब ने यह कही कि इन कर्मचारियों के रिश्तेदार या लड़के शामिल होने से लाखों यूनिट बिजली चोरी होती है। यदि ये कोई स्पैसिफिक केस नोटिस में लाएंगे, तो उसके खिलाफ सरकार जरूर कार्यवाही करेगी।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मंत्री जी बताएंगे कि बिजनैस मैन की तरफ जो 64–64 लाख या 77–77 लाख रूप्या इकट्ठा हो जाता है वह इसलिए तो नहीं हो जाता कि फैक्टरियों में बोर्ड के

कर्मचारियों के लड़के लगे हुए हैं? क्या ऐसा रूपया इन इण्डस्ट्रीज की तरफ इकट्ठा होने में ये कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, जिन प्राइवेट लोगों की तरफ एरियर्ज बकाया हैं, उनके बारे में बड़ी तफसील से जवाब हाउस में पहले दे दिया गया था। ऐसा सवाल हाउस में पहले आ चुका है कि किन किन लोगों के पास एरियर्ज बकाया हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि ज्यादातर बकाया पैसा तो गवर्नमैंट की जो पब्लिक अन्डर टेकिंग्ज जैसे एम.आई.टी.सी. या कानकास्ट आदि हैं उनकी तरफ है। प्राइवेट लोगों की तरफ पैसा सिर्फ उन्हीं के पास बकाया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से या दूसरी कोर्ट से स्टे लिया हुआ है या जिनके केस आर्बिट्रेटर्ज के पास पैंडिंग पड़े हैं। जो बकाया पैसा जिनकी तरफ है उनका इन कर्मचारियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। स्पीकर साहब, फिर भी इस सवाल के आने के बाद सरकार ने दो तीन फैसले लिये हैं जिनको लागू करने के लिये बिजली बोर्ड को आदेश दिए गए हैं। एक तो यह फैसला लिया गया है कि जिस किसी फैक्टरी में किसी कर्मचारी का लड़का या रिश्तेदार लगा हुआ है उसकी पोस्टिंग वहां पर न की जाये। दूसरा यह फैसला लिया गया है कि जिन इंडस्ट्रीज में बोर्ड के कर्मचारी या अधिकारी लगे हुए हैं, उनके केसिज को ये डील न करें। तीसरा फैसला यह लिया गया है कि जिन कर्मचारियों ने किसी फैक्टरी में लगे अपने बच्चों के बारे में

या रिश्तेदारों के लगे होने के बारे में बोर्ड को इफर्मेश नहीं दी हुई है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाये।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कि वोलआज कम्पनी में जो एयर कन्डीशनर्ज लिए गए हैं क्या उनकी लाईफ इसलिये तो कम नहीं है क्योंकि उस फैक्टरी में एक चीफ इन्जीनियर का लड़का लगा हुआ है?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मुझे इस बारे में कोई टैक्नीकल जानकारी तो है नहीं।

श्रीमती चन्द्रावती: मैं आपको फिर बताना चाहती हूं कि उस फैक्टरी में एक चीफ इन्जीनियर का लड़का लगा हुआ है इसलिए घटिया वोल्टेज के एयर कन्डीशनर आ रहे है।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: मैं आपको अभी जवाब दे रहा हूं। आप पूरा जवाब तो कभी सुनती नहीं। आप बीच में ही जवाब देने से पहले खड़ी हो जाती हैं। स्पीकर साहब जहां तक इन्होंने कहा कि उस फैक्टरी में चीफ इन्जीनियर का लड़का लगा हुआ है उसके बारे में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि हम इसकी इन्क्वायरी करवा लेंगे। इस बारे में पहले भी यहां पर बात हो चुकी है। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि यह इस चीफ इंजीनियर के पार्ट पर कोई कमी पाई गई तो उसके खिलाफ जरूर ऐक्शन लिया जायेगा औ किसी के साथ कोई रियायत करने का सवाल नहीं है।

Expenditure on desilting of canals

***903. Ch. Om Parkash**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state Circle-wise amoutn of expenditure incurred on the desilting of the urnning canals in the State during the years 1982-83, 1983-84 and 1984-85 to date?

Irrigation and Power Miniter (Ch. Shamsher Singh Surjewala): A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement

Circle-wise amount of expenditure incurred on desilting of running canals during 1982-83, 1983-84 and 1984-85 is as under:-

Sr. No.	Name of Circle	Year			
		1982-83	1983-84	1984-85	Total
1	Western Jamuna Canal (West) Circle, Rohtak	7.78	8.60	6.23	22.61
2	Western Jamuna Canal (East) Circle, Delhi	6.86	6.37	9.57	22.81
3	Remodelling Circle Karnal	Nil	Nil	3.06	3.06

4	Hissar Bhakra Canal Circle, Hissar	3.03	2.81	3.67	9.51
5	Bharka Canal Circle, Kaithal	2.96	2.40	5.26	10.62
6	Sirsa Bhakra Canal Circle, Sirsa	Nil	Nil	Nil	Nil
7	JLN Circle No. II, Rohtak	1.72	0.94	2.17	4.83
8	Bhiwani Irrigation Circle, Bhiwani	27.99	20.70	18.61	67.30
9	Western Jamuna Canal Feeder/Gurgaon Canal Circle, Delhi	1.94	0.54	0.55	3.03
	Total	52.28	42.36	49.12	143.76

चौ. ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने 1982–83, 1983–84 तथा 1984–85 के दौरान चल रही नहरों की मिट्टी निकालने प सर्कलवार जो राशि खर्च की गई है उसका ब्योरा दिया है। इस लिस्ट को देखने पर पता चलता ह कि सीरियल न. 1 पर वैस्टर्न जमुना कैनाल (वैस्ट) सर्कल, रोहतक में 1982–83 में 7.78 लाख रूपये 1983–84 में 8.60 लाख रूपये 1984–85 में 6.23 लाख रूप्ये खर्च किए गए हैं। इसी प्रकार से नम्बर दो पर वैस्टर्न

जमुना कैनाल (ईस्ट) सर्कल दिल्ली में 6.86 लाख रूपये, 1983–84 में 6.37 लाख रूपये, 1984–85 में 9.57 लाख रूपये खर्च किए हुए दिखाये हैं। इसी प्रकार से आगे सीरियल न. 8 पर भिवानी इरीगेशन सर्कल, भिवानी में 1982–83 के दौरान 27.99 लाख रूपये, 1983–84 में 20.70 लाख रूपये ओर 1984–85 में 18.61 लाख रूपये खर्च किए गए हैं। अन्त में सीरियल न. 9 पर वैस्टर्न जमुना कैनाल फीडर गुडगांव कैनाल सर्कल, दिल्ली में 1982–83 में 1.94 लाख रूपये 1983–84 में 0.54 लाख रूपये और 1984–85 में 0.55 लाख रूपये खर्च किए हुए दिखाये गए हैं। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सीरियल न. 1, 8 और 9 पर जो सर्कल्ज हैं इन सर्कन्ज के लिए नार्मली हर साल डि–सिल्टिंग के लिए पैसा क्यों कम होता गया? अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का पूरी तरह ज्ञान है कि डी–सिल्टिंग सही मायनों में की नहीं जाती और बार–बार शिकायतें आती हैं। क्या मंत्री महोदय के नोटिस में कोई ऐसी शिकायत आई है कि रौंगफुल तरके से मस्टर–रोल तैयार करवा लिए जाते हैं और सारा मनी मिस–एप्रोप्रिएट किया जाता है। जिसकी वजही से डि–सिल्टिंग नहीं हो रही। अगर इस प्रकार की शिकायतें आई हैं तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की है?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने. कहा कि उनको इसके बारे में स्पैसिफिक नालेज है। अगर नालेज है तो इस नालेज को उन्हें सीक्रेट नहीं रखना चाहिए था, डिसक्लोज करना चाहिए था। अब हाउस में डिसक्लोज कर

दें, वैसे करना तो बाहर चाहिए था, अगर बाहर नहीं किया तो सप्लीमैंटरी क्वैश्चन पूछते हुए डिसक्लोज कर दें और यह इनका कर्तव्य बनता हे। जहां तक रूपये की वेरिएशन की बात है, यह नैचुरल है। सिवाये भिवानी इरीगेशन सर्कल, भिवानी जो सीरियल न. 8 पर है, बाकी सब सर्कल्ज के लिये पैसा तकरीबन तकरीबन बराबर हैं। स्टेटमैंट के मुताबिक एक साल खर्चा कुछ ज्यादा कर लिया, अगले साल कुछ कम हो गया और दो साल के बाद कुछ ज्यादा हो गया, इस तरह की वेरिएशन मामूली बात है। भिवानी सर्कल में ज्यादा खर्चा है क्योंकि यह एरिया मोस्टली सैंडी है। नहर सैंडज में से गुजरती है, इसके दोनों तरफ रेत के ऊंचे ऊंचे टिब्बे खड़े हैं। गर्मियों में जब हवा चलती है तो नहर का पोर्शन रेल से भर जाता है और मिट्टी निकालनी पड़ती है, इसलिये भिवानी में ज्यादा खर्चा आया है।

चौ. सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया कि रेतीला इलाका होने की वजह से डि–सिल्टिंग पर भिवानी सर्कल में ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। स्पीकर साहब, ऐक्सीयर जब डि–सिल्टिंग करवाता है तो वह ठेके पर करवाता हैं लेकिन ठेके पर यह काम होता ही नहीं। इस सिलसिले में मैंने पर्सनलों ऐस.ई. वगैरा महकमें के अधिकारियो से शिकायत की है कि भिवानी जिले में जो डि–सिल्टिंग का काम 3–4 महीने पहले करवाया गया है, वह बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या ऐसे केसिज सरकार के नोटिस में है? स्पीकर साहब, बेहतर यह होगा कि महकमा बेलदार रख ले।

मैं सरकार को सुझाव भी दूंगा और इसके साथ ही साथ पूछना भी चाहूंगा कि क्या महकमा परमानैंटली बेलदार रखकर इनसे यह काम नहीं करवा सकता? ठेके पर देने से बहुत ज्यादा घपला होता है।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि तीन–चार महीने डि–सिल्टिंग पर खर्चा हुआ है लेकिन काम कुद नहीं हुआ। अगर आपकी बात ठीक है तो हम तुरन्त इन्क्वायरी करवा लेंगे, जो आदमी कसूरवार होगा उसके खिलाु कार्यवाही करेंगे। जहां तक महकमा में परमानैंटली बेलदार रखकर उनसे डि–सिल्टिंग का काम करवाने की बात है, यह नहीं हो सकता क्योंकि डि–सिल्टिंग का काम रैगुलर नहीं है। कई बार 15 दिन के लिये सौ–सौ, दो–दो सौ आदमी भी लगाने पड़ जाते हैं और काम होने के बदा इनकी जरूरत बिल्कुल नहीं होती। अगर इनसे डिपार्टमैटल काम करवाये तो भी इतना भारी ऐस्टेबलिनशमैंट बारह महीने के लिये रखना बड़ा मुश्किल है, खर्चा बहुत ज्यादा होगा। जहां तक खर्चा करने का ताल्लुक है, 10 हजार रूपये के खर्चे तक ऐक्सीयन काम अलाट कर सकता है और 4 लाख रूपये तक ऐस.ई. कर सकात है। नौर्मली 90 परसैंट काम हम ठेकेदारों से करवात हैं। अगर थोड़ा सा काम हो तो डिपार्टमैंट के वर्कर्ज से करवा कर लेते हैं। अगर कोई काम 50 हजार से ज्यादा हो तो डी.पी.आर. द्वारा टैंडर्ज इन्वाईट कर लेते हैं और लोकल लैवल पर

नोटिफाई करते हैं। कांट्रैक्ट हम उसको देते हैं जिसका टैंडर लोएस्ट होता है।

ठाकुर बहादुर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सिरसा–भाखड़ा कैनाल सर्कल के एरिया में डि–सिल्टिंग पर क्यों पैसा खर्च नहीं किया गया? क्या यहां सिल्टिंग नहीं है? अगर है, तो इस एरिया के लिए पैसे का प्रावधान क्यों नहीं किया गया?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, सिरसा–भाखड़ा कैनाल ऐसी कैनाल है, जिसमें केवल भाखड़ा का पानी चलता है। जिस कैनाल में जमुना का पानी चलता है, उसमें सिल्टिंग होती है, भाखड़ा के पानी में सिल्ट नहीं होती। चूंकि इस नहर में भाखड़ा का पानी चलता है, इसलिए इसमें सिल्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए इस पर पैसा खर्च नहीं हुआ।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, पिछले दिनों मंत्री जी ने एम.एल.एज. की मीटिंग बुलाई थी, मैंने उस मीटिंग में जिक्र किया था कि मैं तीन साल से देख रही हूं, भिवानी में डि–सिल्टिंग का काम नहीं हो रहा। मैं आपके नोटिस में लाई थी कि एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। अगर किया है तो इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। क्या मंत्री महोदय इन्क्वायरी करवायेंगे?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैन्टेनैंस के लिए डिपार्टमैंट को जो पिछले तीन सालों में पैसा मिला है,

इसके मुकाबले में इस साल बहुत कम पैसा मिला है। टोटल फाइनैंशियल कंस्ट्रैन्ट को देखते हुए टोटल डि–सिल्टिंग न तो भिवानी सर्कल में हुई है और न ही दूसरी जगहों पर करवा सके। भिवानी एरिया में नहर के दोनों तरफ सैंड ब्लौक्स हैं, नहर में बहुत मिट्टी पड़ जाती है, जितना मुमकिन हुआ उतना काम करवा दिया। जहां तक इन्क्वायरी की बात है, इसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया है कि अगर किसी किस्म की बात आपके नोटिस में आई है तो आप मेरे नोटिस में ले आते। आप अपने माध्यम से मुझे कह सकती थी कि फलां जगह पर फलां ऐक्सीयन या कोई ठेकेदार ने मिट्टी नहीं निकाली और पैसे खा लिए।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि जहां रेतीला इलाका है वहां डि–सिल्टिंग की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि रेतीले इलाके में नहर में ज्यादा मिट्टी पड़ जाती है। क्या आपने महकमें से पूछताछ की है कि फलां एरिया में डि–सिल्टिंग के लिए कितने अमाउंट की जरूरत है और कितना प्रावधान किया गया है?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: कितने रूपये की जरूरत है और कितना प्रावधान किया है, इसके लिए हर साल बजट बनता है। नौर्मली बजट में हर साल पैसे का प्रावधान किया जाता है लेकिन जितनी जरूरत होती है, उसके मुकाबले में पैसा कम मिलता है।

चौ. बलबीर सिंह ग्रेवाल: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि डि–सिल्टिंग के काम में जमींदारों की सलाह ली जाती है या नहीं? स्पीकर साहब, डि–सिल्टिंग में किसानों का बड़ा इन्ट्रैस्ट इन्वाल्वड होता है। मैं मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि जब डि–सिल्टिंग का काम किया जाए तब जमींदारों को इन्वाल्व किया जाए ताकि वे इस काम में पार्टिसिपेट कर सकें। आपको किसानों को सूचना देनी चाहिये कि इतने एरिया में डि–सिल्टिंग होनी है। इसके दो फायदे हैं, एक तो यह कि इनका इन्ट्रैस्ट इन्वाल्व होने की वजह से काम अच्छा होगा, दूसरे हेराफेरी के चांसिज कम रहेंगे। अगर टाईमली जमींदरों को सूचना मिल जाए और इनका पार्टिसिपेशन हो जाए तो बहुत फायदा हो सकता है।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं। हम महकमे को कहेंगे कि जहां डि–सिल्टिंग का वर्क ज्यादा है, जैसे भिवानी में है, वहां नहर के साथ–साथ जो गांव लगते हैं, जब काम करवाना हो तो उनमें मुनियादी करवा दें कि नहर में से मिट्टी उठाई जा रही है। अगर इन गांवों के लोग यह काम खुद करना चाहेंगे तो इन लोगों को पेमैंट कर दी जाएगी, सरकार गांव वालों को पेमैंट करने के लिए तैयार है।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, वैस्टर्न जमुना कैनाल के अन्दर डि–सिल्टिंग का काम होता है, स्टोन–वर्क भी होता है और अर्थ–वर्क भी होता है। ये तीन काम ऐसे हैं जिनमें

भारी घपला होता है। ऐकचुअली काम होता नहीं है और सारा पैसा हड़प कर लिया जाता है। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि ताजेवाला हैड पर जो बांध बनाया गया है, उस पर जो काम हुआ है, मुझे इसका पता है। जितना पैसा खर्च करने के लिए रखा होता है उस में से पांच सात हजार रूपया लगा देते हैं, बाकी हड़प कर लेते हैं। सारी रकम एस.डी. ओ. और जूनियर इन्जीनियर मिलकर हड़प कर लेते हैं। पहले काम ठेके पर होता था लेकिन अब ठेकेदारी का काम बन्द कर दिया गया है। अब सोसायटियों के द्वारा होता है। एक आदमी यानी कोई ठेकेदार 50 आदमियों की सोसायटी बना लेता है और यह 50 आदमियों की सोसायटी बोगस होती है। सोयायटी तो बना ली जाती है लेकिन इसकी बैक में ठेकेदार होता है। जिससे ज्यादा बुराई पैदा हो रही है। मैं मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात लाना अपना फर्ज समझता हूं। यह बात मेरे नोटिस में आई है और मैंने मौके पर जाकर वैरीफाई किया है कि यह सोसायटी बिल्कुल बोगस होती है। यह बता बिल्कुल सच है।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: सर, ताजेवाला में स्टोन का टैम्परेरी बन्ध बनाते हैं ताकि बरसात के बाद सर्दी के दिनों में पानी प्रपोर्शनेटली हरियाणा का हरियाणा में आ जाए और यू.पी. कया यू.पी. में चला जाए। हर साल यू.पी. और हरियाणा सरकार का इरीगेशन डिपार्टमैंट स्टोन्ज के इन बन्धों को बनाता है। उसमें तारें वारे भी यूज करते हैं ताकि स्टोन लुढ़क न जाएं। इसके बारे

में डा. ओम प्रकाश जी अगर स्पैसिफिक शिकायत देंगे तो पूरी कार्यवाही करेंगे और इंक्वायरी भी करवाएंगे।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, मैं इस बार की मिसाल दे रहा हूं।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: डा. साहब, इंक्वायरी करवा लेंगे। पिछले साल की भी करवा लेंगे, उससे पिछले साल की भी करवा लेंगे और इस साल की भी करवा लेंगे यदि आप हमें लिखकर देंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे।

स्पीकर साहब, मुझे तो इस बात का पता है कि यह बन्ध हर साल टैम्परोरी बनता है और जब बहुत हाई फ्लड आता है तो वह बह जाता है। वहां एक–एक लाख क्यूसिक पानी आता है। यह बन्ध छोटे छोटे स्टोन बोल्डर्ज का बनता है और हर साल नया बनाना पड़ता है।

स्पीकर साहब, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सोसायटीज को ठेका देते हैं और वे गड़बड़ करती हैं, यह तो बड़ा स्वीपिंग और जनरल सा सवाल है। इस बारे में मैं कया कह सकता हूं? गड़बड़ तो आदमी भी कर सकता है और सोसाइटी भी कर सकती है। इसी तरह से गड़बड़ एक आदमी भी नहीं कर सकता और सोसाइटी भी नहीं कर सकती। इसलिए अगर माननीय सदस्य कोई स्पैसिफिक बात कहेंगे तो सरकार अवश्य कार्यवाही करेगी। (विघ्न)

श्री भलेराम: स्पीकर साहब, यह जो वैस्टर्न जमुना कैनाल है यह हमारे सोनीपत जिले से भी निकलती है और यह बात ठीक है कि वहां डि–सिल्टिंग का काम हुआ है। लेकिन स्पीकर साहब, जैसा मैंने जीरो आवर में भी कहा था, हमारे जो मोघे लगे हुए हैं वे 100 परसैंट की बजाए 60 परसैंट पर लगे हुए हैं। 40 परसैंट पानी रिडयूस किया गय है। यहां आश्वासन दिया गया था कि उन्हें 100 परसैंट पर कर दिया गया है लेकिन आज तक इस बारे में चिट्ठी वहां नहीं गई। क्या मंत्री महोदय इस बारे में बताएंगे?

श्री अध्यक्ष: भले राम जी यह सवाल डि–सिल्टिंग आफ कैनाल्ज के बारे में है।

श्री देवी दास: स्पीकर साहब, बान्धों पर पैसा उस वक्त लगाया जाता है जब फ्लड आने वाले होते हैं। उस रूपये को खर्च हुआ दिखा करके इधर उधर किया जाता है। यह बात हर एम.एल. ए. के नोटिस में होगी कि बांध पर एक पैसा नहीं लगता। सारे हरियाणा में इस तरह की शिकायतें हैं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में इंक्वायरी करवाएगी?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, जमुना में हमेशा फ्लड आता है। उससे बराबर लगते हुए गांव के खेत आदि इरोजन के कटते हैं। उससे बचाव के लिए इरीगेशन डिपार्टमैंट का ड्रेनेज विंग स्टोन पैचिंग करता है या ठोकरें बनाता है ताकि

जमुना सैन्टर में रहे। माननीय सदस्य जनरल बात कर रहे हैं। वे कहां लगाई हैं या नहीं लगाई हैं मुझे इसका कुछ पता नहीं। हो सकता है कि अगर कहीं नहीं लगाते हैं तो पैसे की कमी होगी या उसकी जरूरत नहीं होगी। हो सकता है कि कहीं लोग पैसा खा भी लेते हों। अगर माननीय सदस्य कोई स्पैसिफिक बात बताएंगे तो सरकार उस पर कार्यवाही करेगी।

मास्टर राम सिंह: स्पीकर साहब, वैस्टर्न जमुना का जो पश्चिमी किनारा है उसके ऊपर पानी तकरीबन हर साल जमीन को काटता है। ठोकरें कुछ तो बीच में आ गई हैं और कुछ पानी के काट दी हैं। उसके लिए मंत्री जी क्या कुछ कर रहे हैं?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, यह सवाल डि–सिल्टिंग आफ कैनाल्ज के बारे में है लेकिन मेरे लायक दोस्त ड्रेनेज और स्पर्ज आदि के बारे में जनरल सवाल पूछ रहे हैं। ऐसी ही जनरल बात मैं भी कर सकता हूं लेकिन उससे न तो इनको कोई लाभ होगा और न ही सरकार को कोई लाभ होगा। अगर माननीय सदस्य कोई स्पैसिफिक सवाल पूछेंगे तो इनको भी कुछ पता लगेगा और हमें भी पता लगेगा कि कहां क्या बात है। (विघ्न)

सेठ राम दास धमीजा: स्पीकर साहब, सातवीं प्लान में रूरल री–कंस्ट्रक्शन फोर्स बनाने की चर्चा की गई है। क्या मंत्री जी अपने महकमें को निर्देश देंगे कि डि–सिल्टिंग वगैरा के जो

काम हैं उन्हें इस फोर्स के माध्यम से करवाएं ताकि बेकार नौजवानों को काम मिल सके?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, वह फोर्स तो जब आएगी तो देख लेंगे लेकिन उससे पहले माननीय मैम्बर अपने अपने इलाके में एक बात और कर सकते हैं। पहले किसान लोग अपने रजवाहों को खुद साफ किया करते थे। सरकार कापैसा लोगों का अपना पैसा है। अगर ये चाहते हैं कि इसे किसी और परपजफुल जगह खर्च किया जाए तो डि–सिल्टिंग का काम यदि लोग खुदी कर लें तो बहुत अच्छी बात हो।

श्री लछमन सिंह कम्बोज: स्पीकर साहब, देखने में यह आया है कि जब जमुना में फ्लड आता है तब वहां पत्थर गिराने का काम शुरू होता है और वे पत्थर जमुना में बहकर चले जाते हैं। करोड़ों रूपये अफसर खा जाते हैं। गिराते एक ट्रक हैं और बताते दो ट्रक हैं। बरसाल से पहले इस बात का सर्वे होना चाहिए कि कहां ठोकरें लगनी हैं और कहां पानी की मार है कि ताकि जो गांव जमुना से घिरे हुए हैं उनको बचाया जा सके। क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि करोड़ों रूपये अफसर खा जाते हैं। अगर मैं गलती न करूं तो ड्रेनेज डिपार्टमैंट को सन् 1985–86 में स्पर्ज आदि बनाने के एिल 50–60 लाख रूपये मिले हैं लेकिन यह कहते

हैं कि करोड़ों रूपये अफसर खा जाते हैं। बाकी सालों की भी ऐसी ही पोजीशन रही है। जहां तक सर्वे करवाने की बात है यह डिपार्टमैंट का काम है कि कब करवाएं और कहां करवाएं। ये तो स्पैसिफिकली यह बताएं कि फलां जगह कोताही हुई है ताकि किसी को पकड़ सकें।

Overcrowding in Haryana Roadways buses

***972. Ch. Kundan Lal**: Will the Minister for Transport be pleased to state –

(a) whether the Government is aware of the fact that there is overcrowding in the Haryana Roadways buses; if so, the steps, if any, taken to eliminate overcrowding; and

(b) the number of new Haryana Roadways buses proposed to be brought on road during the year 1985-86?

परिवहन राज्य मंत्री (चौ. चन्दा सिंह):

(क) जी हां। यात्रियों की अत्याधिक भीड़ के समय स्पेशल बसें प्रदान की जाती हैं तथा बसों के समय की तीव्रता बढ़ा दी जाती है।

(ख) वर्श 1985–86 में 150 नई बसें डालने का विचार है।

10.00 बजे

चौ. कुन्दन लाल: अध्यक्ष महोदय, बसों में इतनी अधिक भीड़ होती है कि वे समय पर नहीं पहुंचती हैं और न ही समय पर चलती हैं। दूसरे जो गांवों में छोटे बस अड्डे हैं वहां पर बच्चों वाली औरतें बैठी रहती है लेकिन अड्डों पर बसों को रोकते नहीं हैं। वे बेचारी दोपहरी में 12 बजे तक बैठी रहती हैं लेकिन बस नहीं मिलती है। बसों में ज्यादा भीड़ होने के कारण या तो रूकती नहीं हैं या आगे पीछे रूकती हैं। सभी माननीय सदस्य शाम और सवेरे देखते हैं कि छतों पर भी लोग बैठे हुए होते हैं। यह सब अधिक भीड़ का ही कारण है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बारे में प्रबन्ध किया जाये। दूसरे वर्कशाप से जब कोई बस मुरम्मत होकर बाहर निकलती है तो वह रास्ते में ही खड़ी हो जाती हे और जिस बस ने शाम को आगे पहुंचना है या आगे की सवारी उठानी है वे यों ही परेशान रहते है। यह मुरम्मत पैसे की कमी के कारण नहीं हो पाती है या वे ठीक प्रकार से उसे नहीं करते हैं? इसलिये इस बारे में भी सरकार गौर करे। तीसरी बात मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ये जो नयी बसें यानी 150 बसें चलायेंगे यह इस कमी को कैसे पूरा करेंगी जब कि इतनी बुरी हालत है?

चौ. चंदा सिंह: अध्यक्ष महोदय, सवेरे और शाम को बहुत ज्यादा भीड़ इसलिये रहती है कि स्कूलों के बच्चे, कालेज के बच्चे, कोर्टो और स्कूलों में जाने वाले एम्पलाइज भी बसों से आते जाते हैं। हरियाणा एक प्रगतिशील प्रदेश है इसलिये लोग बहुत

आते जाते हैं और इसी कारण से शाम और सुबह के टाईम पर भीड़ रहती है। जब हरियाणा बना उस समय 500 बसें थीं लेकिन अब तीन हजार बसें हरियाणा में चल रही हैं। हरियाणा प्रदेश की बस सर्विस भारत में प्रथम नम्बर पर है। यह बात ठीक है कि भीड़ के कारण ही लोग बसों की छतों पर चढ़ते हैं लेकिन सरकार की ओर से पूरे प्रयास किये जाते हैं कि भीड़ कम हो और भीड़ को देखते हुए ही स्पैशल बसें भी चलायी जाती हैं। हमारे विभाग ने 16 हजार लोगों को रोजगार दिया हुआ है। हरियाणा में जितने भी बस स्टैण्ड हैं उन सभी पर मोटर रोकी जाती है और यही कोशिश होती है कि सवारी को ले जाया जाये। एक बात मैं आपके नोटिस में यह भी लाना चाहूंगा कि हमारी ही स्टेट ऐसी है जिसने हरियाणा में रोडवेज का सैंट परसैंट नेशनेलाईज किया हुआ है। हमारे यहां हरियाणा में कोई प्राइवेट बस नहीं चलती है। हम मुनाफा कमाने के लिए दूसरी स्टेटस में भी बसें चलाते हैं। सरकार की कोशिश क बावजूद भी थोड़ी बहुत दिक्कत है और हमारी बहिने मातायें छोटे बस अड्डों पर बच्चों समेत खड़ी होती हैं, कई बार बस तेजी से आती है तो रोक नहीं पाते। कई बार कन्डक्टर और ड्राइवर शहरों के नजदीक या सब डिवीजनल हैडक्वार्टर के नजदीक नहीं रोकते हैं। आप सुन कर हैरान होंगे कि हमारी बसें सारे दिन में दस लाख से ज्यादा सवारियां उठाती हैं।

श्री राम बिलास वर्मा: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने सवाल के ''ए'' पार्ट के जवाब में बताया है कि भीड़ बढ़ रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हरियाणा के किस डिपों में ज्यादा भीड़ रहती है और दूसरे जो 150 बसें नई आ रही हैं उनका डिपोवाइड किस तरह से वितरण करेंगे?

चौ. चन्दा सिंह: आवश्यकता के अनुसार डिपो वाइज देते हैं। बसें तो इससे भी ज्यादा खरीदनी हैं। जो भी बस कन्डैम हो जाती हैं उसे बदल देते हैं। हरियाणा की बसें बहुत अच्छी हैं। आठ साल या 6 लाख किलोमीटर चलने के बाद बस को बदल देते हैं। हमारी स्टेट प्रोग्रेसिव है इसलिये लोग अधिक आते जाते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: क्या राज्य मंत्री महोदय को ज्ञान है कि गांवों के लिंक रोडज पर जो भी बसें चलती हैं वे मेरे ख्याल में हरियाणा बनने के टाईम पर आयी होंगी। आज उनको आये हुए बीस तीन साल हो गये हैं। बहुत ही पुरानी बसें हैं। उन बसों की सीट पर बैठने पर सारे कपड़े फट जाते हैं। उन बसों में कीलें निकली हुई होती हैं। शीशे और खिड़कियां टूटी हुई हैं। उन बसों में कीलें निकली हुई होती हैं। शीशे और खिड़कियों टूटी हुई हैं। सर्दियों में अगर रिजाई ओढ़ कर भी बैठ जायें तो भी हवा लगती है। गर्मी मं उस बस में बैठ जायें तेा लू और धूल इतनी लगती है कि घर वाले भी उस आदमी की शक्ल पहचान नहीं सकते। बारिश के दिनों में बसों की छतें चूती हैं। ऐसी बसें

लिंक रोडज पर बहुत ज्यादा तादाद में हैं इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इन बसों को बदलने का विचार है?

चौ. चन्दा सिंह: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हरियाणा बने हुए अभी 18 साल हुए हैं। हम किसी भी बस को आठ साल से ज्यादा नहीं चलाते हैं या छः लाख से ज्यादा किलोमीटर चलने के बाद कन्डैम कर देते हैं। आप दूसरे प्रदेश की बस में बैठे होंगे जिस कारण आपको पर्याप्त नहर नहीं आता। इसलिए आपको अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। हरियाणा में तो कोई भी बस खराब हालत में रहती ही नहीं हैं।

श्री निहाल सिंह: स्पीकर साहब, बसों में भीड़ के कारण बड़ी भारी प्रोब्लम है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जहां पर ज्यादा भीड़ रहती है और रिमोट रूटस हैं उन पर मैटाडोर या मिनी बसें चलाने की इजाजत देंगे ताकि भीड़ कम हो सके? दूसरे हरियाणा रोडवेज के कन्डक्टर्ज का व्यवहार बड़ा ही रूड होता है। तो क्या कन्डक्टर्ज के लिए कोई ट्रेनिंग या रिफ्रैशर कोर्स वगैरह शुरू करेंगे ताकि वे सवारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें?

चौ. चन्दा सिंह: अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात अभी नहीं है कि प्राइवेट मैटाडोर या मिनी बसों को और रूट पर परमिट देंगे। जो सात सवारियों वाला टैम्पो है उसके लिए हमने 63 रूटस पर परमिट इशू किये हुए हैं। जहां तक कन्डक्टर्ज के

व्यवहार की बात है, हरियाणा कम पढ़े लिखों वाला और पिछड़ा हुआ प्रदेश रहा है तथा चौ. वीरेन्द्र सिंह जी के टाईम पर जो कन्डक्टर्ज भर्ती किये गये थे उनका व्यवहार काफी खराब रहा है। (हंसी) बोल–चाल जरा इनकी काफी तीखी है। वैसे भी जब कोई हरियाणवी किसी से बोलता है, चाहे वह कोई प्यार की ही बात करे, तो आम आदमी को ऐसा लगता है जैसे वह लड़ रहा हो। दो चार गालियां निकाले बिना कोई बात ही नहीं करता। इस सबके बावजूद हमने ऐसे कन्डक्टरों और ड्राइवरों के लिये यह निर्देश दिये हैं कि उनको सस्पैन्ड करना चाहिये। ऐसे ही 800 या 1000 के करीब कंडक्टर्ज हैं जो डिसमिस किये हुए हैं, उनकी अपीलें चल रही हैं। इसके अलावा ज्यो ही हम किसी आदमी को दुर्व्यवहार के कारण सस्पैंड करते हैं, हमारे विभाग के अधिकारियों के पास और हमारे पास 8–10 आदमी दवाब डालन के लिए आ जाते हैं कि इनको छोड़ो। मैं राव साहब को बता दूं कि हम यह कोशिश करते हैं कि अगर इंग्लैण्ड में कंडक्टर मुसाफिर को तीन बार ''थैंक यू'' कह सकता है तो हमारे कंडक्टर्ज को जी और जनाब कहने में क्या फांसी लगती है। इसमें हमें काफी सफलता मिली है। (व्यवधान व शोर)

श्री ओम प्रकाश महाजन: अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के 'बी' भाग में मंत्री महोदय ने यह कहा है कि 150 नई बसें लगा रहे हैं। कुछ बसें ऐसी भी हैं जो इस साल नकारा हो जायेंगी। 'ए' भाग के जवाब में मंत्री महोदय ने माना है कि भीड़ बहुत

ज्यादा है और इसको कम करने के लिए प्रबन्ध किये जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भीड़ का कम करने के लिये सरकार को अधिक बसें डालनी होंगी। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि कम से कम एक वर्श के लिये ही चाहे कर दें, निहायत ईमानदार लोगों का एक छापामार दस्ता बना दें। जहां पर भीड़ ज्यादा हो, वहां पर छापा मार कर यह देंखे कि यह भीड़ किसी आपके अहलकार की गलती के कारण से तो नहीं है।

चौ. चन्दा सिंह: सर, ऐसे छापामार दस्ते हमने इनके कहने से पहले ही चला रखें हैं। हर डिपो के अन्दर तीन गाड़ियों इसके लिये हैं। सारे अधिकारी हैं और फलाईन्ग स्क्वैड हैं जो बाकायदा तौर पर छापे मारते हैं। जो बात माननीय सदस्य चाहते हैं, अब से पहले हमारे परिवहन विभाग ने से सारी बातें की हुई हैं। आदिकाल से इन्सान जुर्म करता आ रहा है। सारी दफायें और इंडियन पीनल कोड भी भरा पड़ा है और सबको पता है कि यदि कोई जुर्म करेगा तो उसको सजा मिलेगी लेकिन इन्सान से स्वाभाविक तौर पर गलतियां और भूलें होती रहती हैं। हमारे विभाग में कुछ आदमी उनमें से ऐसे भी हैं जैसे मैंने बताया कि वह पहले के भर्ती किये हुए हैं। अब जो लिये जा रहे हैं, वह अच्छे लिये जा रहे हैं। हमारे पास चार साल पुरानी 1319 बसें हैं। मैंने पहले भी बता दिया है कि या तो 8 साल या 6 लाख किलोमीटर जो भी बस पहले पूरा करती है, हम उसको नहीं रखते। हर डिपो में पूरी तरह से इस बात का अध्ययन किया गया

है। हमारे आदमी 24 घंटे काम करते रहते हैं। मैंने दूसरी स्टेटस में भी घूम कर देखा है। वहां पर सैन्ट्रल वर्कशाप है और रीजनल वर्कशाप बनी हुई है और वहां पर कहीं कहीं पर तो 600 किलोमीटर तब बसों को रिपेयर के लिये ले जाना पड़ता है। लेकिन हमारे यहां हर डिपो के अन्दर पूरी तरह से तैयारी है। हमारे वर्क्ज मैनेजर क्वालीफाइड हैं और परिवहन विभाग को चलाने में पूरी तरह से समर्थ हैं। (व्यवधान व शोर)

श्री मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया है कि 1985–86 में 150 नयी बसें लगायेंगे। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 1985–86 में कुल कितनी बसें कन्डैम कर रहे हैं जिसकी वजह से यह नयी बसें ऐड की जा रही हैं? (व्यवधान व शोर)

चौ. चन्दा सिंह: स्पीकर साहब, पिछले दो सालों में दो–दो सौ बसें कन्डैम हुई थीं, इस साल तकरीबन 163 बसें कन्डैम हो चुकी हैं। 150 बसें इनके इलावा और नयी डाल रहे हैं।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी यहां पर यह कहा है कि हरियाणा के अन्दर लोग बोलते कुछ ऐसे हैं कि अगर वह प्यार की बात करें तब भी ऐसा लगता है कि वह लड़ रहे हों। हरियाणा के अन्दर एक ऐसी पापुलेशन भी है जो बहुत ही रिफाईन्ड कल्चर को बिलौंग करती है। वह हरियाणा में ही रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वे पंजाबी भाई हैं। क्या

मिनिस्टर साहब यह महसूस करते हैं कि जो अन–कल्चर्ड आदमी ऐसे लगाए हुए हैं, जिनका बिहेवीयर ठीक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हरियाणा में बहुत ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो अन–कल्चर्ड हैं और चूंकि यह एक बिजनैस आर्गेनाईजेशन है इसलिये इसमें वैल–बिहेव्ड कंडक्टर्ज होने चाहियें, उनकी जगह कुछ पंजाबी भाइयों को रखने की कोशिश करेंगे?

चौ. चंदा सिंह: सरदार लछमन सिंह जी ने जो बात कही, वह बिल्कुल सच है। जो पंजाबी भाई हरियाणा में रहते हैं, या दक्षिण में रहते हैं, उनका रहन सहन व खाना पीना अच्छा है। हरियाणवी तकरीबन सारे ही ऐसे हैं और इनकी बाते बिल्कुल सच है। जो पंजाब से आये हुए हमारे भाई हैं, वे पढ़े लिखे हैं और हमसे ज्यादा साफ है। लेकिन दूसरे लोगों को भी उनके जैसा साफ और अच्छा बनाने के लिये हम उनको समान अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी नकल करके वे कुछ सीखें। मैं खुद कहता हूं कि मैंने अपने बचपन में साफ कपड़े नहीं पहने। मैंने पंजाबियों की नकल करके अपने जीवन को काफी आगे बढ़ाया है।

चौ. सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, ज्यादा सप्लीमेंटरी तो वे लोग पूछते हैं जो बसों में चलते ही नहीं हैं। जैसे सरदार लछमन सिंह। मैं तो कभी–कभी चलकर देख लेता हूं। स्पीकर साहब, आपने भी शायद कई बार देखा होगा जब कभी लोकल

बसे में जाओ, 5, 7, 8 और 10 किलोमीटर के एरिया में जो बस चलती हो तो ड्राईवर बैठते ही कहेगा रूके मार कर कहेगा कि तैयार रहियो, ब्रेकों का कोई पता नहीं है। हमने तो यह अनुभव किया है। अगर किसी लम्बे सफर की बस में बैठ जाओ तो ड्राईवर बैठते ही कह देगा, रोटी पानी का प्रबन्ध करके चलियो, पता नहीं कहां खड़ी हो जाये। मैं मंत्री महोदय से यह बताना चाहूंगा कि आपका विभाग जो लोकल बसिज चलाता है, उनकी बौडी कई बार तो इतनी कमजोर होतील है कि बैठते ही छत सिर पर आ पड़ती है, उनकी छतें तो कम से कम मजबूत होनी चाहियें। हमारे मुकाबले में डी.टी.सी. की जो बसिज हैं, उनकी 8–10 साल चलने के बाद भी बौडी काफी मजबूत बनी रहती है। अब हमारा विभाग खुद बसिज की बौडीज भी बनाने लग गया है और नीय बसिज की बौडी भी कन्डैम करने लायक होती है इसकी क्या वजह हैं?

चौ. चन्दा सिंह: जो लिंक रूटस हैं या जो छोटे रूटस हैं, उनके ऊपर तो हम थोड़ी ऐसी कंडीशन की ही बसिज चलाते हैं लेकिन जितने भी लम्बे रूटस हैं, उनके ऊपर तो हमारी अच्छी बसिज चलती हैं। पता नहीं कैसे माननीय सदस्य कह गये। मेरे साथ एट रैंडम चलें, जाकर देख लें। जैसे यह कहते हैं, उस तरह की कोई बात नहीं है। कम से कम इस तरह की बसिज हरियाणा के रूटस पर नहीं हैं। किसी दूसरी स्टेट की या प्राइवेट बसिज इन्हौंने देख तो हों तो मुझे पता नहीं है। (व्यवधान व शोर)

चौ. हुक्म सिंह फोगट: स्पीकर साहब, भिवानी डिपो में ज्यादातर बसें नाकारा हैं। वहां पर ऐसी हालत है कि जो बस, बस स्टैण्ड से चलती है वह रास्ते में इस सवारियां नहीं लेती क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस चीज को देखते हुए वहां पर 150 बसों में से कितनी नई बसें भिवानी डिपो को दी जाएंगी?

चौ. चन्दा सिंह: स्पीकर साहब, आमतौर पर सुबह और शाम को बसों में ज्यादा भीड़ रहती है और इन टाइम्ज पर बसों में कुछ ज्यादा सवारियां बिठा ली जाती हैं जिससे कि सुबह लोग जहां उनको जाना है वहां पहुंच जाएं और शाम को वे अपने घर पहुंच जाएं। ऐसी कोई बात नहीं कि भिवानी डिपों में खराब बसें भेजी गई हैं। फिर भी चूंकि आरनेबल मैम्बर ने भिवानी के बारे में खराब बसों का जिक्र किया है, उसको हम देख लेंगे।

श्री कंवल सिंह: मंत्री महोदय ने यह स्पीकार किय है कि हरियाणा रोडवेज की बसों में कंडक्टर्ज के रूड बिहेवियर की समस्या है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस चीज को देखते हुए उनको अच्छे बिहेवियर की ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम सरकार के विचारधीन है?

चौ. चन्दा सिंह: स्पीकर साहब, ड्राइवर्ज और कन्डक्टर्ज को सारी बातें समझाई जाती है। हर महीने औफिसर्ज की मीटिंग होती है। उसमें हर समस्या रिव्यू की जाती है। अगर ड्राईवर्ज ओर

कन्डक्टर्ज के मिसबिहेव की कोई शिकायत होती है तो उनके खिलाफ ऐक्शन भी लिया जाता है। स्पीकर साहब, जहां भी कोई त्रुटि नजर आती है उसको डिसकस किया जाता है। बाकी ट्रेनिंग देने का कोई विचार सरकार के विचारधीन नहीं है।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, सिरसा डिपों में हरियाणा के सब डिपोज से कम बसें हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1985–86 में जो 150 बसिज ऐड की जा रही हैं उनमें से सिरसा डिपो को कितनी बसिज दी जाएंगी? स्पीकर साहब, मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि आमतौर पर सुनने में आता है कि जो पार्टी के जलसे होते हैं उनमें सिरसा से दस बसें जा रही हैं और हिसार से बीस बसे जा रही है?

Mr. Speaker: This is no question. I do not allow it. Please sit down.

चौ. अजमत खां: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि 163 बसिज नाकारा होंगी और उनके मुकाबले 150 बसिज हरियाणा रोडवेज के फ्लीट में ऐड होंगी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा करने से तेरह बसों की कमी नहीं हो जाएगी?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हम टोटल 263 बसिज परचेज करेंगे और 113 बसिज कंडैम हो जाएंगी। इस तरह से हरियाणा

रोडवेज के फ्लीट में 150 बसिज ऐड हो जाएंगी। स्पीकर साहब, आने वाले पांच साल में सात सौ बजि हम और ऐड कर देंगे जिससे कि सवारियों को आने जाने में सुविधा हो। आबादी बढ़ रही है इसलिये भी बसों की ज्यादा जरूरत है।

श्रीमती चन्द्रावती: मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि आबादी बढ़ रही है और लोग आवागमन ज्यादा करने लगे हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए जो बसें बढ़ाएंगे क्या वे काफी होंगी?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, सरकार की हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों को पूरी सुविधा दी जाए लेकिन आप जानते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, कालेज जाते हैं, उनको स्कूल और कालेज ले जाना पड़ता है और शाम को वापिस लाना पड़त है। स्पीकर साहब, अकेले विद्यार्थियों को बस सुविधा प्रदान करने पर स्टेट का पांच करोड़ रूपए सालाना का घाटा सहन करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। जहां भी सवारियां ज्यादा होंगी उनकी सुविधा के मुताबिक और जहां पर लोगों का आवागमन ज्यादा होगा, इन सब चीजों को देखते हुए अगर बसिज की ज्यादा जरूरत होगी तो और भी ज्यादा बसिज खरीदी जा सकती हैं।

चौ. सूबे सिंह: स्पीकर साहब, हिसार और जींद जिले में बसिज कम हैं और सवारियों की भीड़ ज्यादा रहती है। वहां पर

जो सामान ढोने वाले विहकल्ज हैं उनमें सवारियां बैठती हैं। क्या इस बात को देखते हुए जो अनएम्पलायड ग्रेजुएटस हैं उनको फोर विहलर्ज के परमिटस देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सुझाव तो अच्छा है लेकिन अभी सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है कि बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान ग्रेजुएटस जो बेकार हैं उनको इस तरह के परमिटस दिए जाएं लेकिन इस पर विचार करेंगे कि यह कैसे किया जा सकता है। स्पीकर साहब, मैम्बर महोदय ने जो यह बात कही है कि सामान ढोने वाले व्हिकल्ज में सवारियां बिठाई जाती हैं उनको चैक कर लेंगे। थ्री व्हिर्ल्ज के बाकायदा परमिट देते हैं ताकि लोगों को सुविधा हो सके।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, अभी बताया गया है कि एक सौ पचास बसिज नई जोड़ी जाएंगी और एक सौ तेरह बसिज कंडेम हो जाएंगी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन बसिज में से हर डिपो को कितनी कितनी बसिज दी जाएंगी?

चौ. चन्दा सिंह: स्पीकर साहब, हरियाणा में पन्द्रह डिपों हैं और हिसाब से दस बसिज हर डिपों के हिस्से में आती हैं लेकिन हर डिपों को जरूरत के मुताबिक बसिज दी जाएंगी। इसके लिए कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल नहीं है।

डा. भीम सिंह दहिया: यह तो सबको पता है कि बसिज में काफी भीड़ रहती है। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि हर शहर

में हजारों बच्चे स्कूल और कालेज में पढ़ते जाते हैं और उनकी वजह से पांच करोड़ रूपए का घाटा हर साल हरियाणा रोडवेज को वहन करना पड़ता है। स्पीकर साहब, इसका इतना फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि पास वाले बच्चों की भीड़ देखकर ड्राईवर बस नहीं रोकता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के पैटर्न पर हर स्कूल के लिए अलग बस चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, अगर सभी बच्चों के लिये नहीं तो क्या खासतौर पर लड़कियों के लिए अलग से बस चलाने का सरकार का कोई विचार है?

चौ. चन्दा सिंह: स्पीकर साहब, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। एक बात रोहतक के जी.एम. ने लड़कियों के लिए अलग से बस लगाने की कोशिश की थी लेकिन यह कामयाब नहीं रही। कुछ स्कूल और कालेज जो प्राइवेट हैं वे अपनी बस बच्चों के लिए चलाते हैं लेकिन हमारा अलग से बस चलाने का कोई विचार नहीं है।

श्री नेकी राम: स्पीकर साहब, जो लम्बे रूट की बसिज हैं उनमें देखा गया है कि सफाई नहीं होती और ओवरक्राउडिंग बहुत ज्यादा रहती है। क्या मंत्री महोदय, बसिज की सफाई पर ज्यादा ध्यान देंगे?

चौ. चन्दा सिंह: अध्यक्ष महोदय, सफाई का हम पूरा ध्यान रखते हैं लेकिन अब और ज्यादा ध्यान रखेंगे।

Mr. Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Digging work on Malekka Minor

***985. Sh. Bhagi Ram**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the digging work of Malekka (Bakhal) Minor in District Sirsa has been started; if so, the date on which the said work was started together with the present stage thereof?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला): हां जी। निर्माण कार्य जनवरी 1980 में आरम्भ किया गया था। आर.डी. 42000 तक पूर्ण कार्य हो चुका है तथा आर.डी. 42000 से 50000 तक केवल आंशिक कार्य किया गया है। अब तक कुल लगभग 57 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

Compensation to the landowners

***957. Smt. Basanti Devi**: Will the Minister of State for Revenue and Home be pleased to state –

(a) the district-wise number of such landowners, if any, in the State, whose lands were declared surplus during the years 1981-82, 1982-83 and 1983-84, togetherwith the amount of compensation, if any, paid together;

(b) the district-wise number of such landowners, if any, out of those as referred to in part (a) above, as have not

been paid the full amount of compensation togetherwith the reasons thereof; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Governemnt to allow interest on delayed payment of the compensation?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा): (क) सूचना अनुबन्ध ''अ'' में सदन के पटल पर रख दी है।

(ख) सूचना अनुबन्ध ''ब'' में सदन के पटल पर रख दी है।

(ग) जी नहीं।

अनुबन्ध ''अ''

क्रमांक	जिला का नाम	उन भू–स्वामियों की संख्या जिनकी भूमि इन वर्शो के दौरान सरपलस घोशित की गई			इन वर्शो के दौरान अदा किए गए मुआवजे की राशि (राशि रूपयों में)		
		1981–82	1982–83	1983–84	1981–82	1982–83	1983–84
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अम्बाला			6			
2	करनाल			2			16694.73
3	कुरूक्षेत्र	9		3			
4	सोनीपत						
5	फरीदाबाद						

6	गुड़गांव						
7	हिसार	16	3	2	23702.49		
8	जींद			21			
9	सिरसा	9	16		9061.23		22461.72
10	भिवानी						
11	रोहतक						
12	महेन्द्रगढ़						

अनुबन्ध ''ब''

क्रमांक	जिला का	उन भू–स्वामियों की संख्या जिन्हें इन वर्शो में पूरा मुआवजा नहीं	पूरा मुआवजा न दिये जाने के

	नाम	दिया गया			कारण
		1981–82	1982–83	1983–84	
1	2	3	4	5	6
1	अम्बाला			6	वर्श 1983–84 के दौरान विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त बन्दी आदेशों के कारण छः भू–स्वामियों को कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया गया।
2	करनाल			2	प्रत्येक भू–स्वामी को मुआवजे की देय एक किश्त अदा की जा चुकी है, शेश 9 किश्तें वार्शिक तौर से अदा कर दी जायेगी।
3	कुरूक्षेत्र	9	3	3	चूंकि इन सभी भू–स्वामियों ने विभिन्न न्यायालयों से बन्दी आदेश

					प्राप्त कर लिये थे जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी सरप्लस भूमि का कब्जा सरकार को नहीं दिया। इसलिये इन सभी भू–स्वामियों को कोई मुआवजा अदा नहीं किया गया।
4	हिसार	16	3	2	मुआवजे की कुछ राशि पहले ही प्रदान की जा चुकी है शेश देय राशि शीघ्र ही दे दी जायेगी।
5	सिरसा	9	16	21	

Annual property statement of H.S.E.B. emplyees

***827. Ch. Balvir Singh Grewal, Sh. Devi Dass**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether the employees of the Haryana State Electricity Board file annual statements of moveable/immoveable property acquired by them during the year; and

(b) if so, the circle-wise details of the cases, if any noticed, where employees as referred to in part (a) above, were found in possession of more properties than their known sources?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला):

(क) हां।

(ख) वांछित सूचना एकत्रित करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा उससे उतना लाभ न होगा।

Profit earned/loss suffered by the milk plants

***904. Ch. Om Parkash**: Will the Chief Minister be pleased to state the yearwise and planntwise details of profit earned or loss suffered by the Cooperative Milk Plants of Haryana State during the years 1982-83, 1983-84 and 1984-85 (to-date)?

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): विवरण सूची सदन के पटल पर रखी जाती है –

सूची

दुग्ध संयन्त्रों द्वारा वर्श 1982–83 से 1984–85 (अब तक) के दौरान उठाई गई हानि का विवरण निम्नलिखित है:–

(रूपये लाखों में)			
संयन्त्र का नाम	1982–83	1983–84	1984–85 (1/85 तक सिर्फ 7 मास) अस्थाई
अम्बाला	40.97	46.77 (बिना आडिट)	13.93
भिवानी	23.20	20.22 (आडिट)	10.55
जींद	71.28	74.48 (बिना आडिट)	शून्य
बल्बगढ़	46.35	43.38 (आडिट)	19.74
रोहतक	81.00	70.11 (बिना	21.80

		आडिट)	

Introduction of Job Oriented System of Education in the State

***973. Ch. Kundan Lal**: Will the Minister of State to Education be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce Job Oriented System of Education in the State; if so, the details thereof; and

(b) whether the Government is aware of the fact the education unemployment is increasing in the State; if so, the steps, if anyh taken or proposed to be taken to eliminate/reduce the said unemployment?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा):

(ए) जी हां। जमा 2 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत 1983–84 के व्यवसायिक कोर्सिज लागू कर दिए हैं। 19 भिन्न–भिन्न व्यवसायों को 5 ग्रुपों में चालू किया गया है। इस समय व्यवसायिक कोर्सिज 29 संस्थाओं में चलाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़ा कर 7वीं पंचवर्शीय योजना अवधि में 77 कर देने का प्रस्ताव है।

(बी) जी हां। शिक्षित बेरोजगारों में बेरोजगारों की समस्या की समाप्त/कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्व–रोजगार स्कीमें क्रियान्वित की गई हैं तथा कुछ अन्य पग भी उठाए जाने प्रस्तावित हैं। इनका विवरण सदन के पटल पर रखा है –

अनुबन्ध ''ए''

1	ग्रामीण उद्योगों के उत्थान के लिए प्रोत्साहनों का पैकेज उपलब्ध करना।
2	मार्जन मनी:7 शिक्षित बेरोजगारों जिनमें टैक्नीकल योग्यता प्राप्त व्यक्ति शामिल हैं, को मार्जन मनी की सहायता देना।
3	इन्जीनियरिंग डिग्री/डिप्लोमा प्रान्त व्यक्तियों को ब्याज अनुदान।
4	शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व–रोजगार प्रदान करना।
5	उद्यमकर्ताओं को औद्योगिक शैडज तथा विकसित प्लाट अलाट करना।
6	खादी तथा ग्राम उद्योग स्थापित करने के लिए कर्जे तथा सहायता उपलब्ध करना।
7	मिनी डेरी: मिनी डेरी ईकाइयां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देना। अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति को यह

	सहायता दी जाती है। बशर्ते कि वह तीन पशुओं की डेरी स्थापित करे, जबकि अन्य जाति से संबंध रखने वाले व्यक्ति को यह सहायता तब दी जाती है, यदि वह पांच पशुओं की डेरी स्थापित करे।
8	बेरोजगार पुरूश/स्त्रियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य पालन इकाइयों की स्थापना।
9	अनुसूचित/पिछड़ी जाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को भिन्न–भिन्न व्यवसायों के अधीन स्व–रोजगार इकाइयां स्थापित करने के लिए मार्जन मनी के रूप में सहायता देना।
इस दिशा में निम्नलिखित अतिरिक्त पग भी उठाए जाने का विचार है–	
1	स्व–रोजगार उपलब्ध करने के उदेश्य से जिला जनशक्ति आयोजना तथा रोजगार उत्पति कौंसिल्ज के काम की समीक्षा करने तथा राज्य में स्व–रोजगार अवसरों की वृद्धि के लिए सुझाव देने के लिए एक राज्य स्तरीय मार्ग दर्शन कमेटी गठन की जानी प्रस्तावित है।
2	स्व–रोजगार प्रोत्साहन के लिए रोजगार केन्द्रों को विभिन्न चरणों में सुदृढ़ किया जाना प्रस्तावित है।

3	राज्य सरकार विदेशों में रोजगार हेतु दक्ष जन–शक्ति का निर्यात करने के लिये रोजगार निदेशालय में एक रोजगार प्रोत्साहन सैल स्थापित करने का विचार रखती है।

Bus stand in Ellanabad

***986. Sh. Bhagi Ram**: Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bus stand in Ellanabad town of district Sirsa; if so, the time by which the said work is likely to be started thereon?

परिवहन मंत्री (कर्नन राव राम सिंह): जी हां। भूमि अभिग्रहण की जा रही है। ज्यों ही अभिग्रहण कार्यवाही पूर्ण हो जाती है और भूमि का कब्जा ले लिया जाता है, निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

सचिव द्वारा घोशणा –

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिए गए बिल संबंधी –

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सैक्रेटरी साहब एक अनांऊसमैंट करेंगे।

सचिव: अध्यक्ष महोदय, मैं उस विधेयक को दर्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अपने चालू (बजट) सत्र

1985 के दौरान पारित किया था और जिस पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं :–

विवरण

दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (न. 1) बिल, 1985

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, रिपोर्टस का एजेण्डा आज आया है। जनाब आज सैशन का भी आखिरी दिन है। इनको हम क्या पढ़ सकते हैं और क्सा इस पर डिस्कशन कर सकते हैं? केवल इन रिपोर्टस के दर्शन ही होंगे। कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ इण्डिया की रिपोर्ट तो क्या बल्कि डिपार्टमैंटस की रिपोर्टस भी हमारे पास नहीं पहुंची हैं। इसलिये स्पीकर साहब, 15 दिनों के बाद फिर सैशन बुलाया जाना चाहिये ताकि इन रिपोर्टस पर पूरी तरह से डिस्कशन हो सके। हम किस तरह से लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे अगर हम यहां पर खुल कर अपने विचार नहीं रखेंगे? मैं यह चाहती हूं कि इस बारे में सरकार के विरूद्ध सख्त से सख्त ऐक्शन लिया जाए। यह तो पूरे प्रशासन को सुधारने वाली बात है। हम किस तरह से बिना रिपोर्टस के यहां पर डिस्कशन करेंगे।

श्री अध्यक्ष: इस बारे में मैंने लिखकर भेजा है और सरकार ने अश्योर करवाया है कि इन फ्यूचर ऐसी बात नहीं होगी।

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब स्पीकर सहाब, एक बात जो कि विधान सभा सचिवाल से कंसर्न्ड है मैं कहना चाहती हूं। हरेक जगह अपोजीशन के लीडर को और ग्रुप लीडरज को कमरे और टेलीफोन तथा दूसरी सुविधाएं होती हैं। हमने यह सुना है कि सरकार हमें ये सुविधायें नहीं देना चाहती। स्पीकर साहब, सब जगह सारे देश में और पार्लियामैंट हाउस में परमानैन्टली लीडर आफ दि अपोजीशन के पास कमरे होते हैं लेकिन यहां पर जनाब सैशन के दौरान भी मुझे कमरा नहीं मिला। यह मैं आपके नोटिस में लाना चाहती थी।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, बहन जी ने वाजिब बात कही और आपने कृपा करके कहा कि आपने उनको रैप्रिमांड किया है और उन्होंने यह कहा कि आइन्दा से ऐसी गल्ती नहीं होगी। स्पीकर महोदय, यह तो बात निश्चित है कि डैमोक्रेसी मैं सरकार बाई डेलीब्रेशन होती है अगर डेलीब्रेशन ही न होगी तो सरकार क्या करेगी? स्पीकर साहब, बड़ी ही मेहनत से सब कमेटी ने डिपार्टमैंटस से रिपोर्ट बनवाई ओर आज बिजली बोर्ड की ऐनुअल रिपोर्ट आ रही है। बिजली बोर्ड के बारे में आज हमें यहां पर सुरजेवाला साहब यकीन करने को कहते हैं कि आगे से प्रोडक्शन बढ़ रही है लेकिन साहब हरियाणा के खेतों के टयूबवैल्ज का पानी न होने से धूल उड़ेगी, हरियाणा के सारे कारखाने बन्द मिलेंगे, घरों में अन्धेरा हो जाएगा और यह हमें फिर भी समझाने की कोशिश करेंगे कि आगे से ज्यादा यूनिट बिजली प्रोडयूस होती

है। सर हम एनुअल रिपोर्टस पढ़ेंगे और उसके बाद अपनी कोई राय कायम करेंगे। रूल 84 रूल्ज आफ प्रोसीजर में इसलिये प्रोवाइडिड है कि कोढ भी स्टेटमैंट या ऐसी कोई सिचुएशन या कोई ऐसी किताब सदन के सामने यदि आती है तो उस पर सदन में चर्चा की जा सकती है लेकिन हम तो आज सारी बाता से डिप्राइव्ड हो गये हैं। मेरी सबमिशन है कि अगर इन्होंने कोई अश्योरैन्स दी है तो एक हफ्ते के लिये फिर सैशन बुला लीजिये या इसको एक हफ्ते के लिए और बढ़ा लीजिये या चार दिन बढ़ा लीजियेगा। आज तो स्पीकर साहब, नान स्टौप सैशन के लिये बहुत बिजनैस है। ठीक है आपने हमें रोटी तो खिला देनी है (हंसी) लेकिन हममें अपना माइंड ऐप्लाई करने के लिये भी तो टाईम चाहिये। यह थोड़ा है कि हम हां ही मिलाते जाएंगे आफटर आल इस हाउस का टाईम बड़ा ही वैल्युएबल है। लोग हम से यह ऐक्सपैक्ट करते हैं कि जो हमारे मैम्बर्ज हैं वे डिस्कशन में कुछ कंट्रीब्यूट करें, अपने ऐंगल से कोई बात कहें। आप भी स्पीकर साहब, इस बात को ऐप्रिशिएट करेंगे। इनके पास तो ब्रीफ करने के लिये, पर्सनल सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी सैक्रेटरी, ज्वायंट सैक्रेटरी और सैक्रेटरी तक की काफी लम्बी कतार है, लेकिन हमने तो सब कुछ खुद ही करना है। इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस बात को मदेनजर रखते हुए हाउस को तीन–चार रोज के लिये बढ़ा दिया जाए ताकि यहां पर सभी रिपोर्टस पर डिस्कशन हो सके। इसके साथ–साथ मुझे एक और सबमिशन करनी थी। ट्रिब्यून पेपर में छपा है कि सैन्ट्रल कैबिनेट की सब कमेटी नेक्सट

वीक पंजाब विजिट करेगी। मैंने इस संबंध में रूल 73 के तहत एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस भी दिया है। शायद आपके सचिव महोदय आपको बताएंगे कि उसे मैंने 9 बजे दिया है या 9 बजकर 10 मिनट पर दिया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, 9.20 पर आपका वह मोशन आया है लेकिन उस समय मैं क्वैश्चनज को देख रहा था।

श्री मंगल सैन: मेरा एक काल अटैन्शन मोशन का नोटिस और भी है जोकि मैंने कल का दिया हुआ है। उसको तो 24 घंटे हो गये हैं। सिरसा में सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था।

श्री अध्यक्ष: वह डाक्टर साहब मैंने डिस अलाऊ कर दिया है।

श्री मंगल सैन: पर सर उसकी खबर तो मुझे दे दी होती। मैंने उस काल अटैन्शन मोशन का नोटिस तो इन टाईम दिया था।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, अब तक आपको सूचना पहुंच गई होगी।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, हमने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा के बाहर वाहवाही लेने के लिये बड़े लम्बे चौड़े ब्यान अखबारों में छपवाते रहते हैं। पंजाब में सैन्ट्रल

कैबिनेट की सब–कमेटी आने वाली है। उसके सामने क्या–क्या मुददे पेश किये जाएंगे, ये खुद ही चुपके से उनसे बात कर लेंगे या हमको भी कान्फीडैन्स में लेंगे, कब मीटिंग रखेंगे, क्या मामला है इन सारी बातों के बारे में सरकार अपना स्टैन्ड तो कलीयर करे?

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, वह तो इन्होंने पहले अश्योर किया है कि सरकार आपको कान्फीडैन्स में लेकर सब कुछ करेगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मैं भी एक गुजारिश करना चाहता हूं। जैसा कि अपोजीशन के लीडर और डाक्टर मंगल सैन जी ने आपसे कहा कि जो रिपोर्टस हैं, वे हमें आज ही, यहां सदन में मिली हैं। आज सैशन का आखिरी दिन है। आपने वाजिब फरमाय है कि आपने उन्हें कहा है और उन्होंने आपको अश्योर किय है कि आगे से ऐसी गलती नही होगी लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन् 82 से, जब से यह विधानसभा शुरू हुई है, ये हर सत्र में इसी तरह आखिरी दिन रिपोर्टस ले–डाऊन करते रहे हैं। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता देना चाहता हूं कि इनकी कापियां तो अभी भी हमारे पास नहीं पहुंची हैं। जब हाउस की सीटिंग खत्म होने वाली होती है तो आखरी दिन यह एजेण्डा हमारे सामने आ जाता है और आई बार आप इनको इस बारे में लिखते भी हैं, इनको रैप्रिमांड भी करते हैं लेकिन सरकार का ऐटीच्यूड वही का वही है। स्पीकर साहब, आप ही बताएं कि अगर इनका इसी तरीके से काम चलता रहना है तो हमारे यहां पर बैठने

का क्या लाभ? फिर तो फिजूल ही हम यहां पर आते हैं और उसका लोगों पर टैक्स पड़ता हैं। जो भत्ता वगैरह हमें मिलता है, उसके हिसाब से हम कोई डेलीब्रेशन यहां नहीं कर पाते लेकिन आपकी पोजीशन भी टाईट सी है। आप जितना अपने पार्ट पर कर सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी रिक्वैस्ट है कि सरकार को उसके इस कंडक्ट के लिये कम से कम सैन्सर तो किया जाए। सरकार का इस तरह से समय पर रिपोर्टस सदन में न देना और फिर फटाफट सारा काम खत्म करके 6 महीने क लिये छुट्टी ले जाना कोई तौर तरीका नहीं है। अगर इनको कोई जल्दी है और आज इन रिपोर्टस पर डिस्कशन नहीं हो सकती है तो 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, महीने या दो महीने के बाद सरकार फिर सैशन बुलाए ताकि पूरी तरह से इन रिपोर्टस पर डिस्कशन हो सके। आज तो अगर हम इनको कहेंगे तो यह सैशन को नहीं बढ़ायेंगे और न ही हम इनको इसके लिये मजबूर करना चाहते हैं लेकिन 10 दिन, 20 दिन या एक महीने के बाद ये सैशन बुला लें ताकि इन रिपोर्टस पर पूरी तरह से खुलकर डिस्कशन हो सके और हमें भी खुला टाईम बोलने के लिये मिल जाए ताकि हम भी लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को निभा सकें।

स्पीकर साहब, एक सवाल लीडर आफ दि अपोजीशन का यह भी था कि उन्हें विधान सभा में अलग से कमरा नहीं दिया गया है और पिछली बार आपने शायद फरमाया भी था कि उन्हें कमरा दिया जाएगा। (शोर)

श्री अध्यक्ष: कमरा तो बहन जी को दिया गया था लेकिन वह कमरा इनको पसन्द नहीं आया। यह बात नहीं कि इनको कमरा दिया ही नहीं गया। दरअसल बात यह है कि जो कांग्रेस पार्टी वाला कमरा है, इनकी डिमांड थी कि वह कमरा इन्हें दिया जाए। मेरी भी कुछ मजबूरी है कि जो असूल बने हुए हैं, उनके मुताबिक मुझे चलना पड़ता है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इनको कमरा दिया ही नहीं गया।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, टेलीफोन की सुविधा कोई नहीं है। विधानसभा का सैशन चह रहा है। हमें कोई इंफर्मेशन लेनी पड़ती है या देनी पड़ती है तो हम टेलीफोन कहां से करें? एक टेलीफोन गेट पर रखा हुआ है लेकिन वहां जब हम टेलीफोन करने जाते हैं तो वहां पर तीन चार आदमी कोई पट्टे बांध कर और कोई बन्दूक लिये खड़े होते हैं। सभी जगह पर हथियार लिये लोग खड़े हुए होते हैं और वहां पर हम टेलीफोन नहीं कर सकते। जो कमरा आपने हमें अलाट किया था वह चूंकि ठीक नहीं था इसलिये वह हमें पसन्द नहीं आया। लाईब्रेरी के साथ, स्पीकर साहब, बहुत सारी जगह खाली पड़ी है। वहां आप हमें एक अच्छी जगह कवर करवा दें और लीडर आफ दि अपोजीशन को दे दें।

श्री अध्यक्ष: आपने टैलीफोन की बात करते हुए कहा कि वहां पर बन्दूकों वाले खड़े हैं। आप सब सहमत होंगे कि ला एंड आर्डर की प्रौब्लम को देखकर सिक्योरिटी रखनी बहुत जरूरी है।

दूसरी बात सैपरेट टेलीफोन के बारें में कही गई। मैडम के कमरे में टैलीफोन लगा रखा है। न वह कमरा खराब है और न ही डिलैपिडेटिड कंडीशन में है। हां इतना जरूर है कि जितना दूसरा कमरा बढ़िया है उतना बढ़िया वह कमरा नहीं है। लेकिन उसमें सुविधाएं सारी हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, एक गुजारिश मैंने यह करनी थी कि हमारे इस हाउस के आनरेबल मैम्बर श्री लछमन सिंह कम्बोज हैं। वे तीन साल से एम.एल.ए. हैं। आपने भी बार बार कह दिया और लिख कर भी कोशिश की कि उनको टेलीफोन मिल जाए to which he is entitled being a Member, लेकिन आज तक गवर्नमैंट की तरफ से कोई रिसपौंस नहीं आया है। तीन साल की उनकी टर्म पूरी हो चुकी है और दो साल की बाकी रहती है लेकिन उनको टैलीफोन अब तक नहीं मिला है। हाई कोर्ट तक वे घूम आए, आपसे भी फोलडिड हैंड रिक्वैस्ट कर ली ओर आपने भी अपना पूरा जोर लगाया, गवर्नमैंट को लिखा कि मैम्बर को टैलीफोन जरूर दें लेकिन फिर भी नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि दो, तीन और चार तारीख को पंजाब की विजिट पर थ्री मैन कमेटी आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने एक राग अलापना शुरू किया था महा पंजाब का। वह कमेटी इतने इम्पोर्टैंट इशू पर आ रही है लेकिन ये महा पंजाब का राग अलापेंगे। इन्होंने अश्योर किया था कि पंजाब की प्रौब्लम पर जब कोई बात होगी तेा अपोजीशन के लोगों को कान्फीडैंस में लेंगे। स्पीकर साहब, आज हाउस डिस्पर्स

होने जा रहा है क्योंकि सैशन का आखिरी दिन है। हम लोग अपने अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन अब हमने इनके नोटिस में बात ला दी है कि कमेटी आ रही है तो ये कुछ जागे हैं वरना हम चले जाते और ये अपना महा पंजाब का राग अलापत रहते। तो सर इसमें हरियाणा का इन्ट्रैस्ट इनवाल्वड हैं इसलिये सरकार इस पर भी आज ब्यान दे।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, आपने जो कमरे की बात फरमाई, मैंने आपको लिखकर भेजा था कि वह कमरा रैम्प के नीचे है।* * * * वह कमरा लीडर आफ दी अपोजीशन के स्टेटसा के मुताबिक नहीं है, रैम्प के नीचे है और खोखे जैसा लगता है। उसमें बैठने की सुविधा नहीं है। मैंने जिस दूसरे कमरे की बात कही थी वह खाली पड़ा है, उसमें कभी कोई बैठा नहीं और न ही कोई मीटिंग हुई है। सारे देश में ग्रुप लीडर्ज के भी विधान सभाओं में कमरे हैं। मैं इसीलिये यह बात आपके नोटिस में लाई थी।

श्री अध्यक्ष: आप ज्वायंट पंजाब में भी हाउस की मैम्बर थीं। जिस वक्त बंटवारा हुआ तो आपने चौथा हिस्सा भी इस बिल्डिंग का नहीं लिया। अब मेन बिल्डिंग पंजाब के पास है और वे हमें नजदीक भी नहीं आने देते। जो कमरा रैम्प के नीचे है वह मैंने तीन चार बार देखा है। वह इतना बढ़िया तो नहीं हैं लेकिन उसमें सुविधाएं सारी हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपने वजह फरमाया कि उस वक्त की रूलिंग पार्टी ने या चीफ मिनिस्टर ने बंटवारे के समय कोई इन्ट्रैस्ट नहीं लिया। (विघ्न) यह आपने राइटली कहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब विधान सभा आज कल तो वैसे सस्पैंडिड है लेकिन वहां पर अकाली दल के लिए अलग कमरा है, सो.पी.आई. और सी.पी.एम. पार्टी यानी हर पार्टी के लिए अलग–अलग कमरे हैं।

श्री अध्यक्ष: वह तो मैंने बताया ही है कि मेन बिल्डिंग उन्हीं के पास है।

श्री मंगल सैन: मैं अर्ज कर रहा था कि ग्रुप लीडर्ज को भी कमरे मिलने चाहिएं।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई कमरा दिया जाता है तो उसे आप पसंद नहीं करते।

श्री मंगल सैन: हमारे पंसदगी की क्या बात है, हमारी क्या औकात है, आप जो हुक्म करेंगे हमने मानना है। एम.एल.ए. फ्लैट के लिए मैंने कई बार दर्खास्त दी लेकिन मुझे कभी नहीं मिला .....

श्री अध्यक्ष: डा. साहब वह अलाटमैंट तो हाई कोर्ट के आर्डर्ज के मुताबिक हुई है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने पुरानी जीप के लिए जनवरी, 1984 में ऐप्लीकेशन दी और मुझे अब जाकर चिट्ठी मिली जब मैं हस्पताल में था। उन्होंने कहा कि आप गाड़ी ले जाओ। उससे पहले मैं सैक्रेटरी साहब के पास आया। इन्होंने कहा कि हमने डिफैन्स मिनिस्टरी को चिट्ठी लिख दी है। मैंने कहा साहब आप ऐक्सपीडाइट करवाने के लिए डायरैक्टर को चिट्ठी लिख दी है। मैंने कहा साहब आप ऐक्सपीडाइट करवाने के लिए डायरैक्टर को चिट्ठी लिख सकते हैं या मुख्यमंत्री जी, जिनके श्री राजीव गांधी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, से कहलवा सकते हैं। कल ही की और बात है जब शाह कमीशन द्वारा हरियाणा की अवार्ड किए गए एरियाज के बारे में प्रस्ताव पर डिस्कशन होनी थी। * * * * मीसा के दिनों में एक शाह कमीशन एप्ववायंट हुआ था उसकी रिपोर्ट भेज दी। उसमें लिखा हुआ था कि @ @ @ @ एक एम्पलायमैंट अफसर के बारे में कहा कि इसको मीसा में बन्द कर दो।

श्री अध्यक्ष: यह नाम रिकार्ड में नहीं आएगा।

श्री मंगल सैन: * * * * । आप मुझे कहेंगे कि आपको लाइब्रेरी कमेटी का मैम्बर बनाया था लेकिन आप नहीं आए। उस बात को मैं यहां नहीं कहना चाहूंगा। (विघ्न) * * * * उनसे मैंने एक मार्च को चिट्ठी लिख कर बिजली बोर्ड के बारे में कुछ सूचना मांगी थी जिसका जवाब कल यानि 28 तारीख को मिला है जबकि मार्च दम तोड़ने को है क्योंकि आज 29 तारीख हो गई है। यह

एफीशिएंसी है। स्पीकर साहब, * * * * तो हमारे बस की बात कहां है? सर, यह बड़ा सीरियस मैटर है। आप इस बारे में राय बनाकर हुक्म दीजिये। इसके अलावा हमने जो रिपोर्टस के बारे सबमिट किया है उनको हमें थौरोली पढ़ कर आने का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात आ गई है। आप बैठिए।

वैयक्तिक स्पश्टीकरण –

श्री लछमन सिंह द्वारा

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। कल मैं यहां नहीं था और चौधरी लाल सिंह ने कुछ रिमार्कस कहे थे जिनमें @ @ @ @ का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था कि मैं @ @ @ @ बोलता हूं। वहां पर एक ही कम्यूनिटी के चार मैम्बर नौमिनेट हुए हैं जोकि हमारे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जो @ @ का शब्द इस्तेमाल किया गया था उसे काट दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: अगर ऐसा शब्द कहा गया होता तो उसे निकलवा यिदा जाएगा।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

श्री निर्मल सिंह: स्पीकर साहब, मैं एक गम्भीर मसला आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सुबह गोरसिया गांव की पंचायत मेरे पास आई थी। वहां पर 1703 कनाल 14 मरले पंचायत की

भूमि है जो क्लेम के नाम पर एक बहुत सीनियर अफसर ने अपने नाम करवा ली है। एस.डी.एम. अम्बाला ने पंचायत के नाम स्टे दे दिया। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी गहराई में जाए। इसमें एक एडीशनल सैशन जज, एक फतेहाबाद का ऐक्स एम.एल.ए. और फतेहाबाद की ही एक और पार्टी इन्वौल्वड है।

इसके अलावा, स्पीकर साहब, मैं एक दरख्वास्त और करना चाहता हूं कि अम्बाला जिला और कुरूक्षेत्र जिले के कुछ हिस्से की सिंचाई करने के लिए दादुपुर के स्थान से एक नहर निकाली जाएगी। मैं सिंचाई तथा बिजली मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस नहर की खुदाई के लिए 7वीं पंचवर्शीय योजना में कितने पैसे का प्रावधान किया गया है और वर्श 1985–86 के लिए कितना पैसा रखा गया है ताकि उसकी खुदाई का काम शुरू हो सके? जिस समय उन्होंने इस बारे में बताया था उस समय कोई सैटिसफैक्टरी बात नहीं बताई थी। अब वे उस बारे में स्थिति स्पश्ट करें।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, माननीय सदस्य की पहली बात के बारे में मुख्यमंत्री जी बताएंगे लेकिन इनकी दूसरी बात के बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि अम्बाला जिला और कुरूक्षेत्र जिले के कुछ हिस्से की सिंचाई के लिए दादुपुर से जो नहर निकाली जाएगी उसके लिए 1985–86 में जितने पैसे का प्रावधान किया गया है उसके बारे में और इस नहर की खुदाई के लिए 7वीं

पंचवर्शीय योजना में जितना पैसा रखा गया है उसके बारे में मैंने अच्छी तरह से बता दिया था। जिस समय मैंने इस बारे में बताया था उस समय शायद माननीय सदस्य हाउस में नहीं बैठे थे। इसके अलावा स्पीकर साहब, अपोजीशन लीडर और ग्रुप लीडर्ज ने दो तीन मुद्दे उठाए हैं। एक बात इन्होंने विधान सभा में अपोजीशन लीडर को आफिस के लिए कमरा अलाट करने की बात कही और डाक्टर मंगल सैन जी ने कहा कि पंजाब में ग्रुप लीडर्ज को आफिस के लिए अकोमोडेशन मिली हुई है। स्पीकर साहब, मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये अब खरगोश की नींद से उठे हैं। हरियाणा तो 1966 में बना था। उकसे बाद दो अढ़ाई साल तक इनका भी राज रहा है। इन्होंने अपने समय में कितने लीडर्ज को या अपोजीशन लीडर को आफिस के लिए कमरे अलाट किए थे? पंजाब में तो सैशन के दौरान असैम्बली सैक्रिटेरिएट के अन्दर सभी मिनिस्टर्ज केा कमरे मिलते हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, जिस समय हमारा राज था उस समय तो यह था कि डाक्टर की सलाह मानिए, एक, दो तीन बस। (हंसी)

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, उस समय हम इनके लिए तीन ही काफी थे। हम तीन ही इनको फिट कर देते थे। इन चुनावों में इनकी पार्टी के सारे हिन्दुस्तान में दो ही मैम्बर आए हैं। हम तो तीन थे। मैं कह रहा था कि पंजाब में मिनिस्टर्ज को भी असैम्बली सैक्रिटेरिएट में आफिस के लिए कमरे

मिलते हैं। सैशन के दौरान वे अपने कमरों में आकर काम करते रहते हैं लेकिन हरियाणा विधान सभा सचिवालय के अन्दर मिनिस्टर्ज को भी आफिस के लिए कमरे नहीं मिलते हैं क्योंकि यहां पर कमरों की दिक्कत है। हमें पार्टीशन के दौरान यहां पर अकोमोडेशन कम मिली थी और उस समय जो जगह मिली थी उसी में काम चलाना पड़ेगा।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा इनसे जानना चाहता हूं कि जिस समय पार्टीशन हुआ उस समय कया रूलिंग पार्टी सोई रही?

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: डा. साहब आप भी शुरू से मैम्बर हैं। आपने 18 साल में कोई बात नहीं की। क्या आप उस दौरान सोए रहे? इसके अलावा, स्पीकर साहब, इन्होंने हाउस के बिजनैस के बारे में बात कही कि 29 तारीख को कौन कौन से बिल पेश होंगे। जो बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मिटिंग हुई थी, उसके फैसले पर सभी मैम्बर्ज से सहमति जाहिर की थीं और उसकी रिपोर्ट को हाउस ने एडाप्ट किया है। स्पीकर साहब, अपोजीशन वाले आज सैशन के आखरी दिन सो कर जागे हैं और यह कह रहे हैं कि सैशन का टाईम और बढ़ा दें।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहूंगी कि मैं बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में देर से पहुंची थी क्योंकि टोहाना का चुनाव चल रहा

था। मैं आपके नोटिस में यह बात लेकर आई थी कि मैं बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में समय पर नहीं पहुंच सकी, देर से पहुंची हूं, जो फैसला हुआ वह मेरे आने से पहले हो गया था। मैंने यह बात स्पीकर साहब, ने नोटिस में ला दी थी। यह बात हाउस के रिकार्ड में है। आपने किसी भी डिपार्टमैंट की एक भी रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी है। मैंने पिछले सैशन में भी स्पीकर साहब के नोटिस में यह बात ला दी थी कि किसी भी डिपार्टमैंट की वार्शिक रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी गई है। आपकी यानि सरकार की यह आदत बन गई है, आप हाउस की टेबल पर किसी भी डिपार्टमैंट की सालाना रिपोर्ट नहीं रखते हैं। इसके अलावा, मैं एक बात यह कहना चाहती हूं कि जिस समय पार्टीशन हुआ उस समय अकोमोडेशन के बारे में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर से गलतीर हो गई या उस वक्त के स्पीकर साहब से गल्ती हो गई। वे लोग चूंकि इस वक्त पावर में नहीं हैं इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूं। अब आप पावर में हैं। आप अब और कमरे ऐड करवा लें। मैं यह कहना चाहूंगी कि केवल अपोजीशन लीडर को ही नहीं बल्कि ग्रुप लीडर्ज को भी आफिस के लिए अकोमोडेशन मिलती है। यह उनका हक है। लेकिन आप लोग स्पीकर साहब को हमें आफिस के लिए अकोमोडेशन नहीं देने देते हैं।

श्री नेकी राम: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। इन्होंने कहा कि उस समय स्पीकर साहब से गलती हो गई। यह बात कार्यवाही से निकाल दी जाए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए।

चौ. सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, 1967 में जिस समय विधान सभा का अलग इजलास होने लगा था उस समय चन्द्रावती जी भी पावर में थीं। उस समय ये चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी थीं और उसके बाद मिनिस्टर भी रही है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं प. भगवत दयाल शर्मा की गवर्नमैंट में नहीं थी। मैं यह नहीं कहती कि पं. भगवत दयाल शर्मा या श्रीमती शन्नो देवी इस बात के जिम्मेदार थे।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, इसके अलावा मैं यह कहना चाहता था कि जो बिल हैं वे आलरेडी हाउस में मूव हो चुके हैं और जो एक या दो बिल और जो हम लेकर आए हैं वे मैम्बर्ज की पैंशन वगैरह रेज करने तथा दूसरी सुविधाएं देने के बारे में हैं। यदि अपोजीशन के भाई उनके बारे में सहमत नहीं हैं तो हमें कोई एतराज नहीं ये उनको अपोज करें। उनके अलावा जो दो रिपोर्टस हैं उनके ऊपर डिस्कशन के लिए डाक्टर साहब और दूसरे माननीय सदस्यों ने नोटिस दे रखे हैं। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे अपोजीशन के भाई राई का पहाड़ बना रहे हैं। इसमें कौन सी ऐसी बात है हाउस एक्सटैंड करने की

जिसके लिए ये कह रहे हैं। स्पीकर साहब, आप हर रोज देखते हैं कि जिस वक्त हाउस में डिस्कशन होती है उस समय मेरे अपोजीशन के भाई हाउस के अन्दर बहुत कम बैठते हैं। इनकी पार्टी के मुश्किल से 1/10 मैम्बर्ज हाउस में रहते हैं। स्पीकर साहब, कल आपने देखा भी होगा कि जब इनके प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी उस समय अपोजीशन बैंचिज खाली पड़े थे। हार्डली 4–5 मैम्बर अपोजीशन बैंचिज पर थे। आज इन सब ने बसों की टिकटें ले रखी हैं और हाउस को छोड़कर जाने वाले हैं। (हंसी) शायद 12.00 बजे ये यहां से चले जाएंगे। स्पीकर साहब, मेरे अपोजीशन के साथियों का यह कहना कि हाउस बहुत थोड़ा चला है ठीक नहीं और इसका कोई ग्राउंड नहीं है। इनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हाउस काफी समय तक चला है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरा यह कहना है कि पार्लियामैंटरी अफैयर्ज मिनिस्टर रैडीकूल कर रहे हैं कि हमने टिकट ले रखी है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि हमने किस चीज की टिकट ले रखी है? क्या हमने लाडो बसन्ती की टिकट ले रखी है? (हंसी) इसके अलावा स्पीकर साहब मैंने आपकी सेवा में एक काल अटैंशन मोशन का नोटिस दिया हुआ है। हाई कोर्ट ने महर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हआ दिया है। अब हय सरकार हाई कोर्ट की जजमैंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाए एक आर्डीनैंस द्वारा उनकी अप्वायंटमैंट कंटीन्यू करना चाहती है। उस बारे में आपने क्या फैसला लिया है?

श्री अध्यक्षः वह अभी मुझे मिला नहीं है। जब मिल जाएगा तो मैं उसे कंसिडर करूंगा।

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, डा. मंगल सैन और दूसरे अपोजीशन के साथियों ने सैन्ट्रल कैबिनैट की थ्री मैन सब–कमेटी के बारे में एक खदशा जाहिर किया कि वह पंजाब में स्थिति का जायजा लेने के लिए आ रही है और पता नहीं हरियाणा सरकार ने या मुख्यमंत्री ने अन्दरखाने उनके क्या बात की है या बात करेंगे और कभी ये कहते हैं कि हम महा पंजाब की बात करेंगे। मैं सदन को बताना चाहूंगा और सदन उस बात से सहमत होगी कि पहले पंजाब और हरियाणा के जितने झगड़े थे उनके बारे में जब भी कोई मीटिंग हुई, उसमें सारे अपोजीशन के लीडर्ज को बुला करके, उनके साथ मीटिंग करके, उनको विश्वास में ले करके, उनको अपने साथ ले जा करके, उनके साथ मीटिंग करके, उनको विश्वास में ले करके, उनको अपने साथ ले जा करके, हमने मीटिंज की हैं। यह रिकार्ड की बात है। इस बात को डा. मंगल सैन जी भी मानैंगे। इसके अलावा मैं यह बताना चाहूंगा कि यह जो थ्री मैन कमेटी बनी है इस कमेटी को मैंने पत्र लिखा है कि कोई भी फैसला करने से पहले हरियाणा गवर्नमैंट को सुना जाए। हमने उस पत्र के जरिए यह कहा है कि हमें बुलाया जाए। उसके बाद कोई फैसला किया जाए। उनकी तरफ से हमारे पास चिट्ठीक आ गई है। अगर कोई माननीय सदस्य उस चिट्ठी को देखना चाहे तो वह मेरे पास दफतर में देख सकते हैं। मैं यह

चिट्ठी उन्हें दिखा दूंगा। श्री एस.बी. चव्हाण की तरफ से वह चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी पर उनके दस्तखत हैं। उस चिट्ठी में उन्होंने यह कहा है कि जब भी हम कोई ऐसी बात करेंगे तो हरियाणा गवर्नमैंट को जरूर सुनेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हरियाणा के साथ बैठकर बात करके उसके बाद कोई निर्णय करेंगे। बगैर सुने कोई निर्णय नहीं लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर दोबारा कहता हूं कि वह कमेटी जब भी कोई ऐसी बात का फैसला करेगी उससे पहले हमारे से पूछेगी, बगैर पूछे कोई फैसले की बात नहीं करेगी। वह कमेटी पंजाब में जा रही है। वह पंजाब के लोगोंं से पूछेगी कि उनकी क्या भावना है, पंजाब के लोग क्या चाहते हैं? किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले वह कमेटी हरियाणा से जरूर बात करेगी। अगर वह कमेटी हरियाणा के सामने कोई प्रोपोजल रखेगी तो वह सारी प्रोपोजल आपके बीच में बैठ करके, जितने भी अपोजीशन पार्टीज के लीडर हैं उनके साथ बैठ करके उस बारे में मीटिंग करेंगे और उनकी जो सलाह होगी वह भारत सरकार के सामने रखेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपोजीशन लीडर्ज को अपने साथ ले करके जाएं और उसके साथ बैठ करके मीटिंग करें। मैं यह विश्वास सदन को दिलाना चाहता हूं। (विघ्न)

श्री मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन्शन मोशन दिया था।

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाएं। अभी सी.एम. साहब अपनी बात कह रहे हैं।

चौ. भजन लालः अध्यक्ष महोदय, वह चिट्ठी @ मेरे पास इस समय नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि एक घंटे के अन्दर उस लैटर को आफिस से मंगा कर हाउस में पढ़ कर सुना दूंगा। दूसरी बात इन्होंने सैशन के बारे में कही है। सैशन की अवधि बढ़ाने के बारे में या न बढ़ाने के बारे में चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने सारी बातें हाउस में बता दी थीं। जो आजतक का बिजनैस था वह जिस दिन बी.ए.सी. की मीटिंग हुई थी, उसमें इसका फैसला ले लिया गया था। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब से हरियाणा बना है तब से लेकर आज तक चाहे हमारा शासन रहा है या इनका शासन रहा है रिकार्ड उठाकर देख लें कि इतना लम्बा सैशन जब से हरियाणा बना है तक से लेकर आज तक नहीं चला। अध्यक्ष महोदय, इस बार सबसे ज्यादा लम्बा सैशन चला है।

श्री निहाल सिंहः स्पीकर साहब, इस बार लम्बा सैशन इसलिए चला है क्योंकि अब ऐन्टी डिफैक्शन बिल पास हो गया है।

चौ. भजन लालः इसका लाभ तो आप लोगों को हुआ है। (विघ्न) यह हकीकत है नहीं तो आपकी तरफ के आधे मैम्बर इधर होते।

श्री वीरेन्द्र सिंह: इस बिल के पास होने पर कांग्रेस पार्टी को लाभ हुआ है या नहीं हुआ है वह अलग बात है। * * * *

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड पर नहीं आयेगा।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, अभी चीफ मिनिस्टर साहब, ने हाउस में फरमाया है कि एक तीन मैम्बर सब कमेटी पंजाब में जाकर कर वहां के लोगों के विचार लेगी। इन्होंने इस बारे में यह कहा है कि हम भी हरियाणा प्रदेश के सारे लीडर्ज को साथ लेकर इस बारे में उनसे बात करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब वह कमेटी पंजाब में जाकर अलग अलग लोगों से पूछेगी तो क्या चीफ मिनिस्टर साहब, उस कमेटी को कहेंगे कि इस मसले पर फैसला करने से पहले हरियाणा के लोगों के भी विचार जान लिए जाएं क्योंकि यह मामला हरियाणा से संबंध रखता है और इसमें हरियाणा के इन्ट्रैस्ट जुड़े हुए है? साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि इस मामले में हरियाणा मेन टारगैट है।

श्री अध्यक्ष: सी.एम. साहब ने कह दिया है कि इस मामले में सबको कान्फीडेंस में लेकर ही कोई फैसला करेंगे।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर सर, वह तो ठीक है कि ये सभी पार्टीज के लीडरों को साथ लेकर कोई फैसला लेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब वे कमेटी पंजाब के लोगों के विचार लेगी तो क्या हरियाणा के लोगों के विचार लेने के लिए भी सी.एम. साहब उस कमेटी को कहेंगें?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, उन्होंने अभी हमारे पास लिख कर कुछ नहीं भेजा है कि वे पंजाब में आ रहे हैं। अखबारों में जो पढ़ा है उसी के आधर पर हमने उनको लैटर लिखा है कि जब भी कोई फैसला लिया जाये तो हरियाणा को भी सुना जाये। वह कमेटी पंजाब में मुख्तलिफ जगह पर जा जाकर वहां के लोगों का हाल चाल और उनकी भावना को पूछेगी। उसके बाद यदि उन्होंने हरियाणा में आना उचित समझा तो वह कमेटी हरियाणा में भी जगह जगह जा सकती है।

श्री लछमन सिंह: मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वह कमेटी हरियाणा में जगह जगह ने गई तो क्या उसको हरियाणा के देहात में जाने के लिए आप प्रैस करेंगे?

चौ. भजन लाल: हमने बाकायदा उनको चिट्टी लिखी है कि हरियाणा को सुने बगैर कोई फैसला न लिया जाये। अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम उस कमेटी को जरूर कहेंगे कि हरियाणा के लोगों के भी इस बारे में विचार लिए जाएं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हरियाणा के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और सारी पार्टी के नेताओं को विश्वास में लेकर ही उनसे बातचीत की जायेगी। अकेले सरकार अपने लैवल पर कोई फैसला करने वाली नहीं है।

स्पीकर साहब, एक बात लछमन सिंह कम्बोल के टैलीफोन न लगाये जाने के बारे में कही गई है। इस बारे में मुझे

जानकारी नहीं थी। हो सकता कि जहां पर ये टैलीफोन लगवाया चाहते हों वह नियमों के अनुसार ठीक न पड़ती हो यानि ये नियम पूरे न करते हों।

श्री मंगल सैन: एम.एल.एज. को हर जगह टैलीफोन मिल सकता है।

चौ. भजन लाल: आपकी बात ठीक है। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती हे कि इतने किलोमीटर की लम्बाई तक एम. एल.एज. को टैलीफोन मिल सकता है। हो सकता है कि टेलीफोन विभाग 5 कि.मी. के फासले तक ही टेलीफोन लगा सकता हो। जहां पर ये टेलीफोन लगवाना चाहते हों वह जगह 20 कि.मी. की दूरी पर पड़ती हो जिस कारण टेलीफोन न लग पा रहा हो। मैं इस बारे में इतना ही कह सकता हूं कि यदि नियमों के अनुसार इनको टेलीफोन मिल सकता हो और कोई दिक्कत न आती होगी तो एक महीने के अन्दर–अन्दर जरूर टेलीफोन लगवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, निर्मल सिंह जी ने यहां पर एक गांव की पंचायत की जमीन के बारे में जिक्र किया है कि उस जमीन पर ऐक्स एम.एल. एज. ने और बड़े–बड़े अधिकारियों ने कब्जा कर लिया है। मैं इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि हम इसकी पूरी जांच करवायेंगे। इसमें किसी के साथ ज्यागती और बेइन्साफी वाली बात नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, जहां तक लछमन सिंह कम्बोज के टेलीफोन लगने की बात है, उसके बारे में मैं बताना

चाहूंगा कि इन्होंने टेलीफोन लगाने के लिए ऐसी जगह दी हुई थी जो टेलीफोन एक्सचेंज से बहुत दूर पड़ती थी। मैंने अपनी तरफ से कम से कम 30 चिट्ठियां टेलीफोन डिपार्टमैंट को लिखी हैं कि हमारे एम.एल.ए. साहब का टेलीफोन जल्दी से जल्दी लगना चाहिए। इन्होंने टेलीफोन लगवाने के लिए जो जगह दी हुई थी वह बहुत दूर पड़ती थी जिस कारण टेलीफोन डिपार्टमैंट ने उस जगह पर टेलीफोन लगाने के दिक्कत जाहिर की थी और कहा था कि से जगह पर इतने लाख रूपये लगेंगे। इस बारे में मैं समय समय पर इनकी तसल्ली करवाता रहा हूं। हमारी पूरी कोशिश रही है कि इनका टेलीफोन जल्दी से जल्दी लगना चाहिए, हालांकि मुझे पता है कि इन्होंने मेरे बारे हाईकोर्ट में काफी कुछ कहा था। जब जजिज ने मेरे द्वारा इतने रिमाइन्डर लिखे हुए पाये और सैक्रेटरी विधान सभा को स्पैशली अम्बाला में इनके टेलीफोन लगवाने के लिए भेजा हुआ पाया तो इनकी प्ली रिजैक्ट कर दी। अब इन्होंने टेलीफोन लगवाने के लिए दूसरी जगह दी है। उसके लिए हमने पैसे जमा करवा दिए हैं। अब वे टेलीफोन जल्दी ही लगवा दिया जाऐगा। I really feel that a Member must have a telephone.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, अभी तक चौ. खिल्लन सिंह का भी टेलीफोन नहीं लगा है।

श्री अध्यक्ष: चौ. खिल्लन सिंह जी मुझसे इस बारे में अभी तक नहीं मिले हैं। इनके केस के बारे में भी मैं आज पूछ लूंगा।

अब मेरी सब मैम्बर साहेबान से रिक्वैस्ट है कि क्योंकि आज बिजनैस बहुत लम्बा चौड़ा है, इसलिए सब साहेबान को–आपरेशन से हाउस के काम को चलायें।

चौ. ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, मैंने कोल के स्कैण्डल के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन दिया था। उस मोशन के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली कि आया वह डिसा–अलाऊ हुआ है या एडमिट हुआ है।

श्री अध्यक्ष: कोल के मामले में यहां पर पहले ही स्टेटमैंट दी जा चुकी है और इस मामले पर काफी डिस्कशन भी हो चुकी है। मैं नहीं समझता कि इस पर अब और स्टेटमैंट देने की आवश्यकता है। That has therefore, been disallowed.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने एक हफ्ता पहले अश्योरेंस दी थी कि कोआप्रेटिव सोसाइटीज बिल के बारे में कमेटी ने यूनानिमसली जो रिपोर्ट दी थी कि कोआप्रेटिव सोसायटीज बिल के बारे में कमेटी ने यूनानिमसली जो रिपोर्ट दी थी और जिसके मैम्बर चौ. कटार सिंह, फोरमर कोआप्रेशन मिनिस्टर चौ. बीरेन्द्र सिंह और चौ. ओम प्रकाश जी थे, उसको

इम्पलीमैंट करेंगे। स्पीकर साहब, आज सैशन समाप्त हो रहा है लेकिन इस संबंध में कोई बिल हमें सर्कलेट नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब सी.एम. साहब देंगे।

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, मेरे 5 काल अटैन्शन मोशन थे जिन में से मुझे 3 का जवाब मिल गया है लेकिन दो का जवाब नहीं मिला। (व्यवधान) एक गेहूं की प्रक्योरमैंट के बारे में है और एक गांव रसियावास, जिला महेन्द्रगढ़ में लूटिंग के बारे में है।

श्री अध्यक्ष: गेहूं की प्रक्योरमैंट वाला काल अटैन्शन मोशन ऐडमिट हो गया है, उसका जवाब अभी आ रहा है। दूसरा डिसअलाऊ हो गया है।

श्री राम बिलास शर्मा: ठीक है, डिसअलाऊ हो गया है लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष: अभी मिल जाएगा।

श्री मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा भी काल अटैन्शन मोशन बिजली के बारे में था।

श्री अध्यक्ष: श्री मनफूल सिंह जी, आप बैठ जाइए।

श्री मनफूल सिंह: * * * *

श्री अध्यक्ष: ये बिना इजाजत के बोल रहे है, इसलिए यह रिकार्ड न किया जाए।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –

गेहूं अधिप्राप्ति मूल्य तथा सरकार द्वारा किसानों को बोनस देने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे डा. भीम सिंह दहिया और दूसर 19 एम.एल.एज. (सर्वश्री हीरानन्द आर्य, सम्पत सिंह, कुलबीर सिंह, देवी दास, खिल्लन सिंह, हुक्म सिंह, शिव प्रसाद, किताब सिंह, राम बिलास शर्मा, निहाल सिंह, धीरपाल सिंह, नर सिंह, ओम प्रकाश (बेरी), मंगल सैन, भागीराम, एल.एस. कम्बोज, हरिचन्द हुड्डा, बी.एस. ग्रेवाल तथा फतेहचन्द विज) की ओर से वीट प्रक्योरमैंट प्राईस और किसानों को बोनस देने के बारे में काल अटैन्शन का नोटिस मिला है। मैं इसको ऐडमिट करता हूं। डा. भीम सिंह दहिया एम.एल.ए. अपना नोटिस पढ़ दैं।

Dr. Bhim Singh Dahiya: I want to draw the attention of the august House towards a matter of public importance that the wheat procurement price of Rs. 157 per quintal recently announced by the Govt. of India is quite inadequate. The Haryana Government should, like the Government of Punjab, give bonus to the farmers so that the wheat price is really remunerative to the farmers. Since the matter is of urgent public importance, I want that the Cheif

Minister be asked to make a statement in the House and clarify the Government's policy with regard to the wheat price.

श्री अध्यक्ष: क्या आप स्टेटमैंट देना चाहेंगे?

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): अभी स्टेटमैंट दे देता हूं।

वक्तव्य –

(i) मुख्यमंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज सैशन उठने जा रहा है, इसलिये मैं नहीं चाहता कि इस मसले का जवाब कल दूं या इसके बाद दूं, मैं अभी जवाब देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि दहिया साहब या दूसरे साथियों ने काल अटैन्शन नोटिस में चर्चा की, यह बड़ी रीजनेबल बात है कि किसानों को गेहूं की कीमत ठीक मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने हमेशा ही किसानों का ध्यान रखा है और किसानों को स्पोर्ट प्राईस दी है। स्पोर्ट प्राईस का मतलब यह है कि किसान जिस मेहनत से अनाज पैदा करता है, उसका रेट उसको मुनासिब मिले और अगर उस रेट से नीचे अगर कीमत आ जाए तो भारत सरकार उसकी गेंहू को खरीदे ताकि किसान की फाइनेशियल पोजीशन ठीक रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने समय समय पर किसान की जिन्स का भाव बढ़ाया है। आप देखते हैं, पिछले साल गेंहू का भाव किसान की जिन्स का भाव बढ़ाया हैं आप देखते हैं, पिछले साल गेहूं का भाव 152 रूपये

प्रति क्विंटल था लेकिन अब 5 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 157 रूपये प्रति क्विंटल का भाव दिया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों प्राईम मि निस्टर पंजाब में आये थे, उन्होंने वहां अनाउंसमैंट की कि पंजाब के किसानों को गेहूं पर बोनस मिलेगा। इस अनाउंसमैंट पर हमने उसी वक्त विचार किया और भारत सरकार के कहा कि पंजाब के किसानों को जितना बोनस दिया जायेगा हरियाणा के किसानों को भी उतना बोनस मिलता चाहिए। हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है कि पंजाब के किसानों को बोनस की जितनी शरह मुकर्रर की जाए, उतनी ही शरह हरियाणा के किसानों को भी दी जाए। हरियाणा के किसान का भी ध्यान रखा जाए और बोनस दिया जाए। इस सिलसिले में मैंने ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री बूटा सिंह जी से टेलीफोन पर बात की है कि हरियाणा के किसान का भी ध्यान रखा जाए। यह तो हो नहीं सकता कि पंजाब का किसान किसी और तरह से जिन्स पैदा करता है और हरियाणा का किसी और तरह से। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मदद भारत सरकार से मिलेगी, वह पूरी की पूरी हर हालत में किसान को देंगे ताकि किसान को उसकी उपज का ठीक भाव मिल सके।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्राईम मिनिस्टर पंजाब में आये थे और उन्होंने किसान को राहत देने की घोशणा की थी कि पंजाब के किसानों को बोनस मिलेगा। इन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार की चिट्ठी लिखी है, और

अपने मित्र श्री बूटा सिंह के साथ टेलीफोन पर घंटों बातचीत की है। मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो चिट्ठी उन्होंने भारत सरकार को लिखी है, उसके कंटेन्टस क्या हैं और श्री बूटा सिंह से टेलीफोन पर जो वार्ता हुई है उसमें किस शरह से बोनस की मांग की है?

चौ. भजन लाल: मैंने टेलीफोन पर कहा है कि पंजाब के किसान को जी बोनस आप देंगे, उतना ही बोनस हरियाणा के किसान को भी मिलना चाहिए। जहां तक टेलीफोन की बात है, मैंने टैलीफोन पर घंटों बात नहीं की है, यह बात तो चार–पांच मिनट में ही पूरी हो जाती है। घंटों बातचीत तो आप ही कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं?

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा कि जिस प्रकार पंजाब के किसानों को बोनस दिया जाए, उसी प्रकार हरियाणा के किसान को दिया जाएं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि पिछले साल पंजाब के किसान को जो बोनस दिया था, क्या हरियाणा के किसान को भी वह बोनस दिलवाने के लिए ये केन्द्रीय सरकार को लिखेंगे? क्या पिछले साल की कमी को पूरा करने के लिए सरकार अब कोशिश करेंगी ताकि किसान को पिछले साल का बोनस भी मिल जाए? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के मुताबिक एक क्विंटल गेहूं पर लागत खर्च कितना

है और इसके मुकाबले में किसान को सरकार कितनी स्पोर्ट प्राईस दे रही है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पिछले साल पंजाब के किसानों को गेहूं पर कोई बोनस नहीं दिया गया। ये ठीक बात नहीं कहते, हमेशा गलत बात कहते हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: राईस पर बोनस दिया है। (व्यवधान)

चौ. भजन लाल: राईस पर दिया होगा, मुझे मालूम नहीं, मैं तो गेहूं की बात कर रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस साल जितना बोनस भारत सरकार हमें देगी, उतना पूरे का पूरा हम किसान को दे देंगे यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं।

श्री मंगल सैन: फर्ज करो, भारत सरकार हरियाणा को उतना बोनस नहीं देती जितना कि पंजाब को देगी तो आप क्या करेंगे?

चौ. भजन लाल: जितना बोनस भारत सरकार पंजाब को देगी, उतना हमें भी हर हालत में देगी, हमें इस बात का पूरा विश्वास है। (व्यवधान)

डा. भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने ठीक फरमाया कि उन्होंने हरियाणा के किसान को बोनस दिलवाने

के लिए कोशिश की, चिट्ठी लिखी और टेलीफोन पर भी बात की है। हो सकता है भारत सरकार हरियाणा के किसान को बोनस न दे, लेकिन दूसरी स्टेटस अपने लैवल पर दे दे, जैसा कि इंडीकेशन है कि पंजाब सरकार दे सकती है, सही तरह से दूसरे प्रान्त भी दे सकते है। उस हालत में क्या हरियाणा सरकार भी दूसरे प्रान्तों की तरह, अपने किसानों को अपने रिसोसिर्ज से बोनस देगी?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्टेट के अपने फंड में से बोनस, देने का सवाल है, इस पर विचार करना पड़ेगा और अपना बजट देखना पड़ेगा कि हम दे सकते हैं या नहीं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि हम भारत सरकार से बोनस लेने की भरसक कोशिश करेंगे और जितना बोनस भारत सरकार देगी हम पूरे का पूरा किसन को दे देंगे।

श्री हरिचन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, किसान को बोनस, सबडिसी या लैबी में छूट सारी दुनिया की सरकारें अपने अपने किसान को देती हैं और इसी ढंग से मदद करती हैं। गेहूं का रेट सरकार ने 157 रूपये प्रति क्विंटल रखा है और इससे किसान सैटिस्फाइड नहीं हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे यह बताएं कि वे गेहूं का भाव 157 रूपये क्विंटल से आगे कितना बढ़ा सकते हैं ताकि सैशन के बाद गांवों में जाकर हम किसान को बता सकें कि हम उनके लिए कुछ लेकर आये हैं?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब पहले आ गया है।

श्री निहाल सिंह: क्या चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने महकमे से इंक्वायरी करवाई कि बोनस देने के लिए कितने पैसे की जरूरत है ताकि उसके मुताबिक ये सैन्ट्रल गवर्नमैंट से अपना केस प्लीड कर सकें?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने भारत सरकार को बाकायदा लिखा है। पिछले साल हमने 48 लाख टन गेहूं प्रोक्योर करके भारत सरकार के सैन्ट्रल पूल में दिया था। हमारी यह कोशिश है कि इस दुा भी उतना ही गेहूं हम दें क्योंकि इस साल गेहूं का उत्पादन उतना ही होने की सम्भावना है। हमारी यह भी कोशिश है कि जितना बोनस भारत सरकार पंजाब को दे, चाहे वह 2 रूपये हो, 3 रूपये हो, 5 रूपये हो या 10 रूपये हो, उतना ही हरियाणा को जरूर दे।

श्री राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, मैं मुख्यमंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि यदि केन्द्रीय हरियाणा को बोनस न दे और पंजाब को दे दे तो क्या हरियाणा सरकार स्टेट ऐक्सचैकर से हरियाणा के लोगों को बोनस देगी?

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ चुका है।

प्रो. सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, पिछली बार चावल के लिए भारत सरकार ने पंजाब को लगभग 20 करोड़ रूपये का बोनस दिया था। विधान सभा में पिछली दफा जब इस सम्बन्ध में

बात हुई थी तो मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि हरियाणा का अहित नहीं होगा। जो पंजाब को मिलता वही हरियाणा को मिलेगा लेकिन हरियाणा के किसानों को कुछ नहीं मिला। आज फिर ये वही बात कह रहे हैं। मैं आपके द्वारा इनसे जानना चाहता हूं कि अगर गवर्नमैंट आफ इंडिया किसी वजह से हरियाणा के साथ स्टैप मदरली ट्रोटमैंट करती है तो क्या सरकार खुद हरियाणा के किसानों को स्टेट ऐक्सचैकर से पैसा देगी?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तो पहले आ गया है लेकिन मैं फिर दुबारा कहता हूं कि भारत सरकार ने पिछली बार चावल पर भी पंजाब को बोनस नहीं दिया। (विघ्न) स्पीकर साहब, जैसा मैंने पहले कहा मैं फिर कहता हूं कि हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि भारत सरकार जितना बोनस पंजाब को दे उतना हरियाणा को भी जरूर दे। स्पीकर साहब, ये किसानों की बात करके मगरमच्छ के आंसू बहाने की बात करते हैं। इनके समय में किसानों की क्या हालत थी ये उस बात को भूल गए हैं। खैर, आज की सरकार पूरी कोशिश में है कि किसानों को मुनासिब भाव मिले। इसके अलावा स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमैंट ने गेहूं की बिक्री पर कोई बैन नहीं लगा रखा है। गेहूं को किसान सारे हिन्दुस्तान में कहीं भी ले जा सकता है। जहां फालतू पैसा उसे मिले वह बेच सकता है। (विघ्न) स्पीकर साहब, मैं इनकी यह भी बता दूं कि यह सरकार चावल

और गेहूं को न खरीदे तो बाहर कोई 100 रूपये क्विंटल भी न लें। (विघ्न)

(ii) लोक स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पेयजल की कमी सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, सर्वश्री शिवप्रसाद, फतेहाबाद विज, मांगे राम, धीरपाल सिंह और भागीराम के काल@अटैन्शन नोटिसिज न. 55, 59, 60 और 63, जो ड्रिकिंग वाटर की स्केयरसिटी के बार में थीं, पर आज मिनिस्टर साहब ने स्टेटमैंट देने के लिए कहा थी। वे अब अपनी स्टेटमैंट दें।

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): अध्यक्ष महोदय, इस समय अम्बाला शहर में पानी की सप्लाई हंडेसरा तथा सारंगपुर गांव और अम्बाला शहर में लगे 20 नलकूपों ने की जाती है। इन नलकूपों से ऐवरेज निकास हर रोज 19 लाख गैलन होता है, जो 1.12 लाख की अम्बाला शहर की आबादी की सप्लाई किया जाता है। इस तरह रह रोज की प्रति व्यक्ति की पानी की कन्जम्पशन 16 गैलन है।

वर्श 1981 में नहर से पानी की सप्लाई करने के लिये एक योजना 477.20 लाख रूपये की अनुमानित लागत से तैयार तथा प्रशासकीय आधार पर मंजूर की गई थी। यह योजना वर्श 1982–83 में एल.आई.सी. की मदद से चलाने के लिये अनुमोदित की गई थी और वर्श 1982–83 में एल.आई.सी. से 60.00 लाख रूपये को राशि प्राप्त हुई थी। इस योजना के लिये कुल प्राप्त हुई

99.5 लाख रूपये की राशि के स्थान पर फरवरी, 1985 तक इस पर 130.37 लाख रूपये की राशि खर्च की जा चुकी थी। इस योजना क लिये वाअर वर्कस बनाने के प्रथम चरण के लिये जमीन को एकवायर करने तथा पाइपों का प्रबन्ध किया या चुका है। स्टोरेज तथा सैडिमैंन्टेशन टैंक और पम्प चैम्बर बनाने का काम चल रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट का काम अलाट किया जा चुका है। इस योजना के पहले चरण को चालू करने के लिये कम से कम 230 लाख रूपये आवश्यकता है। एल.आई.सी. बम्बई को 26 फरवरी, 1985 को ऋण को 60.00 लाख रूप्ये की दूसरी किस्म देने के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया है और वर्श 1985–86 के दौरान इसके मिलने की आशा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा और राशि अप्रैल, 1985 को होने वाली सैनेटरी बोर्ड की मीटिंग में उपलब्ध करने की आशा है। इस स्कीम के प्रथम चरण के काफी काम को 2 वर्शों के अन्दर पूरा करने की संभावना है बशर्ते कि भिन्न भिन्न साधनों से मिलने वाली राशि प्राप्त होती रहे।

यह कहना ठीक नहीं है कि अम्बाला शहर में पानी की बहुत कमी है क्योंकि नगरपालिका अम्बाला जो वाटर सप्लाई सिस्टम को ओपरेट तथा मेनटेन कर रही है, वह हर रोज औस्तन 16 गैलन प्रति व्यक्ति की दर से पानी सप्लाई कर रही है, जो लोगों की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। कुछ कमी वाले क्षेत्रों जो सप्लाई लाईन के अस्थिर में पड़त हैं, में

औसतन पानी की सप्लाई मेन्टेन नहीं की जा सकी है। इन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई टैंकरज द्वारा आगमैन्ट की जाती है। तत्काल राहत के रूप में यह प्रस्तावित है कि हंडेसरा में 4 गहरे नलकूल लगाये जायें और शहर के क्षेत्र में 2 नलकूप लगाये जाये ताकि पानी की सप्लाई में हर रोज 7–8 लाख गैलन की बढ़ौतरी हो सके। इस तरह हर रोज पानी की कुल सप्लाई 27 लाख गैलन के लगभग हो जायेगी और प्रति व्यक्ति प्रति रोज यह औसतन 24 गैलन होगी।

अम्बाला शहर में सप्लाई किया जा रहा पानी अच्छी तरह से क्लोरीनेट किया जाता है और पीने के योग्य है। यह कहना ठीक नहीं है कि लोगों की प्रशासक नगरपालिका को लापरवाही के कारण खराब अथवा गन्दा पानी मिल रहा है। कुछ दिन हुए निजि पाईप लाईन में लोकेज के कारण कुछ घरो को गन्दा पानी मिला था। नगरपालिका ने इस खराबी को तत्काल ढूंढा था ओर उनके इंजीनियरिंग स्टाफ ने इसको दुरूस्त कर दिया था। ध्यान आकर्शण प्रस्ताव में कैप्टल जगत प्रशाद पुरी एडवोकेट के घर से लिये गये पानी के सैम्पल का जिक्र है, वह इस क्षेत्र से सम्बन्धित है, जहां खराबी को तुरन्त ठीक करवा दिया गया था। वाटर सप्लाई के गन्दे तथा दूशित होने के बार में और कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव में पीन की सप्लाई की हालत गंभीर होने के बारे जो विचार व्यक्त किये गये हैं, व निराधार हैं।

सरकार तथा नगरपालिका के अधिकारी मामले में सजग हैं ओर नगर में पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी सप्लाठ करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये जा रहे हैं।

मास्टर शिव प्रशाद: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसके बारे में मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि किसी भी वक्त आप वहां पर सरप्राइज विजिट करें और यह देखें कि इनकी बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं। अगर यह कहें कि मोहल्ले का नाम लें दें तो वह भी मैं ले देता हूं। (विघ्न) अगर मैं मोहल्लों के नाम ले दूं तो क्या आप स्पौट पर विजिट करने के लिए तैयार हैं? उन मोहल्लों के ना ले दूं तो क्या आप स्पौट पर विजिट करने के लिए तैयार हूं? उन मोहल्लों में लगभग 15 दिन तक पानी नहीं पहुंचा है। वहां पर तो पानी की बूंद भी नहीं पहुंची है। आज आप सैशन के बाद जाकर देख लें कि कैप्टल जगत प्रसाद के मकान के आगे से पाईप लाईन ठीक नहीं हुई है। उसी तरह से गन्दा पानी पाईप लाईन में जा रहा है। क्या मंत्री महोदय विश्वास दिलायेंगी कि जो गन्दा पानी नालियों का पाईप लाईन में जा रहा है उसे भविश्य में ठीक करवा देंगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, जहां तक गन्दे पानी के जाने की बात है यह ठीक नहीं है। जहां का इन्होंनें जिक्र किया वहां पर चैक किया गया था। वहां पर प्राईवेट लोगों ने अपनी लाईन बिछाई हुई है। ट्रक वगैरह के गुजर जाने से वह लाईन लीक हो गई थी इसलिए महकमें वालों को एक दो दिन

ठीक करने में जरूर लगे लेकिन उसे फौरन ढूंढ लिया और इस वक्त कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जहां खराब पानी आ रहा हो। जो भी कमी बतायी गई थी वह दूर कर दी गई है। जहां पर पानी नहीं पहुच पाता है वहां पर टैंकरों से पहुंचाया जाता है। कोई ऐसी जगह नहीं है जाहं पर पानी नहीं पहुंचता है।

श्री अध्यक्ष: इनका कहना यह है कि आप अम्बाला का विजिट कर लें। अगर अम्बाला जाने से इन लोगों की तसल्ली हो जाती है तो आप जा आयें।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: अगर ये मोहल्लों का नाम लिख कर दे देंगे तो मैं जरूर विजिट कर लूंगी।

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री प्यारा सिंह): स्पीकर साहब, मैं 23 मार्च को अम्बाला गया था। मेरे साथ डायरैक्टर लोकल बाडीज हैल्थ विभाग क ऐक्सीयन एस.ई. आदि थे। हम हंडेसरा गांव में भी गये थे। वहां पर हमने सारे प्वायंटस देखे थे। वहां से बराबर 19 लाख गैलन पानी आ रहा है। कल मैं फिर वहां जा रहा हूं। मेरे सथ एम.एल.ए. साहब चलें मैं उनको दिखाऊंगा कि वहां पर पूरा पानी दिया जा रहा है। जो लाईन की लीकेज हुई है वह प्राइवेट लाईन थी। अब वह ठीक हो गई है। वहां पर 19 लाख गैलन पानी दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय जो एक *चिट्ठी हमने होम मिनिस्टर साहब को लिखी थी उसका मेरे पास

लिखित में जवाब आया है वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं। डाक्टर मंलग सैन जी ने कहा था कि जो जवाब आये वह हमें बता देना। इसलिये मैं पढ़ कर सुना रहा हूं। आप दहिया साहब को भी बता देना। यह लैटर 23 मार्च, 1985 का लिखा हुआ है इसमें लिखा है –

"I am sure, the Committee will welcome discussion with you. We shall fix up a meeting and inform your in advance."

श्री मंगल सैन: इसमें लिखा है 'with you' हम आसे नहीं उनके साथ बात करेंगे।

चौ. भजन लाल: यह तो मेरा काम है कि किस किस को बुलाना है। स्पीकर साहब, मैंने तो सदन को बताया है कि यह लैटर चव्हाण साहब की ओर से आया है और उनके इस पर दस्तखत हैं।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मैं ज्यादा कन्सर्न्ड हूं। जो भी फैसला होगा उसका हमारे पर ज्यादा असर होगा।

चौ. भजन लाल: आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं सभी से पूछेंगे। अम्बाला जिले वालों से खासतौर से पूछेंगे।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है। मैंने एक काल अटैन्शन मोशन दी थी। ये गवर्नर साहब

से आर्डीनैन्स करवाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाए गवर्नर साहब से मकर्शि दयानन्द यूनिवर्सिटी के वी.सी. के बारे में आर्डीनैन्स इशु करवा कर लागू करना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही बात है या नहीं। (विघ्न) क्या ये उसे लागू नहीं करेंगे?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, इस बात को कहने का कोई औचित्य नहीं है। डाक्टर साहब पुराने मैम्बर है और आजकल ये बीमार भी रहते हैं। हमें इनकी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता (हंसी)। हम कोई आर्डीनैन्स करने नहीं जा रहे हैं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, जो वह फैसला कर देगा उसे जरूर लागू करेंगे।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटैन्शन मोशन दी हुई है लेकिन उसका अभी तक जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: अगर आपने काल अटैन्शन मोशन दे रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि किस बारे में दी हुई है। आप सवाल पूछना चाहें तो पूछ लें।

श्री भागी राम: सर, जवाब आयेगा तभी तो सवाल पूछूंगा।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, मैं जवाब अभी दे रही हूं।

श्री अध्यक्ष: मैडम, मैंने चूंकि सभी काल अटैन्शन मोशन्ज को इकट्ठा ऐडमिट किया था इसलिए आपको इकट्ठा ही जवाब देना चाहिए था। अब आधा घंटा और लग जायेगा। आप पहले अपना जवाब पढ़ दें।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, बहादुरगढ़ शहर की जल वितरण योजना का आधार नहरी पानी है, जो कि फिल्टर करके शहर को सप्लाई किया जाता है। जलघर की वर्तमान क्षमता 10.50 लाख गैलन प्रति दिन है, जिससे 42000 की जनसंख्या को औसतन 26 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी यिद जाता है।

बहादुरगढ़ शहर में पानी की सप्लाई बिल्कुल नियमित है, परन्तु पिछले 2 महीनों में बिजली की कमी होने के कारण कुछ दिनों में पानी की सप्लाई घटानी पड़ी। न्यूनतम औसतन 10 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन की सप्लाई उन दिनों भी आश्वासन की गई थी सिवाये फरवरी, 1985 में दो दिनों के जबकि बिजली की बिल्कुल कमी थी और पानी 6 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जा सका जो कि लोगों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करता है।

पिछले 7 दिनों के सिवाए एक दिन दिनांक 23.3.85 को छोड़कर पानी 15 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिया गया और 24. 3.85 से 26.3.85 तक पानी की पूरी मात्रा 25 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से दी गई। इस तरह पिछले सप्ताह में पानी की सामान्य सप्लाई दी गई। शहर में कोई भभी प्रदर्शन नहीं हुआ

तथा पानी हरेक मोहल्ले को दिया जा रहा है। जब वितरण प्रणाली के अन्तिम कुछ मोहल्लों में जहां पानी की सप्लाई सीमित होने के कारण दबाव कम हो गया था वहां मोबाईल टैकरों द्वारा और अधिक पानी दिया गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बहादुरगढ़ शहर में पानी की सप्लाई बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है और लोगों को स्वच्छ पानी ठीक मात्रा में बिजली की सीमित सप्लाई की कठिनाइयों के बावजूद दिया जा रहा है।

चौ. मागे राम: स्पीकर साहब, बहिन जी कहती है कि कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। 23 तारीख को कमेटी के अन्दर औरतों ने मटके तोड़े हैं। यह फोटो मेरे पास है। 21 और 22 तारीख को वहां पर बिल्कुल पानी नहीं आया।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, मैंने कहा था कि एक दिन बिजली की कमी के कारण पानी नहीं आया। आम कोई शिकायत नहीं है कि वहां पर पानी नहीं दिया जाता है। ठीक हालत में पानी दिया जा रहा है।

स्पीकर साहब, मैं दूसरे माननीय सदस्य की काल अटैन्शन मोशन का जवाब भी साथ ही पढ़ देती हूं।

स्पीकर साहब, बाढ़सा 5 गांवों के समूह के लिए एक पेयजल योजना राज्य सफाई बोर्ड द्वारा दिनांक 18.8.78 को 17.97

लाख रूपये के लिए प्रशासकीय अनुमोदित की गई थी। इस योजना में निम्नलिखित गांव है:–

1. बाढसा

2. लोहात

3. देवर खाना

4. मुन्डाखेड़ा

5. ईस्माईलपुर

इन गांवों की जल वितरण योजना जनवरी, 1980 में सम्पन्न की गई। इसके पश्चात गांव लगरपुर को भी इसी योजना से पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिये राज्य सफाई बोर्ड द्वारा दिनांक 10.3.81 को 1.65 लाख रूपये के अनुमान का प्रशासकीय अनुमोदन हुआ और इस गांव के पेय जल सुविधा मार्च, 1981 में प्रदान की गई।

उपरोक्त 6 गावों की पेय जल वितरण योजना ग्राम बाढसा में स्थित 2 नलकूपों पर आधारित है। इन नलकूपों के पानी का सैम्पल प्रयोगशाला में 9/79 में परीक्षण हेतू भेजा गया था और परीक्षण रिपोर्ट अनुमान इनका पानी पीने योग्य पाया गया।

समय के साथ–साथ इन नलकूपों का पानी खारा हो गया और अगस्त, 1984 में जब इन नलकूपों के पानी का पुनः परीक्षण करवाया गया तक पता चला कि पानी में कलोराईड की अधिक मात्रा के कारण पानी पीने के अयोग्य हो गया।

उपरोक्त गांवों में पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतू अन्य जल स्त्रोतों की छानबीन की गई और यह पाया गया कि अच्छा पीने योग्य पानी गांव बाढसा से 2–3 किलोमीटर की दूरी पर उपलब्ध है। एक योजना जिसकी लागत 10.56 लाख रूपये है, इन गांवों के लिए स्त्रोत अन्य स्थान पर विकसित करने के लिये तैयार की गई और इस अनुमान में अन्य स्त्रोत से लेकर गांव बाढसा तक नई पाईप लाईन लगाने का भी प्रावधान किया गया। यह अनुमान राज्य सफाई बोर्ड को प्रशासकीय अनुमोदन तथा धनराशि वर्श 1985–86 में उपलब्ध कराने हेतु भेजा जा चुका है। इस योजना पर कार्य मास अप्रैल, 1985 में आरमी कर दिया जायेगा और अगले 6 मास में पूर्ण होने की सम्भावना है। इस योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात् उपरोक्त गांवों में पीने के पानी की क्वालिटी में सुधार हो जायेगा।

स्पीकर साहब, मैं एक बात और अर्ज करना चाहती हूं कि वहां पर पानी खारा जरूर है लेकिन स्वास्थ्य के लिये खराब नहीं है।

चौ. धीर पाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि बाढ़सा से दो किलोमीटर दूर जो जगह यह बता रही हैं, उस जगह का नाम क्या है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: वह बाढ़सा गांव के पास ही कोई जगह है।

चौ. धीर पाल सिंह: मैं वहीं पर रहता हूं।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: मैंने यह नहीं बताया कि पानी देना शुरू कर दिया है। मैंने यह बताया है कि उसके अनुमान बनाकर भेजे हैं। सैनीटरी बोर्ड की मीटिंग में जब वह अनुमान पा हो जायेंगे उसके बाद वहां पर काम शुरू होगा। जब काम शुरू होगा, तब आपको पता लग जायेगा।

चौ. धीर पाल सिंह: स्पीकर साहब, ईस्माईलपुर के पास एक सौंधी गांव है, वहां पर मीठी पानी है। वहां पर अगर टयूबवैल से कुनैक्शन दे दें तो उसके ऊपर बहुत ज्यदा लागत भी नहीं आयेगी और यह कुनैक्शन बड़े आराम से ही हो सकता है। क्या मंत्री महोदय यह करने के लिये तैयार है?

श्री अध्यक्ष: इसको वह देख लेंगी।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: यह देख लेंगे।

स्पीकर साहब, एलनाबाद शहर में मंडी और पुराना शहर आते है जिसकी जनसंख्या क्रमशः 3000 और 13000 है तथा कुल आबादी 16000 व्यक्ति इस समय मण्डी शहर को पानी जलघर जोकि नलकूपों पर आधारित है से दिया जा रहा है, जहां तक पुराने शहर का सम्बन्ध है इसकी नहरी पानी पर आधारित योजना का कार्य प्रगति में है। इस समय पुराने शहर के निवासी निजी हैंड पम्पों पर निर्भर हैं तथा दिन प्रतिदिन पानी की आवश्यकता को ऊंट–गाडियों द्वारा पूरा करते हैं। पुराने एलनाबाद शहर की जल वितरण योजना जोकि 80.18 लाख रूपये की है, स्वीकृत हो चुकी है और कार्य प्रगति पर है। जलघर का पहला चरण सम्पन्न हो चुका है और वितरण प्रणाली कुछ भाग में लगा दी गई है। इस जलघर से जैसे ही रेलवे लाईन के नीचे से पाईप लाईन निकालने की स्वीकृति रेलवे अधिकारियों में मिल जायेगी, जिसके लिये मामला लगातार उनसे परस्यू किया जा रहा है, पानी की सप्लाई शुरू होने की संभावना है। मण्डी टाऊन में भूमि के नीचे का पानी जिस पर जल वितरण आधारित है, टैस्ट के बाद संतोशजनक पाया गया। निजी मकान में लोगौं द्वारा शौचालयों के लिये बनाये गये सोकेज पीटस में जमीन के नीचे के पानी में प्रदूशण की कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त एलानाबाद का जल स्तर 20 फुट गहरा होने के कारण प्रदूशण की बहुत कम सम्भावना है तथा शैलों सोकेज पीटस इस स्तर के भूमिगत पानी का प्रदूशण नहीं कर सकते और इसलिये यहां पानी के कोई बीमारी होने में कोई योगदान नहीं दे सकते।

इस प्रकार यह देखा जायेगा कि ऐलनाबाद शहर की नहरी पानी पर जलघर, जो कि पूरा होने का है, से लगातार सुरक्षित पानी देने के प्रबन्ध पहले ही कर रखे हैं। ऐलनाबाद शहर में पीने के पानी की कमी की समस्या जलघर के पूरा होने पर 3 महीनों में दूर हो जायेगी। यह सुनिश्चित किया जाता है कि हरिजन मोहल्लों में जल सुविधाएं प्राथमिकता पर दी जाये।

इससे जाहिर है कि सरकार ऐलनाबाद शहर के निवासियों को निकट भविश्य में पानी की लगातार सप्लाई करने के लिये आवश्यक पग उठा रही है।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने चूंकि जवाब में काफी कुछ बता दिया है, इसलिये पूछने के लिये ज्यादा बात नहीं रहती लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले चार सालों से इस स्कीम पर काम बन्द पड़ा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कब तक यह जो काम बन्द पड़ताहै, इसको चालू कर देंगे और कब तक इसको पूरा कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कह तो दिया है कि तीन महीने में पूरा हो जायेगा।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, काम बन्द तो नहीं हुआ। हां, मैं एक बात बताना चाहती हूं कि यह हजारों का काम नहीं है, वाटर सप्लाई की सारी स्कीमें लाखों रूपये की होती हैं। उसमें टाईम भी थोड़ा सा लग जाता है। खर्चा भी ज्यादा आता

है। फिर भी मैंने तो यह बता दिया है कि ऐलनाबाद में पीने के पानी की समस्या जलघर के पूरा होने पर तीन महीने के अन्दर–अन्दर दूर हो जायेगी।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 15 के तहत मोशन मूव करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move –

That the proceedings on the items of business fixed for to-day be exempted as this day's sitting from teh provisions of the Rule Sittings of te Assembly's indefinitely.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि आज के लिये फिक्सड बिजनैस की आईटम्ज को प्रोसीडिग्ज से आज की बैठक में इन–डेफीनिटली ''रूल सिटिग्ज आफ दि असैम्बली'' से ऐग्जैम्पट किया जाये।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, रूल 15 के तहत आपने जो मोशन मूव किया है, मैं उस पर कुछ बोलना चाहता हूं।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): डाक्टर साहब, आप तो मीटिंग में थे।

श्री मंगल सैन: इस रूल में यदि दिया हुआ है–

"Unless the Speaker otherwise directs:

(1) Assembly shall meet whilst in Session on all days except Saturdays and Sudays:

Provided that if any day happens to be a holiday under the Negotiable Instruments Act, there shall be no meeting on that day.

(2) The Assembly shall meet on Mondays, Tuesday, Wednesdaysm and Thursdays at 2 p.m. and adjourn at 6.30 p.m. and shall meet on Fridays at 9.30 a.m. and adjourn at 1.00 p.m....."

स्पीकर साहब, मेरा सबमिशन यह है कि इनको नौन–स्टौप सिटिंग नही करनी चाहिये। आज एजेन्डा बहुत बड़ा है। आखिरकार, हम मैम्बर हैं। हमने हर बात सोच समझ कर करनी है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें भी कुछ तैयारी के लिये मौका मिलना चाहिए। आज की सिटिंग को नान–स्आप न बनाकर, जो काम आज हो जायें, वह ठीक है, यानी साढ़े नौ बजे से डेढ़ बजे तक जो काम खत्म हो जाये, वह हो जाये, उसके बाद जो काम बाकी बचे, उसको सोमवार तक के लिये पोस्टपोन कर दिया जाये।

चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा शुरू में जो हमने टाईम टेबल इस सैशन के प्रोग्राम का टैंटेटिव बनाया था, वह 27 तारीख तक था। मीटिंग में इन्होंने

मुख्यमंत्री जी से यह कहा गाि कि सैशन एक दो दिन और बढ़ा लो इसलिए हमने 27 तारीख से बढ़ाकर सैशन 29 तारीख तक कर दिया। इसके अलावा बिल सारे मूव हो चुके हैं। आज से हफता या 10 दिन पहले हो चुके हैं। बाकी इसमें कोई नयी बात नहीं है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, नई बात सुनना चाहते हैं तो वह सुन लें। वह यह है कि उन दिन आपको याद होगा कि आपने बिजनैस ऐडवाजरी कमेटी की मीटिंग में कैटोगोरीकली यह डायरैक्टिव दिया था कि यदि कोई रिपोर्ट हाउस में ले होनी है, तो वह आप जल्दी से ले आइये। आज के दिन तो यह रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। बिजली बोर्ड में जिसके यह खुद वजीर हैं, इन्होंने खुद माना है कि कईयों को सस्पैन्ड किया गया है। इसी तरह से कोयले के घपले के बारे में इन्होंने खुद माना है? यह सारी बातें देखकर आप पायेंगे कि बाकी का बिजनैस सोमववार को टेक–अप होना चाहिये। अभी तो वह कापी ले होनी है, उसके बाद हमने रूल 84 के नोटिस देने हैं। इसलिये मेरी सबमिशन यह है कि अब यदि टाईम बढ़ा लिया जाये तो कोई हर्ज नहीं है। इन्होंने कुछ चुनाव तो निपटा लिये हैं और असैमबली का इलैक्शन मई–जून में हो सकता है शायद पंजाब के साथ ही चौ. भजन लाल को भी बलि का बकरा बनना पड़े। उसमें अभी देर है। इसलिये मैं एक बार फिर यह कहता हूं कि बिजनैस नौर्मल टाईम में डिसकस होना चाहिए। धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढ़या): स्पीकर साहब, मैं तो जीरो आवर में रिपोर्टस के बारे में कह चुकी हूं और इसके बारे में भी पहले काफी कुछ कहा जा चुका है। आज यह सारा काम करना सम्भव नहीं होगा। मैं चाहती हूं कि आज के बाद दुबारा सैशन बुलाना चाहिए जिसमें सारी रिपोर्टस डिसकस हो सकें। मैं तो चाहती हूं कि हाउस में इस बात का रिकार्ड रहे कि जो यह टाईम है यह बहुत कम है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि आज के लिये फिक्सड बिजनैस की आईटम्ज को प्रोसीडिग्ज से आज की बैठक में इन–डेफीनिटली ''रूल सिटिग्ज आफ दि असैम्बली'' से ऐग्जैम्पट किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब पार्लियामैन्टरी अफेचर्ज मिनिस्टर रूल 16 के तहत मोशन मूव करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move –

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि असैम्बली अपनी आज की बैठक के उठने पर साइन डाइ ऐडजर्न होगी।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, मेरी तो यही सबमीशन है कि आज कोई भी बात अच्छी तरह से डिसकस नहीं हो सकेगी। ये अपनी जिद को छोड़ें। आज की कार्यवाही के बाद हाउस को साइन डाई ऐडजर्न न करें और सोमवार को फिर असैम्बली की बैठक कर लें। मैं बार बार यही बात कर रहा हूं। आप इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि असैम्बली अपनी आज की बैठक के उठने पर साइन डाइ ऐडजर्न होगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए कागज–पत्र

श्री अध्यक्ष: मिनिस्टर साहब अब टेबल आफ दि हाउस पर पेपज्र ले करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I lay on the Table of the House –

1. The Excise and Taxation Department Nofitication No. G.S.R. 27/H.A.20/73/S.64/Amd.(2)/85, dated the 27th February, 1985 regarding thé Haryana General Sales Tax

(Second Amendment) Rules, 1985 as required under sectino 64(2) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

2. The Excise and Taxation Department Nofitication No. G.S.R. 28/H.A.20/73/S.64/Amd.(2)/85, dated the 27th February, 1985 regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1985 as required under sectino 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

3. The Annual Administration Report for the year 1982-83 of the Haryana State Electricity Board as required under section 75(1) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

4. The Statement showing loans raised by the Haryana State Electricity Board upto 15.1.1985 for which the State Government stood guarantee for replayment thereof as required under section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

5. The Annual Financial Statement for the year 1984-85 and revised Estimates for the year 1983-84 of the Haryana State Electricity Board as required under section 61 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

6. The 16th Annual Statement of Accounts for the year 1982-83 of the Haryana State Board as required under section 69 (4&5) of the Electricity (Supply) Act, 1948.

7. The 16th Annual Report & balance sheet for the year 1982-83 of the Haryana State Industrial Development Corporation Ltd. as required under section 619-A (3) of the Companies Act, 1948.

8. The 16th Annual Report for the year 1982-83 of the Haryana State Electronics Development Corporation Limited as required under section 619-A (3) of the Companies Act, 1948.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं इस बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मिनिस्टर महोदय ने कुछ रिपोटर्स टेबल पर रखी हैं। इनमें से कुछ बहुत इम्पौर्टैंट है। इनमें बिजली बोर्ड की भी कारगुजारी है। एक रिपोर्ट इन्होंने यह भी रखी है जिसमें बिजली बोर्ड ने 1985 तक जितना कर्जा लिया है उसके लिए इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 के सैक्शन 66 के तहत स्टेट गवर्नमैंट गारन्टर होगी। स्पीकर साहब, यह तो इतने भले आदमी हैं कि हुड्डा ने करोड़ों रूपये लेकर रख लिया और जिन्होंने प्लाट लेने थे वे धक्के खाते रहे। मार्किट कमेटीज से पैसा ले लिय और उसको पैसा वापिस नहीं लौटाया। ये सारी बातें आप हमें डिस्कस करने का मौका दीजिए। जब आगे सैशन सितम्बर या अक्तूबर में आएगा उसमें ये रिपोर्टस रख दें। तब इनको डिस्कस किया जा सकता है। आप इस पर विचार कर लें।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं यही बात कहना चाहती हूं कि ये दुबारा सैशन जल्दी बुलवा लें, उसमें ये रिपोटर्स पेश कर दें और उस वक्त इन पर डिस्कशन हो जाये। स्पीकर साहब, मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूं कि इन रिपोर्टस को डिस्कस करने का दुबारा मौका मिलना चाहिए। आप गवर्नमैंट से आश्वासन दिलवा दें। आप ही हमारे हकूक की रक्षा करने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष: आप जानते हैं कि मुझे तो टाईम बताना है कि इतने टाईम सैशन चलेगा और बिजनैस ऐडवाजरी कमेटी के थ्रू उसको आपने रैगुलेट करना है।

श्री मंगल सैन: आपने एक दफा ही बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई थी।

श्री अध्यक्ष: जब आपकी तसल्ली एक ही मीटिंग से हो गई, तो दुबारा मीटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी।

समितियों की रिपोटर्स पेश करना

(i) पब्लिक अकांउटस कमेटी की 22वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब पब्लिक अकाउंअस कमेटी के चेयरमैन, सेठ राम दास धमीजा कमेटी की 22वीं रिपोर्ट पेश करेंगे।

Seth Ram Dass Dhamajia (Chairman, Committee on Public Accounts): Sir, I beg to present the Twenty Second Report of the Committee on Public Accounts for the year 1984-85 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1979-80 (Civil and Revenue Receipts).

(ii) ऐस्टीमेटस कमेटी की 17वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब ऐस्टीमेटस कमेटी के चेयरमैन, राव विजय वीर सिंह कमेटी की 17वीं रिपोर्ट पेश करेंगे।

Rao Vijai Vir Singh (Chairman, Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Seventeeth Report of the

Estimates Committee in regard to the Excise and Taxation Department, Haryana, for the year 1984-85.

(iii) कमेटी आन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की 17वी, 18वी और 19वीं रिपोटर्स

श्री अध्यक्ष: अब पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज कमेटी के चेयरमैन चौ. कंवल सिंह, कमेटी की 17वी, 18वी और 19वीं रिपोर्ट पेश करेंगे।

Sh. Kanwal Singh (Chairman, Committee on Public Undertaking): Sir, I beg to present the Seventeeth, Eighteenth and Nineteeth Reports of the Committee on Public Undertakings for the year 1984-85 on:-

(i) the Reports of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1979-80 to 1981-82;

(ii) the general working of Haryana Harijan Kalyan Nigam Ltd., Chandigarh; and

(iii) the general working of Haryana State Small Industries & Export Corporation Ltd., Chandigarh, respectively.

(iv) कमेटी औन वैल्फेयर औफ शडयूल्ड कास्टस एंड शडयूल्ड ट्राइब्ज की 10वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब कमेटी आन दि वैलफेयर आफ शडयूल्ड कास्टस एण्ड शिडयूल्ड ट्राइब्ज के चेयरमैन चौ. नेकी राम कमेटी की 10वीं रिपोर्ट पेश करेंगे।

श्री नेका राम (चेयरमैन, कमेटी औन वैल्फेयर औफ शडयूल्ड कास्टस एंड शडयूल्ड ट्राइब्ज): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्श 1984–85 के लिए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण के लिये समिति की 10वीं रिपोर्ट सदन में सादर प्रस्तुत करता हूं।

(v) कमेटी औन सुबोर्डिनेट लैजिसलेशन की 16वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब चेयरमैन, कमेटी आन सबोर्डिनेट लैजिसलेशन, श्री ए.सी. चौ. कमेटी की 16वीं रिपोर्ट पेश करेंगे।

Sh. A.C. Chaudhri (Chairman, Committee on Subordinate Legislation): Sir, I beg to present the Sixteeth Report of the Comittee on Subordinate Legislation for the year 1984-85.

(vi) कमेटी औन गवर्नमैंट अश्योरैसिज की 16वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: अब अश्योरैंसिज कमेटी के चेयरमैन, श्री साहब सिंह सैनी, के बिहाफ पर कमेटी के एक माननीय सदस्य कमेटी की 16वीं रिपोर्ट पेश करेंगे।

Ch. Surender Singh (Member, Committee on Government Assurances): Sir, I beg to present the Sixteenth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1984-85.

बिल्ज –

(i) दि हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न. 2) बिल, 1985

श्री अध्यक्ष: अब फाइनैन्स मिनिस्टर, हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न. 2) बिल, 1985 को इंट्रोडयूस करेंगे और उसे कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे।

Finance Minister (Sh. Sagar Ram Gupta): Sir, I introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1985.

Sir, I also beg to move –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदय, यहां हाउस में हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (न. 2) बिल पर चर्चा चल रही है। मैं भी अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी विभाग की बात यहां हाउस में क्यों न आये? आमतौर पर यह देखा गया है कि सारे साल का जो बजट होता है वह विभाग आखिरी एक दो महीनों में खर्च करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो खर्चा सारे साल के अन्दर खर्च होना था, वह खर्च नहीं हो पाया। उदाहरण के लिये

मैं मैडिकल कालेज के कुछ आंकडे आपके सामने रखना चाहता हूं। मैडीकल कालेज रोहतक के लिए 12, 44, 118 रूपये 98 पैसे 1983–84 के लिये निर्धारित किये गये थे और वह बाद में सरैन्डर हुए। वह सरैन्डर क्यों हुए क्योंकि मैडिकल कालेज से अपनी कारगुजारी केा तेज दिखाने के लिये आखिरी एक महीने में आर्डर प्लेस किये थे और उसकी कार्यवाही सही प्रकार से न हो सकी जिसके कारण से यहा पैसा सरैण्डर करना पड़ा और खर्च नहीं हो पाया। इसी तरह से 1984–85 में मैडिकल कालेज के लिये 2 करोड़ 40 हजार रूपया रखा गया था और इस बात की मुझे जानकारी है कि 15 फरवरी तक केवल 93 लाख रूपया खर्च हुआ है जब कि 20 लाख रूपया माहवार खर्च किया जाना चाहिये था। अगर सरकारी पैसे का उपयोग इसी तरीके से ये करेंगे तो जो गरीब आदमी हैं, बीमार आदमी है उनके इलाज के लिये दवाई ठीक प्रकार से मुहैया नहीं की जा सकेगी। प्रायः यह देखा गया है कि अपने कमीशन की खातिर लास्ट के एक दो महीनों में बड़ी भाग दौड़ के साथ सरकारी पैसा खर्च किया जाता है ताकि इनको पूछने वला कोई न हो और इनको कमीशन भी बना रहे। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार को यह कहूंगा कि वे इस बात को अश्योर करें कि ऐसी अनियमितताएं आगे से न होने पाएं और सरकारी पैसे का सदुपयोग हो और ठीक समय पर हो ताकि लोगों के हित के लिये जो पैसा रखा गया हो, उसका लोग सही और समय पर फायदा उठा सकें। जब पी.ए.सी. की मीटिंग होती हैं वहां पर ओर बाद में जब उसकी रिपोटर्स तैयार होती हैं उनमें भी इस

तरह की सरकार की अनियमितताओं का जिक्र किया जाता है लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इस और सरकार ध्यान देवे ताकि इस प्रशासन का, देश का और प्रदेश का नुकसान न हो और पैसे का मिस–ऐप्रोप्रिएशन होने से बचाया जा सके।

इससे आगे मैं इंडस्ट्रीज विभाग के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा कि वहां पर बिजली की कितनी गड़बड़ होती है। उदाहरण के लिए आप हरियाणा कानकास्ट को ले लीजिए। उसका बिजली का लोड 11 हजार 706 किलोवाटस है और वहां पर दूसरे प्रोजैक्टों की तरह हालांकि पावर कट भी है फिर भी वहां का बिल 25 लाख के लगभग है। यह लोड मन्थली है और दूसरी तरफ जिन्दल स्ट्रिपस जो है उसका लोड 12 हजार 303 किलोवाट है और उसका बिल कितना है केवल 10 लाख रूपया। वहां पावर कट भी नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, एक भानु इंडस्ट्रीज भी है। अगर मैं कुछ कहूंगा तो मुख्यमंत्री महोदय नाराज होंगे। उनके बिजली के लोड को भी देखें तो आपको पता चलेगा कि लोड ज्यादा है और बिल बहुत कम है। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): आर्य साहब, जरा आप बताओ तो सही कि कितना लोड है और कितना बिल है। (शोर)

श्री हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त ऐग्जैक्ट फिगर्ज मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आर्य साहब, जब आपके पास ऐग्जैक्ट फिगर्ज ही नहीं है तो फिर यहां किसी का नाम लेने का क्या फायदा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, भानु इंडस्ट्रीज की क्या बात है? हालांकि उसका संबंध सब–अर्बन एरिया से है लेकिन उसको सरकार की तरफ से बिजली की सप्लाई जो दी हुई है वह शहरी एरिया के कनैक्ट करके दी हुई है। इस तरह की मिसाल शायद ही आज हरियाणा में आपको कहीं देखने को मिलेगी। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, ये बिल्कुल बेसलैस बात कर रहे हैं। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। इनको पता ही नहीं कि इंडस्ट्री किसको कहते है। हिसार से मेयड़ तक इंडस्ट्रीज फैली हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आर्य साहब, आप जल्दी खत्म करें। आपका समय खत्म हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या बोलूं? आप मुझे कह रहे हैं कि जल्दी खत्म करें, आपका समय हो रहा है। कभी आप इंटरवीन करते हैं, कभी चीफ मिनिस्टर महोदय मुझे बीच में बोलते हुए इंट्रस्ट करते हैं। आप इन्हें कहें कि ये मुझे

बोलते वक्त इंट्रस्ट न करें। (शोर) अगर हमारी कोई बात गल्त हो तो यह बाद में रिफ्यूट कर दें।

लोक निर्माण मंत्री (चौ. अमर सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आनरेबल मैम्बर यूं ही बोल रहे हैं। इनके पास मैटीरियल तो है नहीं और बात कर रहे हैं भानु इंडस्ट्रीज की। सैन्सेशनल न्यूज क्रिएट करने के लिये इन्होंने यह नाम लिया है वरना नाम लेने की आवश्यकता ही क्या थी? आनरेबल मैम्बर को चाहिये कि वे जो कुछ बोलें, जरा सोच समझ कर और फैक्टस के आधार पर ही बोलें। (शोर) यूं ही हाउस का समय बरबाद करने का क्या फायदा?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौ. शमशेर सिंह सुरजेवाला): उपाध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर आपको यह कह रहे है कि आप इंटरफीयर कहते हैं। यह बड़े दु:ख को बात है। ये लफ्ज ऐक्सपन्ज होने चाहिये। इनको यह कहना शोभा नहीं देता।

श्री मंगल सैन: उपाध्यक्ष महोदय, हमारे एक आनरेबल मैम्बर अपोजीशन के बोल रहे हैं और चीफ मिनिस्टर महोदय उन्हें बार–बार बीच में इंट्रप्ट कर रहे हैं। इसी तरह से जो उधर बवानी खेड़ा वाले मंत्री जी बैठे हैं और अभी–अभी इधर से गये हैं, वे भी इनको बीच में इंट्रस्ट करते हैं। कभी सुरजेवाला साहब उठकर बीच में बोलने लग जाते हैं। अगर हमारे एक आनरेबल मैम्बर ने बोलते हुए हय कह दिया कि मुझे ये सब बीच में इंट्रप्ट करते हैं

और ये जो हैमर है यह भी मेरे को इंट्रप्ट करता है। तो इसमें क्या गलत बात है? हमारा डिप्टी स्पीकर साहब के ऊपर ऐसपर्शन करने का कोई मंशा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: यह हैमर आपको इंट्रप्ट नहीं करता, यह तो प्रोसीडिग्ज को ठीक चलाने में आपकी मदद करता है।

श्री मंगल सैन: सर, ठीक है आप हाउस को प्रोसीडिंग्ज को रैगुलेट करने के लिये यहां पर मौजूद हैं। फिर भी आप को मैम्बर को दाद देनी चाहिये कि वे इतनी हैवी इंट्रप्शन के बावजूद हिम्मत से बोल रहे हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं लैन्ड मार्गेज बैंक, स्टेट बैंक और दूसरे जो बैंक आदमपुर में है, उनके बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। वहां पर न्यू बैंक आफ इंडिया ककी एक बिल्डिंग किराये पर है जिसका वे पहले 250 रूपये किराया देते थे और अब उस बिल्डिंग का किराया 2500 रूपये महीना है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: मैं हीरा नन्द आर्य के अकाउंट में एक हजार रूपया महीना एक साल तक जमा करवाता रहूंगा अगर ये उसको खाली करवा देंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, यह एक हजार रूपये वाली बात हमारी समझ में नहीं आई।

चौ. भजन लाल: आर्य साहब ने कहा था कि न्यू बैंक भजन लाल की बिल्डिंग में खोल रखा है। मैं कहता हूं कि उस बिल्डिंग को अगर कोई खाली करवा दे तो मैं उसे एक साल तक एक हजार रूपया महीना अपने पास से दूंगा। न्यू बैंक की ही बात नहीं चाहे किसी भी बैंक की बिल्डिंग हो उसे जो खाली करवा देगा मैं उसे एक हजार रूपया महीना अपने पास से दूंगा।

श्री हीरा नन्द आर्य: उपाध्यक्ष महोदय, उनमें ऐसे लोग भी हैं जिनको पंचकूला और सोनीपत में प्लाट दिए हुए हैं। जब भजन लाल जी अढ़ाई सौ रूपए का अढाई हजार ले सकते हैं तो क्या ये बिल्डिंग खाली नहीं करवा सकते? (शोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम अपने गुड आफिस को इस्तेमाल करके इनकी बिल्डिंग खाली करवा दें तो क्या ये अश्योरैन्स देते हैं कि उसकी फालतू भाड़े पर नहीं चढ़ाएंगे?

चौ. भजन लाल: क्यों नहीं चढ़ाऊंगा? मैं इसलिये ही कह रहा हूं कि आज इनका किराया कहीं ज्यादा है।

श्री हीरा नन्द आर्य: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इन बातों का जिक्र न करते हुए एक सुझाव देना चाहता हूं। अच्छा किया कि ऐजुकेशन बोर्ड से * * * * को हटा दिया। एक विधायक के पास काफी काम रहता है इसलिये कोई अच्छा ऐजुकेशनिस्ट चेयरमैन बनाया जाए क्योंकि पीछे हमारा ऐजुकेशन की हालत बहुत खराब

रही है। इसके बाद मै। टीचर्ज के हाउस रैंट के बारे में कहना चाहता हूं। वैसे तो मैं चाहता हूं कि हाउस रैंट सभी टीचर्ज को दिया जाना चाहिये। अगर सभी को नहीं दिया जा सकता तो 15 किलोमीटर के नजदीक जिसका अपना मकान ही उसको छोड़ कर बाकियों को हाउस रैंट दिया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्षः किसी एम.एल.ए. के विशय में जो कहा गया है कि वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री भले राम (बड़ौदा, अनुसूचित जाति): आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, कई रोज इस सदन में गवर्नर एड्रैस पर और बजट पर बहस चली और काफी सदस्यों ने उसमें भाग लिया। आज ऐप्रोप्रिएशन बिल आया है। इस बोलने हुए आर्य साहब ने ऐजुकेशन का जिक्र किया। यह निहायत जरूरी है कि ऐजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार ने इसके लिए बेहद कोशिश की है कि शिक्षा का स्तर बढ़े। इस बात को देखते हुए यह भी जरूश्री है कि एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन कोई ऐजुकेशनिस्ट होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐजुकेशनिस्ट वह होता है जिसका ऐजुकेशन के ताल्लुक रहा हो। चाहे युनिवसिटी में रहा हो चाहे स्कूल में हैड मास्टर के तौर पर रहा हो क्योंकि वह ऐजुकेशन के बारे में जानकारी रखता हे। मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि जिस समय मैं ऐजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन लगा तो मैंने बेहद कोशिश की कि ऐजुकेशन का स्तर बढ़े। पहले स्कूलों में कौपिंग की बीमारी थी। आप पिछले

तीन–चार साल का रिकार्ड देख लें, मैं जितनी देर वहां रहा, उस दौरान सब से कम रिजल्ट आया। कम रिजल्ट आने का कारण यही है कि हमने कौपिंग नहीं होने दी। इसके साथ–साथ मैं कहना चाहता हूं कि पहले वहां बहुत खराब इन्तजाम था। जनता पार्टी के वक्त वहां कुछ आदमी लगे थे और उन्होंने शरारत करने की कोशिश की थी या बदमाशी करने की कोशिश की थी मैंने उनको बर्दाश्त नहीं किया था। इस बात की भी जिक्र आया कि पेपर इस तरफ भी छापे गए और उस तरफ भी छापे गए। छपवाई के मामले में प्रैस के साथ हमारा ऐग्रीमैंट होता है जोकि बताया नहीं जा सकता है कि किस–किस प्रैस के साथ होता है। ऐसा दो चार स्कूलों में हुआ था। हमने फौरी तौर से उस गलती को सुधारा और कहा था कि जसने ऐसा किया है उसको सजा मिलेगी। लेकिन यह कहना कि ऐजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन ने यह कर दिया, वह कर दिया यह सरासर गलत है। मैं वहां उस समय गया था जब ऐजुकेशन बोर्ड की बिल्डिंग पर एक ईट भी नहीं लगी थी। आप देखें कि अब अप्रैल में उस बिल्डिग का उदघाटन होगा। इसके साथ–साथ मैं यह कहना चाहता कि कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिनको सरकार इम्पलीमैंट करना चाहती है लेकिन मुझे कहने में गिला नहीं कि दु:ख इस बात का है कि वे स्कीमें इम्पलीमैंट नहीं होती हैं। हरिजनों के लिए बहुत सी स्कीमें हैं। जैसे ट्रैक्टर, कार और टैक्सी परचेज करने के लिए हरियाणा हरिजन कल्याण निगम न सबसिडी दी थी लेकिन नेशनेलाइज्ड बैंक कोआप्रेट नहीं करते। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जब हमारा करोड़ों रूपया

इन बैंकों में जमा है तो क्यों नहीं हम अपन उस पैसे को निकलवा कर कोआप्रेटिव बैंकों में जमा करवा देते या जा बैंक सरकार से कोआप्रेट उनके यहां जमा करवा दें? एक कमेटी कोई स्कीम पास करती है और टी.ए. डी.ए. पर इतना खर्चा होता है लेकिन जब वह स्कीम बैंक में जाती है तो वह वापिस कर देते हैं। वह बड़े दु:ख की बात है। इसलिये ऐसे बैंकों से सरकार अपना पैसा निकलवा लें। इसके साथ–साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे वैलफेयर महकमें की तरफ से कुछ स्कीमें हैं जो हरिजनों के लिए हैं। वहां पर एक सी.डी.पी.ओ. लगा होता हैं। उसको अप्वायंटमैंट के लिए क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा रख रखी है। उसके लिए एम.ए./एम. एल.ए. चाहिए। इतनी क्वालिफिकेशन वाले बहुत कम लड़के मिलते हैं। इसके अलावा यह भी मांग होती है कि वह स्पैशलाइजड इन न्यट्रेशल प्रोग्रमा में भी होना चाहिये। वहां पंजीरी बांटने की ही बात है और कोई खास बात नहीं है। इसलिये उसको क्वालीफिकेशन रिलैक्स की जानी चाहिए। इसके बाद मैं पैन्शल की बात करूंगा। विधवाओं को केवल 30 रूपये पैंशन मिलती है और ओल्ड इज पैंशन 60 रूपए मिलती है। उसके साथ–साथ अगर किसी के 8 बच्चे हो तो उनमें से केवल दो को पैसे मिलते हैं बाकि को नहीं मिलते। मैं चाहता हूं कि बाकियों को भी मिलने चाहिएं। इसके बाद मैं फ्लड के बारे में कहना चाहता हूं जिसकी हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रोब्लम है। जब चौ. देवी लाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो एक मीटिंग हुई थी। उसमें चौ. वीरेन्द्र सिंह तथा दूसरे सभी शामिल थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद

उन्होंने एलान किया था कि मेरा दो सूत्री प्रोग्राम है। पानी का प्रबन्ध होगा, भ्रश्टाचार बन्द होगा और ऐ र र र का भजन गाया जाता था।

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य कौन सी भाशा बोल रहे हैं? यह कौन सी भाशा है ऐ र र र ऐ र र र। (हंसी) इसको ऐक्सपंज किया जाए।

श्री भले राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि जब चौ. देवी लाल जी मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने यह एलान किया था कि मेरा दो सूत्री प्रोग्राम होगा, पानी का प्रबन्ध होगा, भ्रश्टाचार बंद होगा। जब पब्लिक रिलेशन वाले फील्ड में जाते थे तो उस समय इस नारे पर भजन कहते थे कि पानी का प्रबन्ध होगा, भ्रश्टाचार कतो बंद होगा, हरियाणा खुशहाल बने, ऐ र र र। (हंसी) तो इस तरह ने नारे लगा करत थे। डिप्टी स्पीकर साहब, 138 करोड़ रूपए की मास्टर प्लान बनाई गई थी लेकिन आपने देखा होगा कि दो अढ़ाई साल के अन्दर कितनी बुरी तरह से बाढ़ आई थी। यह बात ठीक है कि अब दो तीन साल से बारिश अच्छी नहीं हुई लेकिन मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार ने जो 14 करोड़ रूपए बाढ़ के कामों के लिए रखे हैं यह थोड़े हैं। जो ज्यादा से ज्यादा स्कीमें अधूरी पड़ी हैं, जिस इलाके में ज्यादा फ्लड आता है, विशेश कर गोहाना में, उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है

वह बहुत देर में होती है। मैं आई.सी.एम. साहब से प्रार्थना करूंगा कि इसी महीने में फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग बुला करके फ्लड का कोई इन्तजाम करें। जो कुछ भी आगे आने वाले फ्लड के बारे में इन्तजाम कर सकते हैं वह पहले ही कर लें। इन शब्दों के साथ मैं इन एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री फतेह चन्द विज (पानीपत): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड.आर.) के बारे में बोलता हुआ यह सुझाव दूंगा कि जो नई सड़कें बनाने का और पुरानी सड़कों को मुरम्मत करने का स्पेसिफिकेशन है यह बहुत पुराना है इसको चेंज करने की आवश्यकता हैं जिस समय ये सड़कें बनाई गई थी उस समय यातायात पर जो भी व्हीकल्ज चलते थे वे बहुत हल्के होते थे। आज के जमाने में बहुत भारी व्हीकल्ज आ गए हैं। भारी व्हीकल्ज होने के कारण सड़कें बहुत जल्दी टूट जाती हैं। इस बारे में मैं सुझाव दूंगा कि जो नई सड़के बनाई जाएं उनकी मोटाई ज्यादा होनी चाहिए और जिन सड़कें की मुरम्मत की जाए उनकी अच्छी तरह से बजरी वगैरह डाल कर मुरम्मत की जानी चाहिए। थोड़ी–थोड़ी बजरी और रोड़ी डाल कर वैसे ही पैसा बर्बाद कर करें। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भी अपने हल्के की एक सड़क के बारे में जिक्र करना चाहूंगा जोकि बहुत ही जरूरी है। मेरे हल्के में एक रोहतक, गोहाना, पानीपत रोड पर बिन्जोल जाटल गांव हैं। इन गांवों के बीच में डेढ़ किलोमीटर का टुकड़ा बनना है। मैंने

इस बारें में दो तीन साल पहले भी लिख कर दिया हुआ है लेकिन वह आज तक नहीं बनाया गयाहै, उसको बना दिया जाए। यदि उस सड़क को बना दिया जाता है तो वे गांव शूगर मिल के साथ मिल जाएंगे। वह सड़क न बनने के कारण जा गन्ने का सीजन होता है तो उन गांवों के लोग तीन चार महीने बड़े दु:खी रहते हैं। कच्चा रास्ता होने के कारण ऐक्सीडैंटस भी काफी होते हैं। बैलगाड़ी, ट्रक और दूसरे गढ्ढे वगैरह उलट जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, आपने भी देखा होगा गन्ने से भारी हुई बैलगाड़ी या ट्रक उलटे हुए होते हैं। उस ऐप्रूवल भी हो गई लेकिन पता नहीं सरकार किस चीज की इंतजार में है जो उस सड़क को नहीं बनाय जा रहा है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उस सड़क को जरूर बनाया जाए ताकि उन गांवों के किसानों को फायदा हो सके और कम से कम समय में अपना गन्ना शूगर मिल में ला सकें। सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने कई दफा एलान किया है कि जो 250 से ज्यादा की आबादी की ढाणियों हैं जिनको आबादी के हिसाब से गांव नहीं बल्कि यह कहते हैं कि लोग डेरे बना कर रहते हैं उनको सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। मैं पिछले तीन साल से लिख रहा हूं कि पानीपत में तहसील के सामने जी.टी. रोड पर रेलवे स्टेशल के दरमियान 500 से ज्यादा आबादी है नीचे से रिपोर्ट होकर आ चुकी है कि वह सड़क बनाई जाए वहां पर केवल डेढ़ किलोमीटर की लम्बाई की सड़क बनती है जिसके द्वारा उस आबादी के जमींदार अपना माल उधर ला सकेंगे। उस सड़क को बनाने के

लिए ऐस्टोमेट बना करके ऐडमिनिस्ट्रेटर की ऐप्रूवल के लिए केस पड़ा हुआ हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उस सड़क को बनाने के लिए जल्दी से जल्दी ऐप्रूवल दिलाई जाए। मैं सरकार से नोटिस में यह बात भी लाना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ एलान ही न करे बल्कि उस एलान को अमलीजामा भी पहनाए। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले तीन–चार सालों से लगातार यह कहा जा रहा है कि शहरों के अन्दर जो प्राइमरी स्कूल हैं वे किराए की बिल्डिंगों में हैं। हर आने वाले सैशन में इस बात का जिक्र होता है कि पिछले सैशन में जिस प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग के 8–10 कमरे थे उसके चार या पांच कमरे और गिर गए हैं। उन बिल्डिगों के के जो मालिक हैं, जिनके सरकार ने वह बिल्डिंग किराए पर ली थीं, वे इस मौके की इन्तजार में होते हैं कि जब रात को बारिश आने वाली होती है, स्कूल बन्द होता है उस समय एक आदमी बिल्डिंग को छत पर चढ़ जाता है और वह खुरपे से मिट्टी उठा देता है जिसके कारण छत का पानी वहीं पर रूकल जाता है और वह बिल्डिंग गिर पड़ती है। उनका यह मतलब होता है कि जो कमरे हैं ये गिर जाएं और यहां पर मैदान हो जाए ताकि उन्हें उसका कब्जा लि जाए। वे सोचते हैं कि उन्होंने वे बिल्डिंग 5–10 हजार रूपए में ली हुई हैं। यदि उसका कब्जा मिल जाए तो वे उसे दो लाख रूपए में बेच देंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर वे बिल्डिंग्ज गिर गई तो गवर्नमैंट क्या करेगी? हर शहर में 10–15 प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंग के लिए कहां से प्लाट लेगी? कहां बिल्डिंग बनाएगी? अगर पहले ही बहुत थोड़े पैसे से कोई स्कीम

बनाती और वह रीहैबिलीटेशन की जमीन पहले ही ले लेती है, ऐक्वायर कर लेती और उनकी मुरम्मत करवा देती तो ऐसी नौबल नहीं आती। जो बिल्डिंगे 15–15 कमरों की थीं आज उनके अन्दर 4–5 कमरे रह गए हैं बाकी सारे गिर चुके हैं। मालिक उनको ठीक करवाने के लिए तैयार नहीं हैं। बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है। अगर बारिश आ जाती है तो उनकी छुट्टी कर दी जाती हैं यदि इस तरह से होता है तो बच्चे क्या पढ़ते होंगे। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके वह किराए की बिल्डिंगें ऐक्वायर करके कमरे बनाए जाएं और जो कमरे गिर गए हैं उनकी मुरम्मत करवाई जाए वरना साल या दो साल में इतनी प्रोब्लम हो जाएगी कि हर शहर में सरकार को 10–10 और 15–15 प्राइमरी स्कूलों की बिल्डिंगें बनानी पड़ेंगी। सरकार अपने वायदों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है वैसे ही कह दिया जाता है कि हम यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं। मैं सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस मैटर की तरफ ऐमरजैंसी के तौर पर ध्यान दे करके उनर बिल्डिगों को ऐक्वायर करके उनकी मुरम्मत करवाई जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं और आप एक ही जिले के रहने वाले हैं। आपको पता है कि पानीपत एक औद्योगिक नगर है। पानीपत ने हरियाणा का ना औद्योगिक दृश्टि से वर्ल्ड के नक्शे पर ला कर रखा हुआ है। आप वर्ल्ड में किसी भी जगह पर चले जाएं आपको पानीपत के हैंडलम के वस्त्र नजर आएंगे। पानीपत को 'ए' क्लास शहर भी करार दिया हुआ है लेकिन आप वहां जा कर देखें उनकी हालत 'डी' क्लास शहर से भी बुरी है। उस शहर जितना बुरा हाल किसी

भी दूसरे शहर का नहीं हो सकता। वहां पर जितनी नालियां, जितनी सड़कें और जितनी गलियां हैं, वे सारी की सारी टूटी हुई हैं। जब भी वर्ल्ड के लोग वहां पर आते हैं और उनको शहर के अन्दरूनी कारखानों में जाना होता है तो वे अपने नाक पर रूमाल रख कर जाते हैं और कहते हैं कि आप इस नर्क में कैसे रह रहे हैं? अगर सरकार ने उसको 'ए' क्लास शहर करार दिया हे और वह इतना बड़ा औद्योगिक नहर है, वहां से 50 करोड़ रूपए से ज्यादा का माल सालाना ऐक्सपोर्ट भी होता है, फौरन ऐक्सचेंज कमा कर देने वाला वह शहर है लेकिन यदि उसकी इतनी बुरी हालत हो तो मैं कहूंगा कि आप शहरी विकास की तरफ जो रूपया खर्च करते हैं और कहते हैं कि मोडर्न शहर बनाया है वह सब बेकार है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि पानीपत शहर की तरफ पूरा ध्यान दिया जाए। कोई कमेटी बनाकर उससे उस शहर को सर्वे करवाएं और उसकी रिपोर्ट ले कर कोई खास प्रोजैक्ट के जरिए शहर की हालत को ठीक करवाया जाए। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्बन डिवैल्पमैंट के बारे में अर्ज कहना चाहूंगा। पिछली दफा भी सैशन में यह जिक्र आया था कि जिन जिन लोगों की जमीनें चार पांच साल पहले ऐक्वायर हुई थी उसका रेट लोगों को 8 रूपए या 10 रूपए मीटर के हिसाब से दिया गया। लेकिन कुछ लोग जिनके पास पैसा था वे हाई कोर्ट में चले गए और गवर्नमैंट के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। उन लोगों ने अपील में जा करके 30–30, 40–40 और 50–50 रूपए प्रति मीटर बढ़वा लिए। जो गरीब लोग थे, जो हाई कोर्ट में

जाने का खर्चा बर्दाश्त नहीं के सकते थे, उनको वह फायदा नहीं हुआ। उन जमींदारों को सफर क्यों करना पड़े? इन्साफ यह होना चाहिए था कि उसी एरिया में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने जो रेट बढ़ा कर दिया उन लोगों को भी जो अपील में नहीं गए उसी हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। जो गरीब आदमी हाई कोर्ट में नहीं जा सके उनका क्या कसूर हैं? अब तो केन्द्रीय सरकार ने भी ऐक्ट में तरमीम कर दी है और राज्य सरकार को लिख दिया है कि उन जमींदारों के अलावा जिनकी इन्होंने 60–60 रूपए मीटर के हिसाब से दिए है, उन लोगों को भी बढ़ा हुआ पैसा दिया जाए जो पैसे की कमी के कारण अपील में नहीं जा सके। उनका नुकसान भी पूरा किया जाए तथा उनको बुला कर पैसा दिया जाए। उनका सिर्फ यदि कसूर था कि वे पैसे की कमी के कारण हाई कोर्ट में नहीं जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इण्डस्ट्रीज के मुत्तालिक कहना चाहूंगा। आज गांव गांव में तकरीबन 5–5 यूनिट लगे हुए हैं। ये सारे यूनिट गांवों में बन्द पड़े हैं। किसी गांव में एक आध यूनिट चल पा रहा होगा। सरकार ने लोगों को ऐसी छोटी–छोटी इण्डस्ट्रीज लगाने के लिए लोन की सहूलियत दी हुई और लोन के साथ साथ सबसिडी भी दी गई है। लेकिन जब वे उस यूनिट में अपना माल तैयार करते हैं तो उसको कोई उठाने वाला नहीं है। जब तक उनका माल सेल नहीं होगा, वे अपना काम कैसे आगे बढ़ायेंगे? माल न उठने पर ये यूनिट अपने आप बन्द होते चले

जायेंगे और उस पर जो पैसा लगा है वह बरबाद हो जायेगा। (घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: आपका समय हो गया है। अब आप वाइंड–अप करें।

श्री फतेह चन्द विज: डिप्टी स्पीकर साहब, अब में को–आप्रेशन के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार ने आजकल हैण्डलूम के एपैक्स कायम किए हुए हैं। इस बारे में जो रूल्ज बने हुए हैं या जो ऐक्ट बना हुा है उसके मुताबिक हर एपैक्स का चुनाव होना चाहिए। आजकल जिस किसी भी एपैक्स में काम हो रहा है, उसके पिछले 6 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं। बिना चुनाव हुए ही एपैक्स का बोर्ड बना दिया जाता है जबकि ऐक्ट के मुताबिक हर साल चुनाव होने चाहिएं। बिना चुनाव कराये हुये चेयरमैन को लगा दिया जाता है, और उसको कार, 1000 रूपये महीने तनख्वाह के रूप में और टी.ए. वगैरा आज के दिन दिया जा रहा है। मेरी इस बारे में प्रार्थना है कि इस एपैक्स के चुनाव होने चाहिएं।

चौ. सूबे सिंह (उचाना कलां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय हाउस में हरियाणा विनियोग विधेयक (न. 2) पर चर्चा चल रही है। इस बिल के बारें में मैं विशेश तौर पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की अर्थ व्यवस्था कृशि पर आधारित है। आज देश के 88 प्रतिशत किसानों

के पास एक एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की जोते हैं। सदन में यह भी बात आई है कि जो किसान 10 हौर्स पावर तक पम्प सैट इस्तेमाल करेंगे उनको कर से छूट दी जायेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, आज देश के 90 प्रतिशत किसान खेती पर आधुनिक ढंग के उपकरणौं को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो आय होती है वह घर के ही गुजर में खर्च हो जाती है। वह अपनी उपज कम होने के कारण बेच नहीं पाता और न ही उनको कोई बचत हो पाती है। बचत न होने के कारण ही वह किसान आधुनिक ढंग के उपकरण इस्तेमाल नहीं कर पाता। इस बारे में मेरा सरकार को सुझाव है कि कृशि को भी उद्योग की तरह एक उद्योग मान जाना चाहिए और उसे जल्दी से जल्दी उद्योग के रूपव में मान्यता दी जानी चाहिए। आज एक नौजवान जिसकी उद्योग में रूचि है उसके लिए सरकार ने यह व्यवस्था कर रखी है कि वह नौजवान यदि उद्योग लगाना चाहता है तो उसे बहुत सी सहुलियतें करों में और सबसिडी आदि के रूप में दी हुई हैं। दूसरी तरफ एक नौजवान जो एक किसान परिवार से है और खेती करना चाहता है खेती में उसकी रूचि है लेकिन सरकार उसको सुविधाएं देने में कंजूसी करती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उन नौजवानों के लिए, जो नए सिरे से जमीन खदीद कर खेती करने में रूचि रखते हैं, उसी तरह से सहूलियतें करो, आबियाने, जमीन खरीदने में और रजिस्टरी करवाने में तथा सबसिडी आदि के रूप में दी जानी चाहिए जिस प्रकार से इण्डस्ट्रीज लगाने वालों को दी जाती हैं। कृशि देश की रीढ़ की

हड्डी है। जब तक कृशि उत्पादन ज्यादा नहीं होगा तब तक देश भी खुशहाल नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, उद्योग लगाने में और कृशि लगाने में बहुत अन्तर है। कृशि में हमेशा रिस्क रहता है। कृशि पर समय–समय पर कुदरत की मार किसान को सहनी पड़ती है। जो नौजवान खेती में रूचि रखता है उस पर ऐसी कुदरत की मार पड़ने पर उसका हौंसला टूट सकता है। यदि सरकार उनको सुविधाए देगी तो और नौजवान आगे आएंगे और उससे देश का उत्पादन भी बढ़ पायेगा। यह एक प्रदेश का ही सवाल नहीं है बल्कि पूरे देश का सवाल है। आजकल जोतें बहुत छोटी छोटी होती जा रही हैं। छोटी छोटी जोतें होते हुए भी लोग आज खेती पर लगे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि छोटी जीत का नौजवान यदि खेती में रूचि रखता है और वह नए सिरे से जमीन खरीदना चाहता है तो सरकार को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और कृशि को उद्योग के रूप में मान्यता देनी चाहिए यही मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है।

श्री किताब सिंह (गोहाना): डिप्टी स्पीकर साहब, आज तक सत्ता पक्ष के लोग यही कहते रहे हैं कि कृशि को प्राथमिकता दी जा रही है। यही बात इन्होंने गवर्नर ऐड्रैस में भी कहीं और फिर वित्त मंत्री जी ने भी यहीं बात अपने बजट भाशण में कही। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये तो कृशकों को बहकाते हैं और उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता यानी उनको गुमराह किया जाता है। डिप्टी स्पीकर साहब, जब पीछे गेहूं के घास पात

नाशक के लिए सबसिडी दी गई थी तो वह सारी प्रयोग में नहीं लाई गई। उस समय लगभग 23 लाख रूपये ही सबसिडी के प्रयोग में लाये गए बाकी 97 हजार रूपये वापिस कर दिए गए। ये किसान का नाम लेकर किसान को लूटते रहे हैं। 1978–79 से लेकर 1982–83 के 5 सालों के दौरान कृशि प्रोडक्शन की कोई कीमत नहीं बढ़ीं। यह बात मैं सरकासर के आंकड़ों के द्वारा ही बता रहा हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, 1978–79 में खाद्यान्न जो 52 लाख 49 हजार टन पैदा हुआ था वह 1982–83 में 63 लाख 34 हजार टन पैदा हुआ है। इस तरह से 10 लाख 85 हजार टन की बढ़ौतरी इन खाद्यान्नों में हुई। इसकी कीमत 157 करोड़ रूपये बढ़ी है। इसी प्रकार से दालें 1978–79 में 10 लाख 84 हजार टन पैदा हुई जबकि 1982–83 में 3 लाख 14 हजार टन की पैदावार रह गई। यानी 1982–83 में 7 लाख 70 हजार टन की पैदावार कम हो गई जिसकी कीमत 308 करोड़ रूपये के करीब बनती है। आयल सीड की पैदावार 1978–79 में 94 हजार टन हुई जबकि 1982–83 में बढ़ कर 1 लाख 17 हजार 900 टन गई। इस प्रकार 23 हजार 300 टन की बढ़ौतरी हुई जिसकी कीमत 9 करोड़ 32 लाख रूपये बनती है। शूगर केन 1978–79 में 6 लाख 89 हजार टन पैदा हुआ जबकि 82–83 में 5 लाख 50 हजार टन पैदा हुआ यानि 1 लाख 39 हजार टन कम पैदावार हुई। इसकी कीमत 2.81 करोड़ रूपये बनती है। पोटैटो 1978–79 में 2 लाख 36 हजार टन पैदा हुआ जबकि 1982–83 में यह घट कर 1 लाख 37 हजार टनर रह गया है। 1978–79 में कौटन का उत्पादन 6 लाख 1

हजार टन और 1982–83 में बढ़ कर 8 लाख 40 हजार टन हो गया। इसमें 215 करोड़ रूपये की बढ़ौतरी हुई है। 1978–79 में मिर्च का उत्पादन 13 हजार 500 टन हुआ और 1982–83 में यह उत्पादन घट कर 10 हजार 400 टन रह गया। यानी के 1978–79 के मुकाबले में 1982–83 में 381 करोड़ रूपये का उत्पादन बढ़ा और 1983–84 में 318 करोड़ रूपये घट गया। इसमें लगभग 63 करोड़ रूपये का अन्तर रहा। इसी तरह हरियाणा सरकार के आर्थिक सर्वे के मुताबिक 1978–79 में 30 लाख हैक्टेयर जमीन पर प्लांट प्रोटैक्शन का काम हुआ और 1982–83 में यह एरिया बढ़ कर 60 लाख हैक्टेयर हो गया जिस पर 30 करोड़ रूपया अधिक खर्च हुआ। इसी तरह 1978–79 के मुकाबले में हमारे किसानें ने 1982–83 में 59 हजार टन शुद्ध खाद अधिक अपने खेतों में डाली यानी 1982–83 में खाद की खपत बढ़ गई जिसकी कीमत 30 करोड़ बनती हैं मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कभी और बढ़ौतरी का हिसाब किताब लगाया जाए तो किसान की जिन्स का सारा हिसाब किताब बराबर हो जाता है और सरकार रोज दावा करती है कि कृशि उत्पादन बढ़ गया और उसकी कीमत बढ़ गई है। मैंने इकोनोमिक सर्वे आफ हरियाणा से और सांख्यिकीय सारांश से आंकड़े दिये हैं और ये आंकड़े आपने ही दिये हुए हैं, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रहा। आप तक कृशि उत्पादन की कीमत नहीं बढ़ी, ज्यों की त्यों है। सारे किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही हैं 1978–79 से 1982–83 तक सारी स्टेट में ट्रैक्टरों की संख्या 21 हजार बढ़ी है जिनकी कीमत 1 अरब, 82

करोड़ के करीब बनती है। इसके अलावा टयूबवैल्ज की कीमत और दूसरी जमींदार के काम में आने वाली चीजें रह जाती हैं। सरकार बार बार कहती है कि कृशि को प्राथमिकता दे रही है, लेकिन वास्तव में यह प्राथमिकता नहीं दे रही बल्कि किसान की आंखों में धूल झोंक रही हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा का क्षेत्रफल 44 हजार 222 वर्ग किलोमीटर है और 1 किलोमीटर में 100 हैक्टेयर होते हैं।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): आप तो हरियाणा का क्षेत्रफल 200 किलोमीटर घटा रहे हो।

श्री किताब सिंह: चलो, जो आप कहते हैं वहीं मान लेते हैं। इस क्षेत्रफल में से जितना एरिया अंडर कल्टीवेशन है वह है 54 लाख 62 हजार वर्ग हैक्टेयर यानी अप्रौक्सिमैटली यह जमीन 1 करोड़ 10 लाख एकड़ के करीब बनती है लेकिन सरकार ने खेती की पैदावार के जो आंकड़े दिये है वह 1 करोड़ 35 लाख एकड़ दे दिये हैं और मैं समझता हूं कि यह आंकड़े गलत है। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान का विशेश ध्यान रखा जाए। अगर सिकान की इस तरह अनदेखी करते रहे तो किसान की कमर टूट जाएगी। अभी श्री सूबे सिंह ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन सरकार बिल्कुल अनदेखी करती है और राजनैतिक दृश्टि से भेदभाव करती है। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने स्कूलों और कालेज की कंस्ट्रक्शन/रिपेयर पर गोहाना में सिर्फ 11 हजार

रूपया खर्च किया है जबकि इसके मुकाबले में आदमपुर में 65 लाख 13 हजार रूपया खर्च किया है। यह फिगर बिल्कुल ठीक है। गोहाना में 1.1.79 से लेकर अब तक एक किलोमीटर तो क्या 1 मीटर सड़क भी नहीं बनी। मेरे हल्के में किलोई से गिवाना एक सड़क ऐसा है अगर वह बन जाए तो 10–15 गुणा सफर बच सकता है। यह अढ़ाई किलोमीटर का टुकड़ा है, अगर यह बन जाए तो कई गुणा चक्कर जो लोगों को लगाना पड़ता है, उससे वे बच जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री किताब सिंह जी, अब आप बैठ जाइए।

श्री किताब सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। 12 जून को गोहाना की पुलिस * * * *

श्री उपाध्यक्ष: यह बात रिकार्ड न की जाए। श्री किताब सिंह जी, आप बैठ जाइए। यह मुलाना साहब बोलेंगे।

चौ. फूल चन्द (मुलाना–अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, हरियणा ऐप्रोप्रिएशन (न. 2) बिल पर सदन में चर्चा चल रही है। 6 मार्च, 1985 से हरियाणा विधान सभा का सैशन चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा, उस दिन से लेकर आज तक सदन में किसी न किसी विशय को लेकर, चाहे गवर्नर महोदय का ऐड्रैस था, चाहे श्री सागर राम गुप्ता की बजट स्पीच थी, विपक्ष के मेरे भाई क्रिटिसाइज करते रहे। चाहिए तो यह था कि कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव सदन के सामने रखते, कोई अच्छी

बात करते जिसका सरकार मान लेती। उपाध्यक्ष महोदय, देखने में यह आया है कि पिछले चुनाव में हुई हार को धूमिल करने के लिए या आंसू पोछने के लिए सदन में कोई न कोई ऐसा मुद्दा उठाते रहे जिसका कोई आधार नहीं होता था।

डा. भीम सिंह दहिया: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर।

चौ. फूल चन्द: ठीक है, मैं बैठ जाता हूं, आप अपना प्वायंट आफ आर्डर कहिए, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो बात कहेंगे, वह सदी मायनों में प्वायंट आफ आर्डर होना चाहिए।

डा. भीम सिंह दहिया: प्वायंट आफ आर्डर क्या होता है, डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे पता है। मैं चौ. साहब को यही याद दिलाना चाहता हूं कि टाईम बहुत कम है, आप ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोल लें। हमारे ऊपर तो आप बोलते ही रहते हैं।

श्री जगदीश नेहरा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जैसे दहिया साहब ने कहा है कि मेरी भी यह रिक्वैस्ट है। अभी ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए किसान सिंह जी कहीं कत्ल का केस ले जाए तो कहीं कोई और बात कह गए। मैं भी आपके द्वारा सभी सदस्यों से गुजारिश करना चाहता हूं कि एक तो रैलेवैन्ट बोलें और दूसरे जब कोई बोल रहा हो तो कोई इन्टरफीयर न करे। (शोर)

श्रीमती चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहब, यह देखना तो आपका काम है, इनका नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: ये प्वायंट आफ आर्डर पर मुझे ही ऐड्रैस कर रहे थे।

चौ. फूल चन्द: डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी वकील हैं, मैं भी वकील हूं और कुछ दूसरे भाई भी वकील हैं। इस सब जानते हैं कि कई बार with the mis-representation of the case we lose it. If we do not put the case properly before the Hon'ble Court, we lose it. That was the issue. I mean to say that the Hon'ble Members on the other side did not put their case before the House property. डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मेरे एक भाई बोल रहे थे कि किसानों का कुछ नहीं किया गया। आज देहात के अन्दर अगर जाकर देखें तो मालूम होगा कि जितनी तरक्की आज है, उतनी पहले नहीं थी।

Sh. Ram Bilas Sharma: On a point of order, Sir, Is the Hon'ble Member replying to the discussion which took place on the Appropriation Bill or is the participating in the discussion? If he is giving reply, will the Minister be again given time to reply the discussion or his reply will be enough?

चौ. फूल चन्द: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाइयों के ज्ञान में वृद्धि कर रहा था। मौजूदा बजट में किसानों को काफी सबसिडी दी गई है। (विघ्न) बिजली के जैनरेटिंग सैटस पर 25 परसैंट सबसिडी दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐप्रोप्रिएशन बिल में डिमांड न. 2 जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की है। इसके बारे में मैं चर्चा करना

चाहूंगा। सरकार के ऐग्जैक्टिव, लैजिस्लेचर और जुडीशियरी तीन विंग हैं। आज के हालात में हम सबका, चाहे कोई एम.एल.ए. है या कोई और है, यह फर्ज बनता है कि हम जनता की दिक्कतों का समाधान करने की कोशिश करें। मैं अपने ऐग्जैक्टिव के भाइयों के खासकर यह निवेदन करना चाहूंगा कि व्यूरोक्रेसी को किसी रिफ्ट में पड़ने की बजाए लोगों के काम करने की चेश्टा करनी चाहिए। (विघ्न) वे लोग वैसे तो सहयोग देते हैं लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हम सबका, चाहे अधिकारी हों या लैजिस्लेटर्ज हो, यही फर्ज हैं कि हम पब्लिक की सेवा करें और ज्यादा से ज्यादा फायदा उन्हें पहुंचाएं।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं रैवेन्यू की डिमांड न. 4 की चर्चा करना चाहूंगा। सरप्लस भूमि का यहां जिक्र आया। सरप्लस भूमि वैसे तो हरियाणा में सरकारी कागजों में बंट चुकी है लेकिन अब उसमें थोड़ी पोजीशन बदल गई है। मैं सरकार और विभाग के भाइयों के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि मौके पर जिन भाइयों को कब्जा दिया गया था, कागजात में उनके नाम इन्दराज भी हो गए थे लेकिन मालिकों ने फिर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी आबंटन की गई भूमि का सर्वे करवा लिया जाए ताकि यह पता चल सके कि जो भूमि अलाटियों को अलाट की गई थी वह उसके कब्जे में है या नहीं? (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, जिन भाइयों की जमीन सरप्लस निकली है उनको भूमि का मुआवजा पूरा नहीं मिला। उनकी यह

इच्छा है कि उन्हें भूमि का मुआवजा पूरा और जल्दी मिले। भूमि तो उनको सरप्लस निकल गई लेकिन एकाध किस्त देने के बाद सैकण्ड इंस्टालमैंट उन्हें नहीं मिलीं। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि भूमि के मालिकों को भी भूमि का मुआवजा शीघ्रातिशीघ्र दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक बड़ी अच्छी प्रथा डाली है। जहां कहीं ओले पड़ते हैं उस इलाके के किसानों को मुआवजा दिया जाता है। आज सारे हरियाणा में खास करके अम्बाला जिल में सूखे के हालात हैं क्योंकि अम्बाला का क्षेत्र नहरों के मामले में पीछे रहा है। वहां सिंचाई के साधन कम है। टयूबवैल्ज कुछ सूख गए और कुछ चल रहे हैं। जहां टयूबवैल्ज का पानी लगता है वहां खेती है लेकिन जहां पानी नहीं है वहां आप जाकर दखे लें कि खेतों में बिल्कुल कुछ नहीं है। बहुत सूखा है। किसानों की दशा खराब हैं। अपना गुजारा तो वे क्या करेंगे, कर्जा भी चुका नहीं सकते। मैं अनुरोध करूंगा कि जिस क्षेत्र में सूखा है वहां स्पैशल गिरदावरी करवा कर लोगों को कम्पनसेशन दिया जाए कर्जे में राहत दी जाए तथा दूसरी सुविधाएं भी उन्हें मुहैयाद की जाएं।

डिप्टी स्पीकर साहब, थोड़ा सा निवेदन मैं सड़कों के बारे में करना चाहूंगा। बड़ी खुशी की बात है कि हम सारे देश में सड़कों के मामले में प्रथम नम्बर पर हैं। सरकार का यह निर्णय कि 250 की आबादी वाले गांव, चाहे वे रैवेन्यू ऐस्टेट में हैं या नहीं है, सबको सड़क से जोड़ दिया जाएगा बड़ा अच्छा कदम है

लेकिन मैं चाहूंगा कि सबसे पहले उन गांवों की सड़क से जोड़ा जाए जिनकी अभी तक एक लिंक भी नहीं मिला है। ऐसे क्षेत्रों का सर्वे करवा लिया जाए और उन्हें बहुत जल्दी सड़क से जोड़ दिया जाए ताकि लोगों को इस सुविधा से वंचित न रहना पड़े। (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि स्कूलों की दशा, बिल्डिंग्ज की कमी तथा स्टाफ की कमी की तरफ भी ध्यान दिया जाए और इस कमी को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैडिकल एंड पब्लिक हैल्थ के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि देहातों में जो रूरल डिस्पैन्सरीज हैं या प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज हैं वहां ऐक्सरे की सुविधा नहीं है। कई बार यदि किसी को हाथ पैर आदि में चोट लग जाती है तो उसे ऐक्सरे करवाने के लिये अम्बाला डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जाना पड़ता है। मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि ऐक्सरे की फैसिलिटीज शीघ्रातिशीघ्र रूरल डिस्पैंसरीज और प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज में उपलब्ध करवाई जाएं। (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहब, पैन्शन के हजारों केसिज वैलफैयर डिपार्टमैंट में पैंडिग पड़े हैं, क्योंकि उसके पासव फ्डंज बहुत कम हैं। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इस महकमें को ज्यादा से ज्यादा फ्लड दिए जाएं ताकि गरीब भाइयों के लिये जो स्कीमें बनाई गई हैं, वे सही मायने में लागू ही सकें। विधवाओं को और

हैंडिकैप्ड चिल्ड्रन को सबसे पहले हैल्थ दी जाए इसी तरह से चौपालों और मकानों के लिये जो ग्रान्ट दी जाती है, उसकी तादाद भी बढनी चाहिए। (घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इरीगेशन के सम्बन्ध में केवल एक बात कहना चाहता हूं। अम्बाला सिंचाई के क्षेत्र में बहुत पीछे रहा है लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि हमारी सरकार ने दादुपुर से नलवी वाया मुलाना एक नहर बनाने की योजना बनाई है। मैं चाहूंगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन का समय निश्चित कर दिया जाए ताकि अम्बाला जिले के किसान भी शीघ्रातिशीघ्र नहर के पानी को टेस्ट कर सकें। धन्यवाद।

13.00 बजे

डा. भीम सिंह दहिया (रोहट): डिप्टी स्पीकर साहब, सदन के सामने एप्रोप्रिएशन बिल आया है। मैं इसकी डिमांड नम्बर 9, 10, 13 और 22 पर बोलना चाहूंगा। डिमांड नम्बर 9 ऐजुकेशन के बारे में है। डिप्टी स्पीकर साहब, जो स्कूल्ज रूरल एरियाज में हैं उनकी बहुत ही बुरी हालत है। अजा के दिन शहर और गांव एक किस्म से दो वर्ग बन गए हैं। एक जगह पर ऐजुकेशन अच्छी मिलती है और दूसरी जगह पर मिनिमम फैसिलिटीज मिलती है। आज के दिन ऐजुकेशन की तो यह हालत है कि हजारों लड़के और लड़कियों गांवों से बसों में शहरों में पढ़ते के लिए आते हैं। आज सुबह हाउस में ट्रांसपोर्ट का सवाल भी आया था उसमें भी

यही बात थी कि बसों में भीड़ रहती है। अब भीड़ तो कुदरती तौर पर रहेगी जब गांवों से शिक्षा प्राप्त करने के लिये बच्चे शहर में आयेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, जो कोई भी गावों का आदमी शहरों की शिक्षा का खर्चा बरदास्त कर सकता है वह अपने बच्चों को शहरों में भेजता है। जो खर्चा नहीं बरदास्त कर सकता वह नहीं भेजता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि वह शहरों में क्यों भेजता है। यह बड़ी गम्भीर बात है। शिक्षा के महकमें को इस बात पर सोचना चाहिए कि गांवों के स्कूलों में ऐसी सुविधायें क्यों नहीं दी जा रही है जो शहरों में दी हुई हैं? वहां के बच्चे शहरों में क्या भागे आते हैं। केवल बच्चे ही शहरों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं आते बल्कि वहां पर टीचर्ज भी नहीं ठहरना चाहते हैं। हर टीचर गांव से शहर में ट्रांसफर कराना चाहता है जबकि 70 परसैन्ट बच्चे गांवों में पढ़ रहे हैं। गांवों में जो मां–बाप रहते हैं, वे अन्दर प्रिविलेज्ड हैं और शहरों का खर्चा वे बरदास्त नहीं कर सकते। जब तक गांवों के बच्चों को अच्छी ऐजुकेशन नहीं मिलेगी तब तक गांवों के लोगों की यही हालत रहेगी।

दूसरी बात मैं राई स्कूल के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। इन्होंने राई के अन्दर एक बड़ा स्कूल खोल रखा है जिसे स्पोर्टस स्कूल राई कहा जाता है। उस पर जो बजट खर्च किया जाता है वह बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है। जो वहां पर एक कैम्पस बनाया गया, उतने ही पैसे से और कैम्पस से एक

विश्वविद्यालय बन सकता है। मैने इस बारे में पिछले साल भी यहां सदन में जिक्र किया था कि उस स्कूल की आउटपुट बहुत कम है। जितना पैसा खच्र किया जाता है उतनी आउट पुट नहीं है। जितना पैसा खर्च करते हैं उससे तो एक स्पोर्ट इन्स्टीच्यूशन बनाया जा सकता है। इसलिये वहां इस पैसे का एक इन्स्टीच्यूशन आफ स्पोर्टस बनाया जाये जहां पर कालेज भी हो और स्पोर्टस का भी प्रबन्ध हो। वहां पर हरियाणा के अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को ट्रैन्ड किया जाये ऐसा करने से हरियाणा का नाम भी ऊंचा हो सकता है और इस पैसे का इस्तेमाल भी सही हो सकता है। वहां पर स्पोर्टस का खाली नाम है, ज्यादा पैसा तो वैसे ही खर्च होता है। वहां पर कुछ बच्चे चुन कर आते हैं, ज्यादा पैसा तो वैसे ही खर्च होता है। वहां पर कुछ बच्चे चुन कर आते हैं लेकिन जो 90 परसैन्ट बच्चे जिनका स्पोर्टस में इन्ट्रैस्ट है और अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, उन्हें वहां जाने का मौका नहीं मिलता।

तीसरी बात मैं मैडिकल कालेज रोहतक के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब हमारे प्रान्त में एक ही मैडिकल कालेज है। उसकी दुर्दशा है। दस साल पहले जो कालेज की हालत थी और जिसका ना सारे हिन्दुस्तान में था आज वह बात नहीं रही। अच्छे–अच्छे डाक्टर वहां से छोड़ कर चले गये। उसका कारण सभी को पता है। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि डयूल चार्ज वहां दे रखा है। एक वहां पर विश्वविद्यालय है जिसमें हर बात में दखल अन्दाजी होती है चाहे वह कालेज के

दाखिले की बात हो या कोई और बात हो। कन्ट्रोल के नाम से वहां पर इन्टरफियरैन्स की जाती है। दूसरी बात यह है कि उसे सरकारी कालेज समझा जाता है। अब कालेज को पता नहीं कि वह गवर्नमैंट की बात माने या यूनिवर्सिटी की बात को माने। बहरहाल वह कालेज अच्छी तरह से नहीं चल पाता हैं उसको अच्छा बनाने के लिए और जैसे पहले उसकी रैपुटेशन थी उसके बरकरार रखने के लिए मरा यह सुझाव है कि उस कालेज को औटीनोमस बना दिया जाये। उस विश्वविद्यालय से उसे छुटकारा मिल जाये। जो सरकार की ओर से अड़चन आती है वह भी खत्म हो जायेगी कयोंकि वहां पर रिमोट कन्ट्रोल से छुटकारा न हो जाए। रिमोट कन्ट्रोल से छुटकारा दिलाने के लिए उसे औटोनोमस कालेज बना दिया जाये। जो वहां पर दाखिले हों, इम्तहान हों वह औटोनोमस बाडी करे। डिप्टी स्पीकर साहब वहां जो हास्पिटल है उसमें दवाईयों का ठीक से इन्तजाम नहीं सैशन में पिछले दिनों सवाल भी आया था। आंकड़ो के हिसाब से बताया गया था कि 11 पैसे एक पेशैन्ट पर खर्च किये जाते हैं। ये बहुत कम पैसे हैं। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो पैसा दवाईयों के लिए दिया गया है वह ज्यादा होना चाहिए वह बहुत कम है।

इसके बाद सोशल वैल्फेयर की बात है। डिप्टी स्पीकर साहब, गरीब हरिजनों के लिए सैकड़ों स्कीमें बनायी गई हैं। सारी स्कीमें तो याद भी नहीं रहती है कि किसके मातहत पचास गज का प्लाट मिलना है, कितनी सबसिडी देनी हैया दे दी या किसी

काम को चलाने के लिए चार सौ रूपये देने हैं। सरकार ने हजारों स्कीमें चला रखी हैं। हरिजनों की जो हालत आज से 37 साल पहले थी आज भी वही हालत है। आप गरीबों के लिए केवल दो बातें कर दें एक तो इन्हें शिक्षा मुफ्त मिल जाये। वे चाहे बी.ए., एम.ए. तक पढ़ें लेकिन उनका कोई पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। जहां तक पढ़ना चाहें पढ़ लैं। दूसरे उन्हें नौकरी दी जाये। दोनों बातें सबके लिये हों जायें, तो उनकी हालत में सुधार आ सकता हैं। अगर आप यह बात नहीं करेंगे तो चाहे आप उन्हें कितना ही बड़ा प्लाट दे लें और कितना ही मकान बनाने के लिए पैस दे दें लेकिन उन्हें लाभ होने वाला नहीं है। पांच सौ रूपया मकान बनाने के लिए दे दें तो उसे रोजगार तो नहीं मिला। उसका गुजारा बिना रोजगार के कैसे होगा? आप इन छोटी–छोटी सभी स्कीमों को बन्द कर दीजिए और केवल इन दो बातों को पूरा कर दीजिए हरिजनों की हालत में सुधार हो जायेगा।

डिप्टी स्पीकर साहब, कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट के बारे में दो बातें अहम है जिनका मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। कोआप्रेट विभाग के नीचे लैंड मौर्गेज बैंक और शूगर मिल्ज आते हैं। जिस दिनर बैंकों के बारे में सवाल आया था उस दिन भी मैंने यह बात कहीं थी कि 43 बैकों में से सिर्फ 9 बैंकों ने डिविडैन्ड किसानों को दिया है। जो भी किसानों को कर्जा दिया जाता है उसमें से पांच परसैन्ट शेयर मनी का काट लिया जाता है लेकिन उसका कोई भी फायदा कर्जा लेने वाले किसानों को नहीं मिलता।

यहां हाउस में आश्वासन दिया गया था कि जून से पहले–पहले पैसा दिलवा दिया जायेगा लेकिन वह आज तक नहीं मिला है। दूसरी बात मैं इन बैंकस के बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो वहां पर कर्जे की दर रखी हुई है वह बहुत ऊंची है। उसे कम करने की जरूरत है। इन बैंकों को जो सैन्टर से पैसा मिलता है वह छः परसैन्ट पर मिलता है लेकिन किसानों को जो कर्जा दिया जाता है वह 11–12 परसैन्ट पर दिया जाता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले दिनों यमुनानगर शूगर मिल के बारे में आन्दोलन चला। वह इसलिये चला कि उन लोगों को भाव ठीक नहीं मिले। हम भी उस इलाके को देखने के लिये गये। जितना गन्ना यमुनानगर के एरिया में बोया जाता है शायद इतना सारे हरियाणा में नहीं बोया जाता है लेकिन वहां पर एक मिल लगा हुआ है और वह भी प्राईवेट है। वहां पर क्यों नहीं पब्लिक सैक्टर में मिल चालू किया जा रहा है? पानीपत में जो मिल खोला गया वह 15 दिन में बन्द हो गया, सोनीपत में चालू किया गया, वह एक महीने में बन्द हो गया। पलवल जीन्द, शाहबाद और दूसरे इलाकों में मिल खोले जा रहे हैं लेकिन जहां पर जरूरत है और चार मिल भी चल सकते हैं वहां पर हरियाणा सरकार मिल क्यों नहीं खोल रही है? इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर एक या दो मिल तो जरूरी खुलने चाहिएं।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात मैं मजदूरी के बारे में लेवर डिपार्टमैंट से कहना चाहता हूं। रोजाना अखबारों में भी

आता रहता है। पार्लियामैंट में भी सवाल उठा है कि बौंडिड लेबरर्ज हरियाणा में फरीदाबाद की क्वैरीज में खास तौर पर हैं उसके ऊपर जो जुल्म और अत्याचार किया जाता है, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। लोक सभा में सवाल उठा और वहां पर भारत सरकार को यह आश्वासन देना पड़े कि इस समस्या को हम सुलझायेंगे और हम उनको उनके अधिकार दिलायेंगे, यह हमारे लिये बहुत ही शर्म की बात है। हमारा यह विशय है। इसलिये हरियाणा सरकार की इस बात पर गौर करना चाहिये। कानून तो सभी बने हुए हैं। कानून तो अच्छे हैं। मिनिमम वेजिज का भी कानून है। लेकिन असलियत में हमारे मजदूरी कोमिनिमम वेजिज नहीं मिलते। यह भी गौर करने की बात है। जब मर्जी होती है, उनको निकाल दिया जाता है। उनकी मर्जी के अनुसार 70, 60 और 50 प्रतिशत वेजिज दिये जाते हैं। इसके लिये आप देखें क्योंकि हमारा इतना बड़ा महकमा बना हुआ है और कई अफसर लगे हुए हैं। लेबर आफिसर्ज हर डिस्ट्रिक्ट में और डिवीजनल लैवल पर लगे हुए हैं लेकिन अफसोस की बात है हैं कि वह पूजीपंति के भले की ही बात करते हैं गरीब मजदूर की बात नहीं मानी जाती। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री उपाध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज–बाई–क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

सरदार लछमन सिंह (कालका): डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी यहां पर ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बहस चल रही थी। मैं यहां पर सबसे पहले सड़कों के मुताल्लिक बात करना चाहूंगा। कालका हल्के की सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। यहां तक कि जहां पर एक–एक हजार की आबादी है, वहां पर भी सड़कें नहीं हैं। दो तीन गांव ऐसे हैं जैसे बसोल है, कीरतपुर है, वहां पर सड़कें नहीं बनाई गयी हैं। यह पिंजौर नालागढ़ रोड पर है। यह कह कर कि यह सड़के तो किसी जमाने में जिला परिशद की सड़कें थी, नहीं बनाई जा रही हैं। इसलिये मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि उनको फौरन बनाये। एक माजरी से चण्डीगढ़ को सड़क चलती है। उससे कालका का सफर 10–12 किलोमीटर कम हो जाता है, वहां पर तीन किलोमीटर का बीच का टुकड़ा छोड़ दिया गया है, बाकी सड़क बनी हुई है, उसको भी मिनिस्टर साहब कोशिश करके जल्दी से जल्दी बनवायें। इसके अलावा दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन के वक्त बहुत धांधली मची हुई है। रजिस्ट्रेशन आफिस के अन्दर बहुत बुरा हाल है। इसके लिये या तो सरकार को कोई महीना मुकर्रर कर देना चाहिये कि फलां महीने में इतने पैसे रैडक्रास के नाम से लिये जायेंगे। अब होता

क्या है? सभी जानते हैं। आप भी, मेरा ख्याल है कि जानते हैं कि जमीनें तो बहुत महंगी हो गयी है। एक–एक दो–दो लाख की रजिस्ट्री बनती है। तहसीलदार यह कहता है कि 5 हजार रूपया रैडक्रास के लिये दो। किसान बेचारा कहता है कि 5 हजार नहीं, एक हजार ले लो मुझे टिकट नहीं चाहिये। ऐसा अकसर होता है। क्या सिस्टम बना हुआ है? इस डर से कि कहीं विजीलैन्स वाले रेड न कर लें चपड़ासी की डियूटी लगा दी कि चपड़ासी को पैसा दे दो। इसलिये मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर रेड के अन्दर कोई पैसा चपड़ासी से पकड़ा जाये या क्लर्क से पकड़ा जाये तो वह रजिस्ट्रार का पैसा समझा जाना चाहिये क्योंकि चपड़ासी या क्लर्क के पास तो पैसा आयेगा नहीं। उनके पास कहां से पैसा आयेगा। यह बड़ा ही सीरियस मामला है। एक दूसरी बात यह है कि रैडक्रास का आडिट नहीं होता। डी.सी. को तो वहां से पैसा चला जाता है और वह इसमें खुश है कि काम तो चल गया। इसमें शक नहीं है कि रैड क्रास के लिये जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, यह काम तो बहुत अच्छा है लेकिन इसके लिये कोई न कोई वक्त मुकरर्र करना चाहिये। अगर इसक लिये कुछ पैसा इकट्ठा करना ही है तो हमारी तनख्वाहों से काटो, अफसरों की तनख्वाहों के काटो मगर किसान गरीब को क्यों तंग किया जा रहा है? किसान को बहुत तंग किया जा रहा है। मैं यह चाहूंगा कि इसके लिये सरकार को डी.सीज. को बहुत सख्त हिदायतें करनी चाहियें। हरियाणा के 12 जिलें है। आप अखबारों में दें कि हर तहसील के लिये कितने–कितने टिकट रैडक्रास के दिये गये हैं ताकि लोगों

को यह तो पता लग जाये कि कालका या नारायणगढ़ या छछरौली के लिये 10000 के टिकट आये हैं इससे लोगों को इस बात का तो अन्दाजा हो जाये कि रजिस्ट्रेशन के वक्त कितने पैसे देने चाहियें। आजकल तो यह काम अंधेरे में हो रहा हैं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि इसके अनदर बहुत घपला है। अगर सरकार इस बात की इंक्वायरी करवाए कि पिछले साल या दो साल में कितना पैसा टिकटों के जरिये इकट्ठा किया गया है और वाकई कितना पैसा रजिस्ट्री करवानें वालों से लिया गया हैं तो पता लग जायेगा। एक–एक रजिस्ट्री से पता लग जायेगा। फिर यह कहेंगे कि सबूत कया हैं। सबूत तो यह हैं कि आप ईमानदारी से देख लें। सबको पता हैं।

इससे अगली बात मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में अर्ज करना चाहूंगा। मोरनी के अन्दर सवा करोड़ रूपये को एक स्कीम चालू हैं। इसको तीन साल हो गये है। 4–5 लाख रूपये के लिये डिपार्टमैंट की वजह से वह काम लटका हुआ है। इस काम की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार इस तरफ ध्यान दे। इरीगेशन की बात मैंने पहले भी कही है। शायद फाइनैन्स मिनिस्टर साहब, उसक लिये मान गये हैं। उन्होंने कोशिश की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी अपोजीशन के हल्के हैं, उनमें 1983 के बाद एक पैसा भी इस मामले में नहीं खर्च किया गया है। यह समझते हैं कि कालका हरियाणा में नहीं है। कालका के बगैर हरियाणा का काम भी नहीं चलेगा। वहं के तमाम लोगों

के अन्दर आज बड़ी रिजैटमैंट है। वह यह महसूस करते हैं कि काम करना तो सरकार की डियूटी है एम.एल.ए. का क्या है। वह तो अपनी मन्शा अनुसार काम करता है। उसको चाहे कन्वीनीयैन्ट है या इनकन्वीनीयैन्ट है, वह अपोजीशन में भी जा सकता है, मुखालफत भी कर सकता है। काम करना तो सरकार की डियूटी है। इलैक्शन तो हरियाणा में भी आयेंगे चाहे दो साल के बाद आयें या जल्दी। यहां पर 10–12 इन्डीपैंडैन्ट आदमियों ने आना ही आना हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है। पिछले रिजल्ट सामने हैं। इसलिये यह सोचना चाहिये कि कल को क्या होगा। यह जो परम्परा बना रहे है, यह कल को इनके खिलाफ भी इस्तेमाल होगी। फिर यह कहेंगे कि बहुत अन्धेरखाता मच गया। मैं यह कहूंगा कि परम्परायें ठीक बनायें। ऐसे असूल कायम करें ताकि आने वाले समय में कोई दूसरी आदमी अगर ताकत में आ भी जायें तो वह कुछ कर न पायें। इस तरीके से सरकार को चलाना चाहिये। इस तरह से नहीं चलाना चाहिये कि जो मर्जी कर लो। हमारी परमानैन्सी हो गयी। पोलिटिक्स में nothing is certain and nothing is permanent. डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे मालूम है कि आपने अब घंटी बजा देनी है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि सरकार मेरी इन बातों की तरफ गौर करें। धन्यवाद।

श्री निर्मल सिंह (नग्गल): डिप्टी स्पीकर साहब, आज बहुत खुशी की बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने सदन में यह कहा है कि हरियाणा के किसान को भी बोनस देने के लिये

सरकार सैन्टर से पुरजोर कोशिश करेगी। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि हरियाणा और पंजाब के फार्मर्ज की समस्यायें समान हैं क्योंकि हरियाणा बनने से पहले पंजाब और हरियाणा इकट्ठे ही थे। इसलिये मेरा कहना यह है कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये यह बहुत ही ही जरूरी है कि जिस तरह से पंजाब के किसानों को बोनस दिया गया है, उसी तरह से हरियाणा के किसानों को भी बोनस दिया जाये। मेरा कहना यह है कि हरियाणा के किसानों को पंजाब के किसानों की ही तरह व्हीट और पैउी पर बोनस मिलना चाहिये। इसके अलावा अब मैं अपनी कांस्टिचुएंसी के बारे में दो चार बातें कहना चाहूगा। मेरी कांस्टिच्यूएसी त्रिखली से लेरक गानीपुर जो इस्मायलाबाद से भी आगे है, 70 किलोमीटर लम्बी है। वहां पर सभी छोटे–छोटे नाले–नदियां गुजरते हैं। यह पहाड़ की तलहटी में होने के कारण वहां से गुजरते हैं। वहां पर पुल और रोडज की बहुत कमी है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि आज सरकार ने सभी गांवों को सड़कों से मिला दिया है लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहां से शहर को जाने के लिये 20, 25 और 30 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। अगर बीच के टुकड़े बना दिये जायें तो इतनी दूरी जो उनको तय करनी पड़ती है, वह बच सकती है। रोडज के मामले में जलबहेड़ा से लुगाड़ा, सौंडा के कौला और लदाना से बलाना को मिलाना जरूरी है। इसी ढंग से सम्भालखा एक ऐसा गांव हैं, जहां पर छोटी नदियां कई ऐसी हैं जिनकी वजह से बरसात में अम्बाला कैंट से यह इलाका कट जाता है वहां पर पुल को मन्जूरी मिल

चुकी है। उसे जल्दी से बनाया जाए। इसी तरह से ब्राहमण माजरा एक गांव है। रेलवे स्टेशन से खुडडा वगैरा कई गांव कटे हुए हैं। इसको रेलवे स्टेशन से जोड़ने के लिये जखेड़ी और खुड्डा की सड़कें बहुत जरूरी हैं। मेरे से पहले चौ. फूल चन्द जी ने बताया कि नलवी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम में दादुपुर से जो नहर आयेगी, उससे पानी आयेगा। आई.पी.एम. साहब ने यह स्पश्ट नहीं किया कि कितना पेसा सातवीं फाईव ईयर प्लान में इसके लिये निकाल कर रखा हैं और कब तक यह स्कीम बनकर कम्पलीट हो जायेगी। इसी तरह से कोआप्रेशन डिपार्टमैंट के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट के किसान से कर्जा उगाहने के तरीके ठीक नहीं हैं। मंत्री जी ने यहां पर यह बताय है कि सभी कर्जे उगाहने के तरीके ठीक नहीं हैं। मंत्री जी ने यहां पर यह बताया है कि सभी कर्जे पोस्टपोन कर दिये गये हैं लेकिन पुराने कर्जे के नाम पर अभी भी किसानों को तंग किया जा रहा है। उनको घरों से बाल–बच्चों के बीच में गिरफ्तारी करनी ही हे तो थ्रू प्रौपर चैनल या कोर्ट के थ्रू या जो प्रोसीजर बैंक वाले एडाप्ट करते हैं, वही प्रोसीजर एडाप्ट करना चाहिये। इस तरह से नहीं करना चाहिये कि उनको बाल–बच्चों के बीच में से पकड़ लें। किसान को बेल आउट करने के लिये स्टैप्स लेना बहुत जरूरी है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं ऐजुकेशन मिनिस्टर साहब का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां बबयाल में एक स्कूल की बिल्डिंग है वह न होने के बराबर है और वह बहुत गन्दी है।

इस गांव की आबादी पांच हजार है और सभी लोग नौकरी पेशा हैं। इस बिल्डिंग में सूअर पड़े रहते हैं। वे दिन को भी रहते हैं और रात को भी रहते हैं। इसलिये मेरी दरखास्त है कि इस बिल्डिंग की तरफ ध्यान दिया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार का यह प्रोग्रोम है कि आबादी और पंचायतों के हिसाब से ब्लाक जाएंगे और जो बड़े ब्लाक हैं उनको बाइफरकेट किय जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मरी कांस्टियुएंसी नग्गल में अम्बाला ब्लौक है जिसमें 126 पंचायतें हैं और 175 गांव हैं लेकिन ब्लाक एक है। मेरा कहना यह है कि शाहपुर के नाम से अलग ब्लाक बनाया जाना चाहिए जिससे डिवैल्पमैंट के काम ठीक तरह से हो सकें। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वे पब्लिक की सेवा करने के लिए हैं। कई जगहों से शिकायत आती है कि दफतरों में अफसरों और कर्मचारियों का व्यवहार लोगों के प्रति ठीक नहीं होता। गवर्नमैंट के पास कोई डंडा नहीं है कि व्यवहार के मामले में वह किसी को सुधार सके। यह तो आदमी को खुद ही सोचना चाहिए कि दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है। यह हमारी अपनी डयूटी है। हम लोग दूसरों की सेवा के लिये हैं।

अब में ट्रांसपोर्ट के बारे में कहना चाहता हूं। चौ. चन्दा सिंह ने आज सुबह ही बताया था कि हमारी स्टेट में ट्रांसपोर्ट के मामले में काफी प्रगति की है। जहां तक ड्राइवर्ज और कंडक्टर्ज

के व्यवहार का ताल्लुक है उसके बारे में उन्होंने कहा था कि वे अनपढ़ है। मेरे ख्याल में यह वाजिब बात नहीं है। अगर इन्हीं कन्डक्टर्ज को प्राइवेट बसों पर लगा दिया जाए, ट्रांसपोर्ट प्राइवेट हो तो ये लोगों की आवभगत में लगे रहेंगे। अगर इनका व्यवहार अच्छा हो तो ट्रांसपोर्ट की आमदनी बढ़ सकती है। डिप्टी स्पीकर साहब, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट को स्टुडैन्टस का विशेश ध्यान रखना चाहिए। गांव के स्टुडैन्टस आमतौर पर गरीब घरों से आते हैं। मेरी प्रार्थना है कि पहली सं दसवीं तक के विद्यार्थियों के लिए फ्री पास होने चाहिए और इनके लिए चालीस पचास किलोमीटर तक का फ्री सफर होना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में कहना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, घग्गर ब्लाक में कुछ ऐसे गांव हैं जो नौन–प्रोब्लम विलेजिज हैं। इनके नाम है:– मितलां, खन्नी, माजरा, चुगना, बुगना, कौलां, सौढ़ा, पिचपड़ी, मरदों साहब, दुराना, मितलां, बकनौर और शाहपुर। यहां पर पानी की बड़ी भारी प्रोब्लम हैं। मैंने वहां से पानी लाकर भी दिखाया था। नाम तो उनका नौन–प्रोब्लम विलेजिज है लेकिन वहां के लिए वाटर सप्लाई का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर पानी का इन्तजाम किया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे यहां बकनौर और जनसूई ऐसे गांव हैं जहां के स्कूल रोड से दूर पड़ते हैं। इससे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। मैं पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब से कहूंगा

कि जो गांव के स्कूल सड़क से दूर पड़ते है वहां पर सड़क बनाई जाए। मैं इतना ही कहकर खत्म करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिडयूल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि शिडयूल बिल का शिडयूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनेक्टिंग फार्मूला

श्रीमती चन्द्रावती (बाढ़ड़ा): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहती हूं। आप कही भी जी.टी. रोड पर चले जाएं आपको सबसे बड़ी बात यह देखने को मिलेगी कि जगह–जगह पर सिपाही खड़े हुए है और ऐसा लगता है कि यह अपना प्रान्त नहीं, देश नही बल्कि विदेश है। जगह जगह ट्रकों को रोका जाता है। इससे माल महंगा होत है। * * * *

श्री उपाध्यक्ष: ट्रैफिक पुलिस वाली बात रिकार्ड न की जाये।

श्रीमती चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो यह कहना चाहती हूं कि जिन लोगौं के ये व्हिकल्ज होते हैं, या जो ड्राइवर्ज हैं वे भी हमारे भाई है, कोई विदेशी नहीं हैं। मेरा कहना तो यह है कि जहां से सामान लादा जाता है और जहां पर सामान उतारा जाता है वहां पर चैक कर लिया जाए और देखा जाए कि

कोई सामान गल्त तो नहीं है या कोई स्मगल्ड गुडज तो नहीं हैं। बीच में ट्रक को चैक न किया जाए। इससे यह फायदा होगा कि ट्रक से जो सामान जा रहा है वह देर से नहीं पहुंचेगा और चैकिंग पर जो पुलिस लगाई है उसकी जरूरत नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आप किसी भी बैरियर पर चले जाएं वहां पर बहुत ज्यादा सिपाही मिलेंगे। गुड़गांव के बैरियर पर चले जाएं या जी.टी. रोड पर किसी भी बैरियर पर चले जाएं पता नहीं लगता कि वहां पर क्या हो रहा है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही सुझाव दूंगी कि जाहं से ट्रक सामान भरता है और जहां सामान खाली करता है इन दोनों जगहों पर जांच कर ली जाए। अगर कोई गल्त सामान भरा जाता है या खाली होता है तो उसकी वही पर जांच हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री (श्री सागर राम गुप्ता): डिप्टी स्पीकर साहब, इससे पहले कि मैं बिल को पास करने का मोशन मूव करूं मैं इस बिल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, जिन मैम्बर साहेबान ने ऐप्रोप्रिएशन बिल के सम्बन्ध में तकरीरें की हैं, उन्होंने मोर और लौस रैपिटीशन वाली बात है। बजट क बारे में और डिमाडज के बारे में यहां पर काफी चर्चा हुई और उसका जवाब देते हुए मैंन रोडज के बारे में बहुत कुछ बता दिया था लेकिन माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं उसमें कुछ और ऐड करना चाहता हूं। यहां पर डुप्लीकेट रोडज बनारने की बात कही गई और यह बताया गया कि लोगों को काफी घूमकर आना पड़ता है। उनकी यह बात ठीक है और उनको पूरा करना भी जरूरी है लेकिन उससे पहले सरकार की यह कोशिश है कि हरिजन बस्तियों को पक्की सड़क से कनैक्ट किया जाए और ढानियां जिनकी आबादी 250 है उनको सड़कों से कनैक्ट किया जाए। मेरे ख्याल में इनकी प्राथमिकता को आप लोग भी महसूस करेंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक सड़कों की रिपेयर का ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा था कि हम रिपेयर का ध्यान रखते हैं। मैं माननीय सदस्यों से हय कहना चाहता हूं और वे भी महसूस करेंगे कि हमारी सड़कों की मेन्टेनैन्स दूसरे प्रदेशों की सड़कों की मेन्टेनैन्स से काफी अच्छी है।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात यहां पर पैन्शन के बारे में कही गयी कि पैन्शन कुछ कम दी जाती है। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको फिगर्ज देते हुए चह बताना चाहता हूं कि विकलांगों के लिये 17.57 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, वृद्धावस्था पैशन के लिये 165 लाख रूपये का और सैनिकों की तथा भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिये भी 165 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। चौ. भले राम जी ने एक बात यहां पर गल्त कही कि विकलागों को 30 रूपये पैन्शन दी जाती है। उनकी पैन्शन बढ़ाकर 60 रूपये कर दी गयी है। यहां एक बात और कही गयी कि शडयूल्ड कास्टस स्टुडैन्टस को ऐजुकेशन के लिये राहत देने के लिये भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। यह उनकी बात बिल्कुल वाजिब है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार इस बात से सहमत है कि हरिजनों के बच्चों के अन्दर शिक्षा का प्रसार ज्यादा से ज्यादा किया जाए और करना भी चाहिए। हरियाणा सरकार इस बात को काफी महत्व देती है। इसी तरह से कालेज स्टेज पर हरिजनों के बच्चो को टयूशन फी के तौर पर जो स्टाइपैन्ड दिया जाना है, उसके लिये 30 लाख रूपये का अगले साल के लिये प्रावधान रखा गया है ओर जो स्टाइपैन्ड 9वीं से 11वीं क्लास के बैकवर्ड बच्चों को दिया जाता है, उसके लिये 40 लाख रूपये का प्रावधान है। शडयूल्ड कास्टस के 9वीं से 11वीं तक के बच्चों को जो टयूशन फीस स्टाइपैन्ड दिया जाता है, उसके लिये 88 लाख रूपये का प्रावधान है। मैरिट स्कौलरशिप जोकि शडयूल्ड कास्टस की लड़कियों का दिया जाता

है, उसके लिए 1 लाख 8 हजार का प्रावधान है। डि–नोटीफाइड ट्राइब्ज के स्टुडैन्टस के लिये 80 हजार रूपये का प्रावधान है। पोस्ट मैट्रिक और लो इन्कम ग्रुप्स के लोगों के बच्चों के लिये डेढ़ लाख रूपये का प्रावधान है। इसी तरीके से फिजीकली हैंडीकैप्ट बच्चों के लिये 7 लाख 10 हजार रूपये का प्रावधान है। इन बातों को ध्यान में रखकर आप कह सकते हैं कि हरियाणा सरकार इस तरफ कितना ध्यान दे रही है।

स्पीकर साहब, कुछेक और बातें फार्मर्ज के बारे में कही गयी हैं और उसमें काफी रेपीटीशन भी हुआ है। फार्मर्ज के बारे में उस रोज भी मैंने कहा था कि हमारा देश एक डिवैल्पिंग कन्ट्री है। इसी तरह से हमारा प्रदेश भी एक डिवैल्पिंग प्रदेश है और अभी यहां बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हर वाक औफ लाईफ के आदमी के लिये यहां अभी बहुत कुछ करना शेश है लेकिन यह कहना कि हरियाणा सरकार ने फार्मर्ज के लिये कुछ नहीं किया, यह गल्त बात है। कुी सुविधाएं फार्मर्ज को दी जा रही है और इस बारे में मैंने उस रोज भी कहा था कि इस बजट का 80 प्रतिशत बजट फार्मर्ज के ऊपर खर्च किया जा रहा है क्योंकि फार्मर्ज की बहबूदी के ऊपर ही सबको बहदूदी निर्भर करती है, डिपैन्ड करती है। आप चाहे किसी भी तरीके से उसको इंटरप्रैट कर लें लेकिन काफी सुविधाएं फार्मर्ज को दी जा रही है और हर तरह की सुविधाएं जुटाने के लिये सरकार हमेशा ही प्रयत्नशील रही है और यत्न कर भी रही है ताकि हमारे फार्मर्ज

को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जैसाकि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम यह सोच रहे है कि पैडी और व्हीट के ऊपर किसानों को बोनस दिया जाए। स्पीकर साहब, आज हरियाणा अनाज के मामले में आत्म निर्भर हो गया है और आज हम अनाज ऐक्सपोर्ट करते हैं। जो फार्मर्ज पैदा करता है, उसके ऊपर सरकार उसकी सबसिडी देती है, सुविधाएं देती है और अस्सिटैन्स देती है। यह क्या कम है? सरकार आगे भी इसी तरह से कोशिश करती रहेगी कि हमारे किसान को उसकी पैदावार के लिये किसी किस्म की दिक्कत न हो।

स्पीकर साहब, सरकार यह हमेशा जानकर चलती है कि किसान इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, जनता की जान है और इसलिये हर समय हम प्रयत्न में लगी रहती है कि सरकार की ओर से किसानों को हर समय हर प्रकार की सुविधाओं की उपलब्धि होती रहे।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस सदन के सम्मुख यह मूव करूंगा कि बिल पास कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वाक आउट

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैं बिल पर बोलना चाहता था लेकिन चूंकि आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया इसलिये मैं प्रोटैस्ट के तौर पर वक आउट करता हूं।

(इस समय श्री हीरा नन्द आर्य सदन से वाक आउट कर गये)

बिल्ज (पुनरारम्भ)

(ii) दी पंजाब लैण्ड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1985

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार रैवेन्यू दि पंजाब लैन्ड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1985 को कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे।

Minister of State for Revenue (Sh. Lachhman Dass Arora): Sir, I beg to move –

That the Pubjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Pubjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

That the Pubjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनेक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनेक्टिंग फार्मूला बिल का अनेक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(iii) दि पेमैन्ट आफ वेजिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1985

Mr. Speaker: Now, the Minister of State for Labour and Employemnt will move that the Payment of Wages (Haryana Amendment) Bill be taken into consideratin at once.

Minister for State for Labour and Employment (Sh. Rajesh Kumar): Sir, I beg to move –

That the Payment of Wages (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Payment of Wages (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

डा. भीम सिंह दहिया (रोहट): स्पीकर साहब, इस वक्त सदन के सामने पेमैंट औफ वेजिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1985 आया है। इसकी सैक्शन 15 की सब–सैक्शन (1) में अमैंडमैंट का प्रोवीजन हे कि –

"Provided further that the State Government may transfer any matter from one authority to the other authority."

यह बात अच्छी है लेकिन इसको सरकार को ऐसे करना चाहिये कि अगर किसी पार्टी को मजदूर को किसी एक कोर्ट से न्याय मिलने में देर लग रही हो तो उसको केस किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए लेकिन इससे दूसरी कोर्ट में केस ट्रांसफर करवाने का हक पार्टी को नहीं मिला हे। इससे तो सरकार की ही डिसक्रिशन रह जाएगी और इस पर हमें एतराज है। मैं यह चाहता हूं कि इसमें इस तरह की तरमीम की जाए कि अगर कोई भी पार्टी जब यह महसूस करे कि उसको इस कोर्ट में न्याय ठीक नहीं मिलेगा या देर लगेगी तो उस पार्टी को इस बात का हक होना चाहिये कि वह अपने केस की ट्रांसफर दूसरी कोर्ट में करवा सके।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढडा): स्पीकर साहब, इस बारे में हम एक बात नोटिस में लाए थे कि 10–12 महीने तक कोर्ट बैठता ही नहीं है। जब वर्कर्ज को उनकी पे नहीं मिलती या उनके जो दूसरे झगड़े चलते रहते हैं तो सइ वजह से उनको टाईम पर इन्साफ नहीं मिलता। सरकार ने इसे ठीक करने की कोशिश तो की है लेकिन मुझे लगता हे कि जिस ढंग से इस बिल का ड्राफ्ट किया गया है उससे ज्यादा टाईम लग जाएगा। क्योंकि वर्कर्ज को इतना ज्ञान नहीं होता इसलिये मैं समझती हूं कि इसको जरा ठीक से लिखवा लेते। पहले तो उनकी कोर्ट ही नहीं बैठती, आप कम से कम लेबर कोर्ट तो बिठाएं। पिछली बार हमें वर्कर्ज ने शिकायत की कि 10–12 महीने स कोर्ट नहीं बैठी है। इसमें सबसे बड़ी बात तो देखने की यह है कि वर्कर्ज को न्याय जल्दी मिले। न्याय तभी

मिलेगा अगर कोर्ट बैठे और उसकी सिटिंग ज्यादा हो और उसका न्यायाधीश काबिल हो। इस बारे में मेरा यह सुझाव है।

Mr. Speaker: Question is –

That the Payment of Wages (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: मुझे श्री ओम प्रकाश (बेरी) की ओर से इस क्लाज (2) पर अमैंडमैंट का नोटिस मिला है। वे कृपया अपनी अमैंडमैंट मूव करें।

Ch. Om Parkash (Beri): Sir, I beg to move –

That in the proposed proviso to clause 2, after the word and signs "authority", the word and signs, "if sufficient reasons exist therefore." be added.

स्पीकर साहब, इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि ओरिजिनल ऐक्ट की सैक्शन 15 की सब–सैक्शन (1) में अमैंडमैंट की जा रही है। यह बात तो ठीक है कि लिटीगैंट को अधिकार मिले कि अगर उसे किसी विशेश अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद न हो तो वह अपना केस दूसरी अदालत में ट्रांसफर करवा सके। लेकिन

उसके लिये स्ट्रौंग रीजन होना चाहिए यह नहीं कि मनमर्जी से गवर्नमैंट को पावार दी जाए। इसमें जो अमैंडमैंड सरकार ला रही है इससे सरकार को इतनी पावर मिल जाएगी कि बार–बार लेबर और एसोसिएशन्ज सरकार को एप्रोच करेंगी कि हमारा केस फलां कोर्ट में ट्रांसफर करवा दिया जाए। पोलिटीकल आधार पर सारी बातें होगी। ऐसा करने के कोटर्स पर भी लोगों को फेथ नहीं रहेगा क्योंकि सारे काम करवाने के अधिकार सरकार को इसके जरिए मिल जाएंगे। इससे अन–नैसेसरी लिटीगेशन्ज हो जाएंगी। स्पीकर साहब, साथ–साथ इन्होंने बिल के स्टेटमैंट आफ आबजैक्टस एंड रीजन्ज में लिखा है –

"..... However, this power will be exercised sparingly and in fit cases in which the apropriate Government finds that grave miscarriage of justice is likely to be done to any party."

यह बात तो ठीक है लेकिन यह प्रोवीजन ऐक्ट में ही किया जाना चाहिए था क्योंकि जब भी कोई केस अदालत के सामने जाता है तो उसके साथ आबजैक्टस एंड रीजन्ज नहीं जाते बल्कि ऐक्ट को लेकर जाते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो अमैंडमैंट यहां पर रखी गई है इसमें सफिशिएंट रीजन्ज हो तभी केस ट्रांसफर किया जाए। जो संशोधन मैंने रखा है अगर इसे मान लिया जाए तो इससे काफी फायदा होगा और अन–नसैसरी लिटीगेशन खत्म हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी अमैंडमैंट को सदन मानेगा क्योंकि यह अमैंडमैंट लेबर के हक में है।

Mr. Speaker: Motion moved –

That in the proposed proviso to clause 2, after the word and signs "authority", the word and signs, "if sufficient reasons exist therefore." be added.

Mr. Speaker: Question is –

That in the proposed proviso to clause 2, after the word and signs "authority", the word and signs, "if sufficient reasons exist therefore." be added.

The motion was lost.

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

Minister of State for Labour and Employment (Sh. Rajesh Kumar): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है। पिछले सैशन में जब हमने कोआप्रेटिव सोसाइटीज बिल वापिस लेने की मांग की थी तो मुख्यमंत्री जी ने और कोआप्रेशन मिनिस्टर ने कहा था कि अगर यह बिल पास नहीं होगा तो हमें केन्द्र से एड नहीं मिलेगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि हम एक कमेटी बना देते हैं और जो उस कमेटी के सुझाव होंगे उनके मुताबिक बाद में इस बिल में अमैंडमैंट कर देंगे। उस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है इसलिये वह अमैंडमैंट इसी सैशन में आनी चाहिए थी। वह बिल किसान के लिए काला कानून हे जिससे उसके गोसे बोसे तक भी नीलाम हो जाते हैं वे सारी बातें हाउस के रिकार्ड पर हैं। चौ. ओम प्रकाश भी इसी बात को कहना चाहते थे, शायद कहना भूल गए। गवर्नमैंट को सह अमैंडमैंट इसी सैशन

में लानी चाहिए थी। इस बारे में गवर्नमैंट क्या कहना चाहेगी यह मैं जानना चाहती हूं।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल ठीक बात कह रही है। बाकायदा एक कमेटी बनाई गई थी जिसके जिम्मे लगाया गया था कि इसमें क्या–कया अमैंडमैंट आनी चाहिए। एक माना गया था कि कमेटी जो भी सुझाव सर्वसम्मपति से देगी, सरकार उसे मानेगी। कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, जिसकी हम एग्जामिन कर रहे हैं। इस सैशन में तो वह अमैंडमैंट नहीं आ सकेगी। हम उसे आर्डिनैन्स के जरिये बहुत जल्दी लागू करेंगे और अगले सैशन में बिल जरूर ले आएंगे।

(iv) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1985

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार लोकल गवर्नमैंट हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल 1985 को कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे।

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री प्यारा सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं–

दि हरियाणा म्यूनिसिलप (अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1985 सदन में पेश किया गया है, मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक की क्लाज 2 में लिखा गया है कि ''हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973, की धारा 203 के बाद धारा 203–ए रखी जाएगी, जिसमें लिखा है –'' (1) धारा 203 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार लोकहित में, किसी भी क्षेत्र में निर्माणों को, चाहे वे नगरपालिका समिति की मंजूरी से या उसके बिना निर्मित किए गए हों और जिनके लिए कोई निर्माण स्कीम या नगर योजना स्कीम मन्जूर न की गई हो, नियमित कर सकती है''। अध्यक्ष महोदय, चाहे टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग है चाहे इम्प्रूवमैंड ट्रस्ट है, उनकी सारी स्कीमों की मन्जूरी पहले डी.सी. से मिलती थी लेकिन अब इस विधेयक के जरिए अन–अथोराइज्ड कालोनीज को एक तरह से खुली छूट मिल जाएगी और उनको बढ़ावा मिलेगा। यह ठीक है कि अगर कोई अन–अथोराइज्ड कालोनी है, जो गलत तौर पर, बिना नक्शे की एप्रूवल के बन गई, उसको रैगुलेराइज किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, पहले जितनी भी अन–अथोराइज्ड कालोनीज थीं, वे पहले भी रैगुलेराइज होती रही हैं। यदि अब इस बिल को पास कर दिया गया तो उसके बाद अन–अथोराइज्ड कालोनीज बहुत बढ़ जाएगी और एक भयंकर स्थिति खड़ी हो जाएगी। हरियाणा के सारे शहरों में कस्बों में बहुत ही गन्दी

नालियां हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं और सैनीटेशन का बहुत बुरा हाल है। यदि उनको इतनी खुली छूट दे दी गई तो भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी। जितने भी शहर और कस्बें हैं वे कब्रिस्तान की तरह बन जाऐंगे। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि नगरपालिका समितियों ने फीस के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। अगर मैं गलत नहीं हूंगा तो इस समय एक क्लास, बी क्लास और सी क्लास, तीन प्रकार की नगरपालिका समितियां हैं लेकिन इस बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। उन नगरपालिका समितियों के पास इन अन–अथोराइज्ड कालोनीज को रैगुलराइज करने के नियम हैं और कुछ फीस लगाने की तजवीज है। जितने फीस के रेट बताए गए हैं अगर वे सही रेटस हैं तो वे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इनके ऐसा करने के बाद यह भी हो जाएगी कि इन्होंने जो एक्ट पहले पास कर रखा है उसकी जो सैक्शन 203 की उप धारा (5) है उसमें यह दिया हुआ है – ''किसी स्कीम को स्वीकृत करते समय, राज्य सरकार, स्कीम की प्रगति के संबंध में उपायुक्त या सरकार को नियतकालिक रिपोर्टा के प्रस्तुतीकरण के लिए और राज्य सरकार द्वारा स्कीम के निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण के लिए शर्तें अधिरोपित का सकती हैं।'' इसके अलावा सैक्शन 203 को उप धारा (6) में लिखा है– ''स्कीम के स्वीकृत हो जाने के पश्चात् समिति आंतरिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए यथाशीघ्र कार्यवाही करेगी और स्कीम स्वीकृत होने को तिथि से पांच वर्श की अवधि के भीतर उसे पूरा करेगी।'' अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो विधेयक सदन में लाया गया है यह एक तरह से

अपने आप में एक कंट्राडिक्शन है। जो डी.सी. और दूसरे आफिसर्ज को अधिकार दिए थे, वे अधिकार खत्म करके अब सरकार इस विधेयक द्वारा सीधे तौर पर विशेश रूप से उन लोगों को, जिन्होंने अन–अथोराइज्ड कालोनीज बना ली हैं या प्लाट काट दिए हैं, राहत देने के लिए कार्यवाही करने जा रही है। मैं समझता हूं कि यह अमैंडमैंट किसी के हित में नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर यह सरकार नगरपालिकाओं का सुधार करना चाहती है तो उनके चुनाव करवाए। अध्यक्ष महोदय, काफी अर्से से हर सैशन में इस बात के बारे में सरकार ने कहा जता है कि नगरपालिकाओं के चुनाव करवाए जाएं लेकिन कोई चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। आज नगरपालिकाओं में कोई प्रतिनिधि नहीं है। उनकी गैर–हाजरी में इस प्रकार से नई–नई अमैंडमैंटस, नई–नई कार्यवाही की जा रही है। हर साल चुनाव पोस्टपोन कर दिए जाने के कारण नगरपालिकाओं को जो प्रतिनिधित्व के तौर पर सुधार होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री फतेह चन्द विज (पानीपत): स्पीकर साहब, यह जो हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1985 सदन में पेश किया गया है मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार को चाहिए तो यह था कि नगरपालिका समितियों के चुनाव करवा देती। यदि उनके चुनाव करवा दिए जाते तो इस अमैंडमैंट को लाने की जरूरत ही न पड़ती। स्पीकर साहब, यह गलती इस

सरकार की है या इससे पहले वाली सरकार की है कि आज 17–18 साल हो गए हैं नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं करवाए गए हैं। नगरपालिकाओं के चुनाव ने होने के कारण उनमें एडमिनिस्ट्रेटर भेज दिए जाते हैं और वे अभी उनका काम देख ही रहे होते हैं कि दो महीने के बाद उनको वहां से उठाकर रोडवेज में भेज दिया जाता है और रोडवेज वाले को वहां से उठाकर नगरपालिका में भेज देते हैं। यदि किसी शहर की सड़कों को ठीक करवाना है या गंदी नालियों को ठीक करवाना है या गलियों को ठीक करवाना है तो वे कैसे ठीक करवा सकते हैं। नगरपालिकाओं को एक तरह से ट्रेनिंग सैंटर बना दिया गया है। जिस किसी को ट्रेनिंग देनी हो उसको नगरपालिका में तीन–चार महीने के लिए लगा दिया जाता है। अगर नगरपालिका समितियों के चुनाव करवा दिए जाते तो यह संशोधन लाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्पीकर साहब, आप नक्शे उठाकर देखें टाउन एण्ड कंट्रो प्लानिंग के अन्डर जो मैदान पड़े हैं, जिसके लिए यह कहा हुआ है कि यह प्ले ग्राउंड है, यहां फलां चीज बनेगी, यहां फलां चीज बनेगी वहां पर 10 गज जगह भी खाली नहीं है। इस तरह से 10–20 साल के बाद जब लोगौं ने मकान बनाने के लिए नगरपालिका में नक्शा पास करवाने के लिए दिया तो उन्होंने कह दिया कि यह टाउन एंड कन्ट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट वाले पास करेंगे। वहां से भी नक्शा वापिस आ जाता है और कह दिया जाता है कि यहां तो पार्क बनना है या प्ले ग्राउंड बनना है। लेकिन दूसरे दिन ही वह आदमी उस जगह पर मकान खड़ा कर देता है।

चाहिए तो यह था कि सरकार नगरपालिकाओं के चुनाव करवा देती, उनके द्वारा मकानों के नक्शे पास होते और प्लानिंग से शहर बनते। यह संशोधन लाने की जरूरत ही न पड़ती। मैं कहना चाहूंगा कि अब भी जितनी जल्दी हो सके नगरपालिकाओं के चुनाव करवा दिए जाएं। जो अन–अथोराइज्ड कालोनीज बनी हुई हैं उन पर बुलडोजर तो अब फिरने नहीं है क्योंकि इन्होंने 1975–76 में बुलडोजर फेरने की गलती की थी, उसका नतीजा इन्होंने देख ही लिया था। इसलिए अब बुलडोजर तो फेरे नहीं जा सकते। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी चीज दोबारा न हो, सरकार इसकी तरफ पूरा ध्यान दे।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढड़ा): जनाब स्पीकर साहब, जो हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1985 सदन में पेश किया गया है, मैं इसका विरोध करने के खड़ी हुई हूं। यह अमैंडमैंट शहरी आबादी के लिए बहुत ही गलत चीज है। जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनको रैगुलराइज करने के लिए यह अमैंडमैंट लाई गई है। जैसे अभी विज साहब ने कहा कि अगर नगरपालिकाओं के चुनाव करवा दिए जाते तो यह अमैंडमैंट लाने की कोई जरूरत न होती। उनकी बात सही थी। स्पीकर साहब, मुझे पता लगा है कि कोई जरूरत न होती। उनकी बात सही थी। स्पीकर साहब, मुझे पता लगा है कि कई जगहों पर, अन–अथोराइज्ड कालोनीज बनी हैं। जैसे गुड़गांव है। अब ऐसी जगह की अन–अथोराइज्ड कालोनीज को रैगुलराइज कर देंगे।

फतेहाबाद में भी ऐसी अन–अथोराइज्ड कालोनी है, नरवाना में भी है। आपको हर टाउन में अन–अथोराइज्ड कालोनी मिलेंगी। स्पीकर साहब, ऐसी जगहों पर कब्जा भी वही लोग करते हैं जो सरकार के ज्यादा नजदीक होते हैं। उन अवैध कब्जों को जायद करने के लिए यह अमैंडमैंट लाई गई है। अमैंडमैंट बहुत ही खतरनाक है। जो सरकार के ज्यादा नजदीक हैं उन लोगौं को गलत काम करने का बढ़ावा देने के लिए यह अमैंडमैंट लाई गई है। स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसी भी सरकार होती है, जो अपने ही लोगों का गलत काम करने के लिए बाकायदा कानून बना कर उनको यह कहे कि आप गलत काम करो। मैं यह कहती हूं कि यह सरकार इस संशोधन द्वारा बहुत ही गलत काम करने जा रही है। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि यह सरकार इस अमैंडमैंट को वापिस ले ले और इस पर दोबारा सोच विचार करे। इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। इस अमैंडमैंट से सभी लोगों को नुक्सान ही नुक्सान है। मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि इस अमैंडमैंट से शहरी आबादी को बहुत नुक्सान पहुंचेगा। स्लम्ज को बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो जाएगी। जो लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करना चाहत हैं, जो गलत काम करना चाहते हैं, उनको इस अमैडमैंट द्वारा काफी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहती हूं कि सरकार इस विधेयक को वापिस लेकर इस पर दोबारा सोच विचार करे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करते हुए अपना स्थान लेती हूं।

चौ. धर्मवीर गाबा (गुड़गांव): स्पीकर साहब, जो हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1985 सदन में पेश किया गया है, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस अमैंडमैंट के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि इसका जितना विरोध किया गया है वह सही नहीं है। हमने उल्टा सरकार पर इस बात के लिए जोर दिया है कि जिन लोगों को इन्सानियत की तरह रहने का हक नहीं दिया जाता उनकी कम से कम इन्सानियत की तरह रहने का हक दिया जाए। यह भी गलत बात कही गई है कि सरकारी जमीनों पर अन–अथोराइज्ड कालोनीज बनी हैं। स्पीकर साहब, सही बात यह है कि अन–अथोराइज्ड कालोनी दो तरह से बनती हैं। एक तो शहर की एट्रैक्शन होती है जहां रोजगार की, तालीम की तथा दूसरी सहूलियतें होती हैं। दूसरे नगरपालिकाओं की हद से बाहर जो जमीनें थीं, उन जमीनों पर गरीब लोगों ने मकान बनाए और फिर उसके बाद वह नगरपालिका की हद बनी। इसलिए हम इस अमैंडमैंट द्वारा यह करना चाहते हैं कि जो कगरी लाग सस्ती जमीन पर बसे हुए हैं उनको कम से कम इन्सानों की तरह रहने का हक दिया जाए। इस अमैंडमैंट का जो मकसद है वह उन गरीब लोगों को इन्सानों की तरह रहने का हक देने के बारे में है। वे कालोनीज जो बनी हुई हैं वे अन–अथोराइज्ड नहीं कही जा सकतीं। वे नगरपालिका की हद से बाहर बनी थीं लेकिन बाद में नगरपालिका की हद में आ गई। दूसरी बात फीस के बारे में कही गई। मेरे अपोजीशन के भाई यह कहते हैं कि गवर्नमैंट का खर्चा होगा। इस बिल के जरिए हम यह चाहते हैं कि जिन

गरीब लोगों ने जमीन सस्ती ली या अन–अथोराइज्ड कालोनी बनाई, वे जुर्माने के तौर पर कह लीजिए या सजा के तौर पर कह लीजिए, कुछ पैसा गजों के हिसाब से देंगे। इसके एवज में हम उनको नालियां देंगे, सीवरेज सिस्टम भी देंगे। जो लोग 20–20 और 25–25 साल से मकान बना कर बैठे हैं उन लोगों को हम इन्सानों की तरह रहने का हक देंगे। क्या उनको इन्सानों की तरह रहने का हक न दिया जाए? क्या उनके मकान गिरा दिए जाए? यह बात हम सभी के सोचने की है। चाहे कोई आदमी शहर में हरता है या गांव में रहता है, जीने का हक हरियाणा में हर आदमी को बराबर मिलना चाहिए। आखिर में मैं यही कहूंगा कि एक अच्छी सरकार, सिसिलाइज्ड गवर्नमैंट का यह फर्ज है कि वह गरीब लोगों को जीने का हक दे।

14.00 बजे

श्री ए.सी. चौधरी (फरीदाबाद): स्पीकर साहब, जब कुछ लोगों ने इस बिल की अमैंडमैंट को मुखालफित को तो मुझे बड़ी हैरत हुई। सरकार यह अमैंडमैंट इसलिए लाई है कि जिन लोगों ने अपने जेवर गिरवी रख कर और बड़े भारी सूद पर पैसा लेकर छोटे–छोटे मकान बनाये हैं या प्लाट लिए हैं उनको कुछ सुविधा दी जा सके। ऐसे लोग 20–20 सालों से मकान बनाये हुऐ बैठे हैं लेकिन उनको शहरी सहूलियात देने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज के दिन जो लो इसकी मुखालफित करते हैं उनका मैं इस तरह ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अगर इस मामले में

किसी ने रूकावट बन कर किसी किस्म की ढील करवाने की कोशिश की तो सारा हरियाणा, जो एक छोटा सा अच्दा प्रदेश है, स्लम मं कन्वर्ट हो जायेगा। इस अमैंडमैंट का मेन मकसद यही है कि जो लोग आज 20–20 सालों से ऐसी जगहों पर बैठे है, उनसे पैसा लेकर उन्हीं पर लगा दिया जाये ताकि शहर भी खूबसूरत हों और हरियाणा की भी तस्वीर साफ चमक सके। दूसरी सबसे बड़ी बात यह होगी कि स्लम क्लीयरैंस पर सरकार इस मद के तहत पैसा लगा सकेगी। जिन लोगों ने अपने पैसे से जमीन ली है और ऐसी जगहों पर बैठे हैं, उनको सुविधा देने के लिये सरकार अब तक एक पैसा भी एलोकेट नहीं करती थी। इन लोगों की तादाद 100, 200 या 500 नहीं है बल्कि लाखों हरियाणावी लोग इन हालात में यहां पर बैठे हुए हैं। अब सरकार यदि उनसे पैसा लेकर उनको सहूलियत प्रदान करती है तो इससे बड़ी बात उन लोगों के लिए और क्या हो सकती है। बहन चन्द्रावती जी ने कह दिया कि इसे वापिस लिया जाना चाहिए। जो बात अब होने जा रही है, जब वह बाहर हरियाणा में फैलेगी तो लोगों के घरां में दीवाली मनेगी। आज तक उन लोगों को शहरी सहूलियतों से बाहर रखा जाता रहा है। स्पीकर साहब, सबसे बड़ा फायदा इस अमैंडमैंट के होने से उन गरीब लोगों को यह होगा कि कमेटी द्वारा जरा–जरा सी बातों पर नोटिस देने पर उन्हें अदालतों के दरवाजे खटखटाने नहीं पड़ेंगे। पहले कमेटी के नोटिस देने पर लोग अदालत में चले जाते थे। लोगों के अदालत में जाने पर कमेटीज को उसका जवाब दावा और उसकी पैरवी के लिए बाकायदा वकील एंगेज करना

पड़ता था जिससे कमेटी का पैसा खराब होता था। वैसे भी आज के दिन म्युनिसिपल कमेटीज के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब जो पैसा अदालतों पर खर्च होने से बचेगा, वह डिवैल्पमैंट के कामों पर लग सकेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह होगी कि मकान बनाने में जो छोटी–छोटी इररैगुलैरेटीज होती थी या बगैर नक्शा पास कराये कमरे बनाये जाते थे, वह नहीं होगा। इस अमैंडमैंट के लागू होने से पहले जो कन्स्ट्रक्शन हो चुकी है, उसको रैगुलराइज कर दिया जायेगा और आगे से ऐसा करना बन्द कर दिया जायेगा। आगे से लोगों को सावधान कर दिया जायेगा कि जो भी कोई कन्स्ट्रक्शन करेगा वह बगैर नक्शा पास कराये नहीं कर सकेगा। इस तरह से जब शहर की डिवैल्पमैंट होगी तो उससे शहर का एक नया रूप होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इस अमैंडमैंट पर किसी को विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि यह कहना चाहिए कि वह अमैंडमैंट बहुत पहले लाई जानी चाहिए थी। इन शब्दों के साथ मैं इस अमैंडमैंट का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी): स्पीकर साहब, इस बिल में सिर्फ दो–तीन बातें ही कहने वाली हैं। इस अमैंडमैंट के अन्दर ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी कोई मुखालफित की जाये। जिन लोगों ने नाजायज मकान बना रखे हैं, उसका सरकार को अब तक कोई पैसा टैक्स वगैरा की शक्ल में नहीं मिलता है। अब जब ये कालोनीज रैगुलराइज हो जाएंगी तो सरकार को उनसे

पैसा मिलेगा। जिस म्युनिसिपल कमेटीज के पास अब पैसा नहीं है, इस अमैंडमैंट के पास होने के बाद उनको भी काफी पैसा आयेगा और शहरों की भी डिवैल्पमैंट हो सकेगी। ये भाई इसका विरोध तो कर रहे हैं लेकिन जो हजारों की तादाद में मकान बने हुए हैं जिस वक्त सरकार उनको गिराने जाएगी तो अपोजीशन वाले फिर बावेला खड़ा करेंगे कि देखो यह सरकार बुलडोजन लेकर इन मकानों को गिराने के लिए आ गई है। उस वक्त ये ही भाई उन मकानों को गिराने नहीं देंगे। जब वे मकान गिराने ही नहीं है तो हमें उनसे मुनासिब पैसा मिल पायेगा जिससे वहां की म्युनिसिपल कमेटीज का काम चल जायेगा। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। स्पीकर साहब, अम्बाला में तकरीबन 4 हजार एनक्रोचमैंटस हैं। इस अमैंडमैंट के पास होने से सरकार को एक करोड़ रूपया आ सकता है। गवर्नमैंट को हर किस्म का टैक्स मिलेगा जो हमें अब तक किसी से नहीं मिल पाया था। अब तक उन लोगों के सिरों पर एक प्रकार से तलवार लटकी हुई थी। इस अमैंडमैंअ के पास होने से वह तलवार उनके सिर से हट जायेगी। अब हम उनको मुनासिब कीमत पर वह जगह दे देंगे। यह ठीक है कि आयन्दा कोई भी सड़क 20 फुट से कम चौड़ी न बनायी जायेगी, और जो भी मकान आगे बनायें जाएं उनको नक्शा पास करवाया जाये। जिन लोगों ने अब मकान बना रखे हैं उनसे कहा जाएगा कि आप अपना नक्शा पास करवाओ, उससे कमेटी को लाखों रूपया मिलेगा। मैं तो यह महसूस करता हूं कि यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था ताकि शहरां की डिवैल्पमैंट हो

सकती। एक–एक सड़क के लिए हमें रोज अपील करनी पड़ती थी कि एक लाख रूपया दे दो या दो लाख रूपया दे दो। अब इस अमैंडमैंट के पास होने से कमेटी सरकार से पैसा मांगना बन्द कर देगी और उसका अपने करों से ही काम चल सकेगा। स्पीकर साहब, मैं इतना ही कहते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, श्री ए.सी. चौधरी और गाबा साहब ने बोलते हुए ऐसा कहा है कि बहन चन्द्रावती और हीरा नन्द आर्य साहब ने इसका विरोध किया है। (विघ्न) उनका यह कहना था कि मौजूदा शक्ल में ड्राफ्अ किये गये इस बिल को अगर इसी प्रकार से पास कर दिया जायेगा तो जो अन–अथोराइज्ड कालोनी ज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उनसे हर शहर की रूप रेखा बिगड़ेगी। सिविक अमैन्टीज ने मिलने की वजह से सारे के सारे हरियाणा में स्लम्ज हो जायेंगे और सारे हरियाणा में बदबू और गन्दगी जगह–जगह फैल जाएगी। इनके कहने का मतलब यह था कि इस बिल को पास कर दिया जाये लेकिन यह रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाये कि जो एग्जिस्टिंग कालोनीज हैं सिर्फ उनको ही रैगुलराइज किया जाएगा और एक्ट बनने के बाद ऐसी कोई एनक्रोचमैंट नहीं होगी। यह एक तरफ गरीब लोगों की सहूलियत देने के लिए दुहाई देते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनका जीने का हक उनसे छीन रहे हैं और साथ ही साथ उन पर खर्च डाला जा रहा है। सोसाइटी का सबसे गरीब तबका शहरों के

चारों तरफ रह रहा है। इन्हीं लोगों ने शहरों के चारों तरफ छोटे–छोटे मकान बना रखे हैं और उन पर ये सिविक अमैन्टीज के बहाने इतना बड़ा खर्चा डालेंगे। ये चार्जिज म्यूनिसिपल कमेटीज को बर्दाश्त करने चाहिएं न कि उन गरीब लोगों पर डाले जायें। म्यूनिसिपल कमेटीज का ही अपने खर्चे पर उनको सिवरेज आदि की सुविधा देनी चाहिए। मंत्री जी को यह अमैंडमैंट लेकर आनी चाहिए कि this clause will be applicable only to the extent of those colonies which are in existence.

चौ. कुलबीर सिंह मलिक (जुलाना): स्पीकर साहब, मैं इस विधेयक के बारे में यह कहना चाहूंगा कि हाथी के दांत दिखाने के और और खाने के और होते हैं। सरकार की भी यही नीति है। यह कहती कुछ है और करती कुछ है। ये यहां पर कह रहे हैं कि हम उन लोगों की सहूलियत के लिए यह कर रहे हैं और वह कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सिवरेज देंगे, पक्की गलियां करवाएंगे और बिजली आदि इन कालोनियों को देंगें। लेकिन देखने में यह आया है कि ऐसी जो कालोनीज बनती है, उनको बाद में म्यूनिसिपल कमेटीज अपने कब्जे में ले लेती हैं। लोगों को कमेटी के नक्शे पास करवाने पड़ते हैं। जिन गरीब लोगों ने 50–50 गज के या 100–100 गज के प्लाट लिए हुए हैं, उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्पीकर साहब, जिस सुभाश कालोनी में में रहा रहा हूं वह 25 साल से बनी हुई हैं। उस कालोनी में आज तक ने सिवरेज है और न ही वाटर सप्लाई का कोई प्रबन्ध है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस सुभाश

कालोनी में मैं रहता हूं वह 15 सालों से म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में है। लेकिन वहां पर कमेटी की तरफ से कोई सुविधा आज तक प्रदान नहीं की गई है। आज कमेटीज के अन्दर एडमिनिस्ट्रेटर लगाये जाते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटर हर साल डेढ़ या दो गुना हाउस टैक्स बढ़ा देते हैं। वहां के गरीब लोग इन टैक्सों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा डी.सी. के पास अपील करने के लिए चले जाते हैं। बाद में बहुत से केसों के अपील करने के लिए नकल भी समय पर नहीं मिल पाती। एक केस में अपील करने के लिए नकल मांगी गई। वह नकल तीन–चार महीने बाद जाकर मिली। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि आर्बीट्रेरी हाउस टैक्स न लगाया जाये। इसलिए मैं इस अमैंडमैंट का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: क्लाज 2 पर चौ. ओम प्रकाश की अमैंडमैंट है। वे अपनी अमैंडमैंट मूव करें।

चौ. ओम प्रकाश (बेरी): अध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 1985 सदन में पेश है और इस पर चर्चा चल रही है। इस बिल की क्लाज 2 पर मैंने अमैंडमैंट दी हे जो इस प्रकार है—

That in line three of the proposed sub-section (1) of section 203-A of the Bill, between the words "buildings" and "in any area", the words "in accordance with the conditions and limitations as may be prescribed", be inserted.

ये वर्डज तीसरी लाईन में इनसर्ट होने चाहिएं। अगर मेरी यह अमैंडमैंट नहीं मानी गई तो बहुत घड़ा नुक्सान होने का अन्देशा है। सरकार जो अमैंडमैंट इस बिल में कर रही है, अगर यह यूं की यूं पास कर दी गई तो म्यूनिसिपल कमेटी के जेा आफिसर्ज हैं, उनको आरबीट्रेरी पावर्ज मिल जायेंगी। This will encourage corruption. वे मनमानी कार्यवाही करेंगे क्योंकि जिस कालोनी को रैगुलराईज करने में वे इन्ट्रैस्टिड होंगे या जो पार्टी उनको पैसे देकर या राजनीतिक तौर पर अप्रोच कर लेगी, उसी की कालोनी रैगुलराइज होगी। अगर यह अमैंडमैंट आपने ऐसे ही पा कर दी तो ये आफिसर मनमानी करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें वर्डन लिख हैं —''पब्लिक इन्ट्रैस्ट''। जो लिखा है, वह मैं पढ़ देता हूं —

"(1) Notwithstanding anything contained in section 203, the State Government may, in the public interest....."

The word “public interest” is vague. This must have been defined in the Act itself.

जब तक आप वर्डज ''पब्लिक इन्ट्रैस्ट'' डिफाईन नहीं करेंगे तब तक यह पता नहीं चलता कि आखिर पब्लिक इन्ट्रैस्ट क्या होगा और इसका असली तात्पर्य क्या है। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक्ट में गाईड–लाईन प्रोवाईड की जानी चाहिए कि किन सर्कमस्टांसिज में किसी बिल्डिंग को और किसी कालोनी को रैगुलराइज किया जा सकता है। जिस बिल्डिंग को आप रैगुलराइज करने जा रहे हैं, उसका कितना पोर्शन कंस्ट्रक्टिड होना चाहिए और उसके सर्कमस्टांसिज क्या होंगे जिनको मदेनजर रखते हुए म्यूनिसिपल कमेटी के आफिसर एक्शन लेंगे। यह सब कुछ बिल में परस्क्राईब्ड होना चाहिए। बिल के स्टेटमैंट आफ आब्जैक्टस एण्ड रीजन्ज में लिखा है –

“In order to deal with the growth of unauthorised colonies in the State and the resultant problems of haphazard growth and insanitary conditions, it is intended through legislatin to permit Government to regularise the existence of such colonies wherever necessary.....”

लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि नसैसिटी कहां रहेगी। जब कोई केस म्यूनिसिपल अथौरिटी के पास जाएगा तो आफिसर्ज को किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन सर्कमस्टांसिज को डील करने के लिए एक्ट में प्रोवीजन किया जाना चाहिए ताकि आफिसर्ज को गाइडैंस मिल

सके कि किन हालात में किसी बिल्डिंग को रैगुलराइज किया जा सकता है। जो प्रोवीजन बिल में किया जा रहा है, इससे तो अधिकारी पार्टीज के साथ मिल जायेंगे और इस प्रोवीजन का गलत इस्तेमाल होगा। भ्रश्टाचार फैलेगा और रूलिंग पार्टी इसका नाजायज इस्तेमाल करेंगी क्योंकि कालोनीज की पार्टीज इनसे यह डिमांड करेंगी कि फलां बिल्डिंग को रैगुलराइज कर दो, फलां को न करो। अगर फलां कालोनी को रैगुलराइज कर देंगे तो हम आपको वोट देंगे। इस तरीक से इसका राजनैतिक तौर पर नाजायज फायदा उठाया जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आफिसर्ज के लिए गाईड लाईन ले–डाउन की जानी चाहिएं और आफिसर्ज को इतने आर्बिट्रेरी राईटस चाहिए, अगर यह एक्सैप्ट नहीं की जाएगी तो म्यूनिसिपल कमेटी के अधिकारियों को नाजायज पावज्र मिल जाएंगी जिनका गलत इस्तेमाल होगा।

Mr. Speaker: Motion moved –

That in line three of the proposed sub-section (1) of section 203-A of the Bill, between the words “buildings” and “in any area”, the words “in accordance with the conditions and limitations as may be prescribed”, be inserted.

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कांस्टीच्यूशन के मुताबिक और रूल्ज के मुताबिक यह बिल सदन में पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि गवर्नर साहब से इसके बारे में सैक्शन नहीं ली गई। आर्टिकल

207, में साफ लिखा है कि सदन में बिल लाने से पहले गवर्नर की सैक्शन लेनी होगी।

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, यह प्रोवीजन तो मनी–बिल के लिए है। इस बिल के लिए सैक्शन की जरूरत नहीं है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह तो मेरी तरफ से औब्जैक्शन है, अगर ठीक नहीं है तो ये इसको रिफ्यूट कर दें।

श्री अध्यक्ष: यह बात मेरे पर आती है क्योंकि आप कह देंगे कि कागज कम्पलीट नहीं है।

श्री मंगल सैन: मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह बात आपकी नहीं, बेसिकली बात उनकी है क्योंकि सरदार प्यारा सिंह हमारे भोले–भाले वजीर हैं, कहीं उन बेचारों को कैद न हो जाए। वे तो पहले ही फ्रीडम फाइटर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वे कहते हैं कि मुझे डा. साहब ने भोला नहीं रहने दिया, मैं अब सियाना हो गया हूं। (हंसी)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, जो बिल सदन में लाया गया है, इसमें यह है कि कुछ सैस लगाकर, कुछ फीस लेकर कालोनीज को रैगुलराइज किया जाएगा। ये गवर्नर साहब की इजाजत के बिना फीस लगाने की पावर्ज दे रहे हैं। जब तक गवर्नर साहब की इजाजत न हो तब तक यह बिल यहां नहीं आना चाहिए था। स्पीकर साहब, इन्होंने खुद माना है और इनकी

कन्फैक्शनल स्टेटमैंट है कि कितने हैफहैजर्ड तरीके से हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी कालोनीज के लिए जमीन खरीद रही है। हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी का कितना बड़ा पैराफरनेलिया खड़ा कर रखा है। चौ. भजन लाल जी, आपने प्लाट देने के लिए ही यह खड़ा किया है। यहां हाउस में गुस्से में कहते हैं कि अखबार वालों को प्लाट दे दिया।

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, यह रैपीटीशन है। आप यह बात पहले भी कई दफा कह चुके हैं। कोई नई बात कहिए।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बार–बार उनको धमकाते हैं। (व्यवधान) मुझे पता लगा है कि एक जरनलिस्ट ने आपको अप्रोच किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने सदन में सत्य नहीं कहा, मेरे नाम से कोई प्लाट नहीं है। स्पीकर साहब, हुड्डा को हरियाणा में चौ. भजन लाल जी ने एक्चुअली कुछ पूंजीपतियों के पास बेच दिया है। यह धड़ाधड़ कालोनियां बना रहा है। किसानों को जमीन एक्वायर करके कुछ पूंजीपतियों को दे देता है। धड़ाधड़ कालोनियां बन रही है। किस कंसिड्रेशन से बन रही है? शायद भजन लाल जी, मई–जून में चुनाव होंगे। हमने यह सुना है कि चुनाव 1985 में ही होगें।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): 1985 में होंगे या 1987 में? अगर 1985 में होंगे तो आपको बड़ी मुश्किल हो जाएगी। (व्यवधान) लेकिन चुनाव 1987 में ही होंगे।

श्री मंगल सैन: आप भी तो हमारे साथ जनता पार्टी में रहे हो। (व्यवधान)

Mr. Speaker: Please be relevant.

Sh. Mangal Sein: He is running on the wrong tracks. He is responsible for that. I am refuting his wrong statements. स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब से आपकी कुर्सी का सम्मान करता हूं। * * * *

श्री अध्यक्ष: यह बात रिकार्ड पर नहीं आयेगी।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, जो अमैंडिग बिल म्यूनिसिपल कमेटीज के बारे में सदन में लेकर आये हैं, इसके तहत ये आफिसर्ज को बड़ी गलत पावर्ज दे रहे हैं। जो सैस इक्ट्ठा होगा वह बड़े–बड़े पूंजीपतियों की जेबों में जाएगा। आप हरियाणा को इन पूंजीपतियों के हाथों में मत बेचो। हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी बड़े–बड़े लोगों को प्लाट न देकर, लेबर क्लास और मिडल क्लास को प्लाट दे, तथी हरियाणा का भला हो सकता है और हैपहैजर्ड ग्रोथ नहीं होगी। (विघ्न) सर, मैं बिल्कुल रैलैवैन्ट हूं। इनको समझ न आए तो मेरा क्या कसूर है?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सन। डा. साहब को बोलते हुए कम से कम दस मिनट हो गए हैं लेकिन इस बिल के बारे में इन्होंने एक भी बात नहीं कही। कौन सी क्लाज गलत है और कौन सी क्लाज इन्सर्ट

होनी चाहिए, ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं कही। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया इस तरह से इन्हें न बोलने दें। कभी ये रैलैवैन्ट बात तो कहा करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यहां मंत्रिगण की तरफ से अकसर कहा जाता है कि यदि किसी माननीय सदस्य को कोई बात कलीयर न हुई हो या वह कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो उनके कमरे में आ जाएं। अब डा. मंगल सैन जो कह रहे हैं कि अगर सी.एम. साहब को कोई बात समझ न आई हो तो वे इनके कमरे में आ जाएं। (हंसी)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, अगर ऐजुकेशन का कोई मुद्दा होता, कोई बिल होता तब तो मैं नेहरा साहब से बात कर लेता लेकिन यह बिल तो सरदार प्यारा सिंह जी का है जो एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं और यूनिवर्सिटी के डिग्री होल्डर हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: थैंक यू, डाक्टर साहब। अब आप बैठिए।

श्री मंगल सैन: मैं स्पीकर साहब, अन्त में यही कहना चाहता हूं कि ये जो म्यूनिसिपल ऐक्ट में तरमीम करना चाहते हैं और सारी अनियमितताओं को रैगुलेट करना चाहते हैं इसके बारे में ये यह तो बता दें, बात साफ कर दें कि फीस क्या लगेगी?

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, आपने अभी रैफर किया था कि किसी जर्नैलिस्ट ने मुझे कुछ लिख कर दिया है या मुझसे कुछ

कहा है। मैंने सारा रिकार्ड देखा है। उनके खिलाफ मेरे रिकार्ड के ऊपर कोई चीज नहीं है।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, डा. साहब और कुछ दूसरे माननीय सदस्यों के बिल का डिस्कशन में भाग लिया है। कुछ साथियों ने तो बिल को बहुत अच्छा बताया लेकिन कुछ साथियों का यह तरीका हो गया है कि अच्छी बात को भी अच्छी नहीं कहता है। डा. मंगल सैन जी के बारे में तो मैं क्या कहूं? ये बहुत सीनियर मैम्बर हैं और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह तो आज इन्होंने बिल को देखा नहीं और देखा है तो पढ़ा नहीं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस बिल की अमैंडमैंट की तो सबको तारीफ करनी चाहिए थी। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बहुत से शहरों में लोग हैपहैजर्ड तरीके से 15–15, 20–20 और 25–25 साल से बैठे हुए हैं। वे अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। यह नहीं कि सरकार की जगह पर बैठे हैं लेकिन वे बसे हुए इस ढंग से हैं कि न वहां सीवरेज है, न लेन है और न पानी है। वे अब म्यूनिसिपल कमेटी की हद में आ गए हैं। उन लोगों को सुविधाएं देने के लिए यह बिल लाए हैं ताकि उन लोगों को वे सारी फैसिलिटीज दी जाएं जो एक अच्छे नागरिक को होनी चाहिए। (विघ्न) वहां पर बाकायदा डिवैल्पमैंट करेंगे। जहां सड़क नहीं है वहां सड़क देनी है, जहां सीवरेज नहीं है, वहां सीवरेज देना है, जहां पानी नहीं है वहां पानी देना है और जहां बिजली नहीं है वहां बिजली देनी है। एक अच्छे नागरिक

को जो सुविधा होनी चाहिए, उसका हम पूरा इन्तजाम करके देंगे। चार्जिज बड़े नौमिनल हैं।

श्री फतेह चन्द विज: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, कुछ मकान म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद के बाहर बने हुए हैं। अब म्यूनिसिपल कमेटी की लिमिट बढ़ जाने से वे म्यूनिसिपल कमेटी की लिमिट में आ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर भी मकान बना रखे हों। तो क्या सरकार उनसे वाजिब पैसे लेकर ऐसे मकानों को भी रैगुलेराइज करेगी?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने दो ही रास्ते थे। या तो उन लोगों को वहां से उठाते या जो कालोनी उन्होंने बना रखी है उसको रैगुलर करते। अगर उनको वहां से उठाते तो गरीब लोग कहां जाते। इसलिए मजबूरी में उन्हें हमें रैगुलर करना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को उठाना मुनासिब नहीं। अब वहां हमने डिवैल्पमैंट करनी है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, डिवैल्पमैंट चार्जिज जैसा मैंने पहले कहा बड़े नौमिनल हैं। 'ए' क्लास म्यूनिसिपल कमेटी में सिर्फ 20 रूपये गज, 'बी' क्लास म्यूनिसिपल कमेटी में 15 रूपये गज और 'सी' क्लास म्यूनिसिपल कमेटी में 10 रूपये गज डिवैल्पमैंट चार्जिज लिए जाएंगे और उन्हें सारी की सारी सुविधाएं दी जाएगी। बाकी सारा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। कितनी सुविधा उन्हें मिलेगी? अध्यक्ष महोदय, जहां तक आगे का सवाल है, कोई गलत कालोनी नहीं बनेगी। हुड्डा

और म्यूनिसिपल कमेटी मिल कर यह देखेगी कि कोई आदमी नाजायज तरीके से मकान न बना सके। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी बात के लिए तरमीम की गई है, इस सर्व–सम्मति से पास किया जाना चाहिए।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगी कि हुड्डा, टाऊन एण्ड कंटरी प्लानिंग और म्यूनिसिपल कमेटी ये सारे मिलकर कैसे काम करेंगे?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, टाऊन एंड कन्टरी प्लानिंग अब हुड्डा हो गया है। हुड्डा और म्यूनिसिपल कमेटी मिल कर यह देखेंगे कि कोई भी आदमी कहीं नाजायज तरीके से मकान न बना सके। बाकायदा नक्शा पास करवाए, उसके बाद मकान बनाए। इसके लिए हम बहुत जल्दी बाकायदा अमैंडमैंट करेंगे।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से दरख्वास्त करूंगा कि ये दो चीजें अलग–अलग हैं। एक कंस्ट्रक्शन तो कालोनाइजेशन ऐकट के तहत होती थी। दूसरी कंस्ट्रक्शन वह है जो अन–अथोराइज्ड तरीके से म्यूनिसिपल कमेटी कीर लिमिट क बाहर लोगों ने की है। क्या इन दोनों को इक्ट्ठा कर दिया है या ये दोनों अलग अलग हैं।

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, हुड्डा अलब है और म्यूनिसिपल कमेअी अलग है। हुड्डा को बीच में लाया जाएगा।

अब ये देखेंगे कि म्यूनिसिपल कमेअी की हदूद के बाहर भी यदि कोई मकान बनाए तो वह अन–अथोराइज्ड न बनाए। (विघ्न) अगर बना लिए हैं तो उसके बारे में देखना पड़ेगा कि कहां बनाए हैं खेत में बनाए हैं या कहीं और बाहर बनाए हैं।

Mr. Speaker: Question is –

That in line three of the proposed sub-section (1) of section 203-A of the Bill, between the words "buildings" and "in any area", the words "in accordancne with the conditions and limitations as may be prescribeb".

The motion was lost.

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनैक्टिंग फार्मूला बिल का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, मैं इस बिल का विरोध करना चाहता हूं। देखने में तो यह बड़ा ही मासूम लगता है लेकिन इससे क्या लाभ होगा वह मेरी समझ में नहीं आया। स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी की शहरों के विकास में बड़ी आस्था है।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आप बिल के मैरिटस और डी–मैरिटस पर बोल रहे हैं या टाइटल पर बोल रहे हैं? टाइटल पर बोलना चाहते हैं तो उसी की निन्दा करें। अगर आप टाइटल में चेंज चाहते हैं तो उस पर बोलें कि यह ऐसा होना चाहिए।

श्री मंगल सैन: इसमें तो सारी ही बातें गलत है। टाइटल भी गलत है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि टाइटल बिल का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री प्यारा सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाये।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, मेरी बात का मंत्री महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया जिससे मेरी तसल्ली हो सके। वे न हिन्दी में बोले और न ही उर्दू में बोले, वे किसी भी भाशधा में नहीं बोले। स्पीकर साहब, म्यूनिसिपल एक्ट, 1973 बिल में ये चेंज लाना चाहते हैं। लेकिन जिस मुराद और इनटैन्शन से यह बिल लाया गया है वह अच्छी भी हो सकती है कि शहरों की ग्रोथ प्लान के मुताबिक की जाये। स्पीकर साहब, जो दिल्ली के पास बड़े–बड़े कालोनाइजर बैठे हैं, उन्होंने सस्ते भाव में किसान की जमीन ले ली थी अब वे उस सिान की जमीन में बड़ी–बड़ी बिल्डिंगै बना कर बेच रहे हैं। वहां पर कोई सड़क और सैनीटेशन का इन्तजाम नहीं होता है। जिन लोगों ने ये जमीनें ले रखी हैं वे इनके पीछे मारे मारे फिर रहे हैं कि हम लुट गये, पिट गये। उन लोगों को यही लोग कहते हैं कि आप फिक्र न करो। इसलिए मैं अपने दोस्त सागर राम जी को कहना चाहता हूं कि उस तरफ भी ध्यान दें।

मेरी हम्बल सबमिशन है कि मेरी अपनी कांस्टीच्यूएंसी में दो लाख के करीब लोग रहते हैं। रोहतक हरियाणा में सबसे पुराना शहर है। पोलिटिकली थी यह सबसे आगे रहा है लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि अब थोड़ी सी कमी आ गई। चीफ मिनिस्टर की सीट पर हमारे जिले का ही आदमी बैठा होता। यह तो चान्स की बात है। हमें कोई दु:ख नहीं है हर जिले को मौका मिलना चाहिए। इस अमैंडिग बिल से जो ये मन्शा पूरी करना चाहते हैं वह नहीं हो पायेगी। प्राइवेट कालोनाइजर्ज पर कोई पाबन्दी लगायी जाये या कोई ऐसे नियम बनो जायें जिससे कोई रूकावट पैदा हो सके। मेरे अपने शहर रोहतक में हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी की जमीन पड़ी हुई थी। वह म्यूनिसिपल कमेटी के सामने ही थी। किसी ने इनके कान में फूंक मार दी और पार्क बना दिया। अब उस पार्क में यह हालत है कि जो लोग लैट्रीन बाहर दूर जाते थे, अब वे वहीं पर बैठ जाते हैं। अगर वह एरिया औक्शन हो जाता तो वहां पर भी कोई अच्छी सी कालोनी बन जाती।

श्री जगदीश नेहरा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं आपकी इस बात पर रूलिंग चाहूंगा कि क्या कोई मैम्बर एक बिल पर दो तीन बार बोल सकता है। पता नहीं इन लोगों को क्या बोलने की आदत पड़ गई है। हमें आप एक बार भी नहीं बोलने देते और यह तीन–तीन बार बोल लेते हैं।

श्री अध्यक्षः नेहरा साहब आपकी इन्फर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि कोई भी मैम्बर बिल की तीनों स्टेजिज पर बोल सकता है।

श्री मंगल सैनः इस बिल में इन्होंने कहा है कि इस रूपये गज सी क्लास कमेटी में, 15 रूपये गज बी क्लास में और 20 रूपये गज ए क्लास कमेटी में डिवैल्पमैंट का खर्चा चार्ज करेंगे। सैस का मतलब हम समझ नहीं पायें हमने बिजली का तो सुना था कि पहले इलैक्ट्रिसिटी सैस होता था, जो धीरे–धीरे रेट बन गया। (व्यवधान व शोर) मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्वायंट जरा क्लीयर कर दें कि रोहतक का हुड्डा का काम क्यों नहीं हो रहा है और यह जमीन प्राइवेट कालोनाइजर्ज को एक्वायर करके क्यों दी जा रही है?

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री प्यारा सिंह)ः स्पीकर साहब, यह बिल उस जमीन के बारे में है जो न तो हुड्डा की है और न सरकार की है बल्कि लोगों की जमीन है। यह जमीन लोगों ने सस्ते भाव में खरीदी थी, उसके ऊपर मकान बनाये हुए हैं और यह जमीन कमेटी से बाहर है। हम उनको कुछ सहूलियतें देने जा रहे हैं। वहां पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़के नहीं हैं। उनके ऊपर अब डिवैल्पमैंट चार्ज लगेगा। इसके लिये यह बिल है।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, एक बात डाक्टर साहब ने औ कह दी। उनकी आदत के मुताबिक तो कोई बुरी बात नहीं है उन्होंने यह कहा कि सरकार प्राइवेट लोगों को जमीन सस्ते भाव पर एक्वायर करके कालोनीज बनाने के लिये देती है। मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमैंट कोई भी जमीन किसी भी कालोनाईजर को एक्वायर करके नहीं देती है। यह बहुत गलत और बे–बुनियाद बात है। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(v) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1985

श्री अध्यक्ष: अब एक्साईज एण्ड टैक्सेशन मिनिस्टर हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1985 को कंसिडर करने के लिये प्रस्ताव पेश करेंगे।

Excise and Taxation Minister (Ch. Katar Singh Chhokar): Sir, I beg to move –

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be takne into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be takne into consideration at once.

श्रीमती चन्द्रावती (बाढ़डा): स्पीकर साहब, यह जो बिल हमारे सामने सरकार लायी है इसमें इन्होंने यह कहा है कि 25000 रूपए से बढ़ाकर 1 लाख रूपए करके बिक्री कर में हमने राहत दी है। आपको पता है कि कुछ लोग जो बड़े–बड़े व्यापारी हैं, उनकी एक–एक लाख की रोजाना की बिक्री हो जाती है। मैं तो यहां तक चाहती हूं और यह मेरा सुझाव है कि सरकार को बिक्री कर को समाप्त कर देना चाहिये। अगर आपको बिक्री कर लगाना ही है तो कारखानेदारों पर या एजेन्टों पर लगाना चाहिये। जो खरीददार हैं, उनके ऊपर किसी तरह का बिक्री कर नहीं लगाना चाहिये। यह जो अपने कहा है कि आपने व्यापारी वर्ग को राहत दी है, यह राहत देने के कोई मायने नहीं हैं। अगर कोई राहत देनी है तो मेरा सुझाव यह है कि बिक्री कर बिल्कुल मुआफ होना चाहिये। अगर लगाता है तो कारखानेदार या जो प्रोडयूसर हैं, उनके ऊपर यह टैक्स लगना चाहिये।

मास्टर शिव प्रशाद (अम्बाला शहर): स्पीकर साहब, मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैं सरकार का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने जो यह कहा है कि मैनुफैक्चरर्ज को हमने 25000 की बजाये एक लाख रूपए तक की छूट दे दी है, यह बहुत अच्छा किया है। लेकिन में इससे आगे यह कहूंगा कि जो डीलर्ज हैं, उनको एक लाख रूपये की तो छूट आपने पहले दी हुई है। मैं यह सुझाव दूंगा कि उनको अगर यह

छूट दो लाख तक देने के लिये कंसिडर कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री लछमन सिंह (कालका): स्पीकर साहब, यह जो सरकार ने 25000 रूपये से बढ़ाकर 100000 रूपए तक किया है, यह तो बिल्कुल ठीक बात है। आज इतनी मंहगाई बढ़ गयी है कि कोई भी चीज सस्ती नहीं रही है। अगर यह सेल्ज टैक्स की छूट एक लाख की बजाये दो लाख रूपये तक कर दी जाये, तो कोई हर्ज नहीं होगा। मेरा सुझाव यह है कि कम से कम दो लाख रूपये तक की लिमिट तो करनी चाहिये। मंहगाई को देखते हुए ऐसा करना जरूरी भी है।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, इस बिल को लाने के लिए मैं चौ. भजन लाल की तारीफ करना चाहता हूं। मैं आपको ज्वायंट पंजाब के समय की बात बताता हूं, आप कहेंगे कि यह रिकार्ड कहां से निकाल लिया। मेरे पास हरियाणा भर के तन्दूर वाले आये थे। वे कहने लगे कि हमें मार दिया, हमें बचाओ। हमने उनको कहा कि यह तो बेचारे सुबह से लेकर शाम तक आग के सामने दाल–सब्जी–रोटी बनाते हैं और साथ ही तपते हैं। इन पर क्यों टैक्स लगाते हो। (व्यवधान व शोर) पंजाब में श्री गोपी चन्द भार्गव फाइनैंस मिनिस्टर हुआ करते थे, वे बड़े ही काबिल आदमी थी। उस समय भी इनको 10000 रूपए की छूट थी। उस समय भी मैंने इनके लिए 40000 रूपए तक की छूट करवाई थी। मेरी उनसे चूंकि पुरानी जानकारी थी इसलिये अब की

बार फिर वे मेरे पास आ गये और मैंने इनसे रिक्वैस्ट की, जो इन्होंने मान ली। यह खुशी की बात है कि पहली बार इन्होंने अपना वायदा पूरा किया है। मैं सरकार को उन ढाबे वालों की तरफ से और तन्दूर वालेां की तरु से स्पैशली बधाई देना चाहता हूं। (व्यवधान व शोर) मैं एक रिक्वैस्ट और कहना चाहता हूं। आपने देखा है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हर चीज महंगी हो गयी है। रेल के किराये बढ़ गये हैं, बसों की भाड़े बढ़ा दिये हैं। आपको पता है कि सैंटर की और स्टेट सरकार की गलत नीतियों के कारण मंहगाई बहुत बढ़ गयी है।

श्री अध्यक्षः आपने सी.एम. साहब को बधाई दी तो मैं उन्हें कहने लगा था कि एक पार्टी आपकी तरफ डयू हो गयी।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आप भी वकील हो और आप जानते हो कि जिससे फीस ली जाये, उसकी बात तो करनी ही पड़ती है। जब उन्होंने काम कर दिया तो उसके लिये उनको धन्यवाद दे दिया। आगे खदशा भी बता दूं। इतनी मंहगाई हो गयी है कि इसकी कोई हद नहीं है। नमक ढोने पर टैक्स और अनाज ढोने पर टैक्स लगा दिया गया है। इसतीन मंहगाई हो गयी है कि यह जो सेल्ज टैक्स की एक लाख रूपये तक की लिमिट बढ़ायी गयी है, अगर इसको दो लाख कर दिया जाये तो ठीक बात होगी। अगर दूध देना ही है तो बकरी की तरह मींगने डालकर क्यों दो। वेसे ही दे दो। मुख्यमंत्री महोदय को हमारी बात पर गौर करना चाहिये इसके लिये मेरी एक अमैंडमैंट भी थी

जो रिजैक्ट कर दी गयी है। मैं अन्त में यही कहूंगा कि इस लिमिट को एक लाख रूपये की बजाये दो लाख कर दिया जाये।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनेक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनेक्टिंग फार्मूला बिल का अनेक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Excise and Taxation Minister (Ch. Katar Singh Chokkar): Sir, I beg to move –

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(vi) दि पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1985

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे सर्वश्री ओम प्रकाश (बेरी), राम बिलास शर्मा, शिव प्रशाद, फतेह चन्द विज और देवी दास की ओर से दि पंजाब पंचायत समिति (हरियाणा अमैंडमैंट) आर्डिनैंस, 1984 (हरियाणा आर्डिनैंस न. 8 आफ 1984) की डिसऐप्रूवल के नोटिस मिले हैं। यदि हाउस सहमत हो तो हाउस का टाईम बचाने के लिए इस प्रस्ताव पर और बिल पर इकट्ठा विचार कर लिया जाए। डिस्कशन के बाद उनकी मोशंज पर अलग–अलग वोटिंग होगी।

आवाजें: ठीक है जी, इनको इकट्ठा ही डिस्कस कर लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: अब भी ओम प्रकाश (बेरी) अपना प्रस्ताव मूव करें।

Ch. Om Parkash (Beri): Sir, I beg to move –

That this House disapproves the Punjab Panchayat Samits (Haryana Amendment) Ordinance, 1984 (Haryana Ordinance No. 8 of 1984).

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि यह सदन दि पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) आर्डिनैंस 1984 (हरियाणा आर्डिनैंस न. 8 आफ 1984) को डिसऐप्रूव करता है।

अब डिवैल्पमैंट मिनिस्टर दि पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) आर्डिनैंस 1985 को कंसीडर करने के लिए अपना प्रस्ताव पेश करें।

Development Minister (Ch. Rajinder Singh): Sir, I beg to move –

That the Punjab Panchayat Samities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि दि पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

चौ. ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, वैसे तो बड़ी निराशाजनक बात है कि सरकार आर्डिनैन्स लाई। आर्डिनैंन का इस्तेमाल आमतौर पर बहुत ही एक्सट्रा–आर्डिनरी सरकमस्टान्सिज में किया जाता है और इसका स्पेयरिगंली यूज किया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, ऐसी क्या जल्दी आ पड़ी थी कि ब्लौक्स की डीलिमिटेशन को रैगुलराइज करने के लिए यह आर्डिनैन्स लाया गया। मेरा कहना यह हे कि इसको आर्डिनैन्स के जरिए नहीं लाया जाना चाहिए था। स्पीकर साहब इसकी डिसएप्रूवल के और भी कई कारण है। स्पीकर साहब, पंजाब पंचायत समितिज **श्री अध्यक्ष**: (हरियाणा अमैंडमैंट) आर्डिनैंस 1984 जो हाउस में लाया गया है इसको डिसऐप्रूव क्यों किया जाए इसके कई कारण है। आज जिस ढंग की यह पंजाब पचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल में अमैंडमैंट करना चाहते हैं उसे सारा मामला बिल्कुल अनडैमोक्रेटिक हो जाएगा, अप्रजातान्त्रिक हो जाएगा क्योंकि इस अमैंडमैंट के जरिए सरकार को कुछ मैम्बर्ज नौमिनेट करने का अधिकार दे दिये गया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि रिप्रिजैन्टेशन आफ दि पीपल्ज एक्ट के तहत आफटर ऐवरी सैन्सिज जिस तरह से असैम्बलीज और पार्लियामैंट की डीलिमिटेशन आफ कांस्टीच्यूएन्सीज होता है उसी तरह से यह होना चाहिए। जिस तरह से 1971 की सैन्सिज के बाद 1974 में डीमिमिटेशन आफ दि कांस्टीच्यूऐन्सी का काम हो गया था और उसी के आधार पर चुनाव हुए इसी तरह से पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) एक्ट में भी कोई समय निर्धारित किया जाना चाहिए कि

इतने साल के बाद ब्लौक्स की डीलिमिटेशन होंगी। स्पीकर साहब, कोई टाईम प्रैसक्राइब किया जना चाहिए लेकिन जब इलैक्शन का प्रौसैस शुरू हो गया, प्राइमरी मैम्बर्ज का चुनाव हो गया प्राइमरी मैम्बर्ज इलैक्ट हो गए तो उसके बाद यह अमैंडमैंट लाना और डीलिमिटेशन करना मेरे ख्याल में अप्रजातान्त्रिक रहेगा। इससे सरकार की मंशा जाहिर होती है कि कुछ ब्लौक्स को अपनी पार्टी के लोगों द्वारा कन्ट्रोल करने के लिये यह अमैंडमैंट लाई जा रही है। जिस तरह से एक ब्लौक के अन्दर अगर सरकार का आदमी चेयरमैर नहीं आ पाता जैसे कहीं पर दो आदमी उसके खिलाफ हैं और वे दूसरे ब्लौक में लगा दिये जाएं और ऐसा करने से जब उस ब्लौक की संख्या कम हो जाती है तो वहां पर गवर्नमैंट उनकी जगह पर नौमिनेट कर दे तो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बनाने के लिये सत्ता पक्ष्ज्ञ को सहूलियत हो जाएगी। मैं चाहूंगा कि इस किस्म की अमैंडमैंट नहीं आनी चाहिए। स्पीकर साहब, डीलिमिटेशन से यह भी हो सकता है कि जो मैम्बर्ज इलैक्ट हो कर आए हैं किसी दूसरे ब्लौक की डीलिमिटेशन की वजह से दूसरी पंचायत समिति में 25 से भी ज्यादा मैम्बर बन सकते हैं, इसके बारे में मैं यह चाहूंगा कि ऐसा करने से जो लैजिस्लेटिव प्रोसैस है उसका ऐब्यूज करना हो जाएगा और वह अनडैमोक्रेटिक रहेगा। इस कारण से मैं चाहूंगा कि यह जो अमैंडमैंट ला रहे हैं इसको पास न किया जाए क्योंकि इससे सरकार को अनफैटर्ड पावर्ज मिल जाएंगी आर्बिट्रेरी पावर्ज मिल जाएंगी और इसका

रूलिंग पार्टी नाजायज तौर पर अपने लोगों को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने के लिये इस्तेमाल करेगी।

श्री लछमन सिंह (कालका): स्पीकर साहब, यह जो बिल है यह बिल्कुल ही अनडैमोक्रेटिक है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको इस बिल की क्यों जरूरत पड़ी। स्पीकर साहब, कालका और नारायणगए कांस्टीच्यूऐन्सीज में कुछ ब्लौक्स ज्वायंट थे। रायपुर रानी का एक ब्लौक था उसके अन्दर इलैक्शन हुए। यहां पर चौ. लाल सिंह का एक आदमी जीत गया उसका नाम बनारसी दास था। वह सरपंच बन गया। वहां पंचायत तोड़ कर टाउन एरिया कमेटी बना दी। वह फिर ब्लौक की मैम्बरी से हट गया। स्पीकर साहब, वहां पर फिर ब्लौक का बाई–इलैक्शन हुआ और चौ. लाल सिंह का रिश्तेदार खड़ा हुआ, वह हार गया। (व्यवधान व शोर)

पशु पालन राज्य मंत्री (चौ. लाल सिंह): स्पीकर साहब, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: चौ. लाल सिंह का रिश्तेदार कभी हार नहीं सकता। यह मान लेना चाहिए।

श्री लछमन सिंह: चलो, इसका कोई दावा नही करता। स्पीकर साहब, वहां पर तमाम सोलह के सोलह आदमी इलैक्ट हो गए। कोआपशन की डेट फिक्स हो गई। इन दि मीन टाईम इन्होंने बरवाला ब्लौक बना दिया। बरवाला मेरे हल्के में है बरवाला

ब्लौक का कुछ हिस्सा रायपुर रानी के हिस्से में से कट गया। स्पीकर साहब, वहां पर आठ आदमी तो इधर के हैं जो मेरी तरफ का ब्लौक है। स्पीकर साहब, जो आठ आदमी नौमिनेट किए हैं उनमें चार आदमी एक ही कम्युनिटी के हैं। उनमें से सिर्फ एक आदमी इलैक्शन में आया है और सात दूसरे हैं। सिर्फ फर्सट्रेट करने के लिए और वहां पर माइनोरिटी को मैजोरिटी में बदलने के लिये यह आर्डिनैन्स लाया गया है। स्पीकर साहब, आर्डिनैन्स को लोगों ने चैलेन्ज कर दिया। कोआपशन स्टे हो गई और उसकी अगले महीने की बारह तारीख लगी हुई है। इसी तरह से फिर इन्होंने रायपुर रानी के कुछ गांव निकाल दिए ताकि वहां पर भी नौमिनेट करके मैजोरिटी लाएं। नारायणगढ़ के कुछ गांव निकाल दिए है। स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि शायद आज तो यह चौ. लाल सिंह को भी सूट करता होगा, चीफ मिनिस्टर को भी और दूसरे ट्रेजरी बैन्चिज के मैम्बर्ज को भी सूट करता होगा लेकिन आने वाले जमाने में यह जरूरी नहीं होता कि एक ही आदमी बरसरेइक्तदार रहे। चेंजिज होती रहती हैं डैमोक्रेसी में और वह सब लोग जानते हैं।

चौ. लाल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। सर, ऐसा है सरदार लछमन सिंह ने खुद बरवाला ब्लौक बनवाया और कालका सब–डिवीजन बनवाया। जब ये मंत्री थे तब से गांव चेंज किए गए क्योंकि अगर वे गांव न बदले जाते तो कालका सब–डिवीजन नहीं बन पाता। इन्होंने ही इधर से गांव निकलवा

कर सब–डिवीजन बनवाया और उसके बाद वह ब्लौक बना। उस ब्लौक में कुछ गांव डालने के लिए गवर्नमैंट को कुछ गांव इधर से निकालने थे। फिर सरदार लछमन सिंह ने यह चारा कि मेरी कांस्टीच्यूऐंसी के गांव उनके ब्लौक में आ जाने चाहिए और इन्होंने जब यह कांग्रेस में थे, दूसरी पार्टियों कीा आड़ लेकर खूब डटकर मैम्बर को जिताना चाहा, जबकि इनकी स्पोर्ट के बावजूद भी वह हार गया।

15.00 बजे

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, ब्लाक बनाने का कोई झगड़ा नहीं है। ब्लाक बना, सब डिवीजन भी बना, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि जो नौमिनेशन की प्रथा ये डालने जा रहे हैं, यह प्रथा नहीं होनी चाहिये। आज भी इनके बरवाला ब्लाक के इलैक्शन करवाएं तो पता लग जाएगा कि कौन जीतना है, कौन हारता है। मैं तो नौमीनेशन की बात के खिलाफ हूं। ब्लाक का तो कोई झगड़ा ही नहीं है जितने मर्जी बनाओ, जितने मर्जी बदलते रहो। जैसे ब्लाक्स में पहले इलैक्शन होते थे, उसी तरह करें, नौमीनेशन क्यों करते हैं? कोई हारे कोई जीते इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। इसके ऊपर बाद में रूलिंग पार्टी वाले खुश हो जाएंगे कि हमने फलां को मार लिया लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। असैम्बली के इलैक्शन्ज पर इन ब्लाक का कोई असर नहीं है। स्पीकर साहब, आप जानते भी हैं कि पार्लियामैंट के

इलैक्शन का असैम्बली इलैक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। जब चौ. भजन लाल जी रोज कहते हैं कि सारे ही हार गये, बाई इलैक्शन जीत गये। भजन लाल जी अपने ही हल्के में 14 हजार वोट से हार गये। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): कितनी गलत बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री लछमन सिंह: मेरा कहने का मतलब यह था कि आप असैम्बली इलैक्शन में 26 हजार से जीते थे और अब पार्लियामैंट के इलैक्शन में केवल 12 हजार से जीते थे।

चौ. भजन लाल: वोट की पोल असैम्बली में ज्यादा होती है और पार्लियामैंट में कम होती है। अगर वोटस की रेशो को देखें तो असैम्बली में 30 हजार बनती है।

श्री लछमन सिंह: ऐसी बात नहीं है चौधरी साहब, वोट पोल बहुत हुई हैं। असैम्बली के और पार्लियामैंट के इलैक्शन में बहुत फर्क होता है। भट्टूकलां में आप 1980 में साढ़े दस हजार से जीते थे और अबि 9 हजार से हार गये। (शोर)

चौ. सुरेन्द्र सिह: उचाना में साढ़े चार हजार से हारे थे और अब वहां से साढ़े 12 हजार से जीते हैं।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मैं तो एक मिसाल दे रहा था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो यह कहना

चाहता हूं कि नौमीनेशन का जो सिस्टम है, जो रिवायत है, उसका असर लोगों पर अच्छा नहीं होगा। आज जो हारे हुए हैं, उनको नौमीनेट कर रहे हैं। वैसे आपने नौमीनेट तो कर ही दिया है और जितना जी करता है नौमीनेशन कर दें लेकिन यह रिवाज अच्छा नहीं है।

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, मैं यह बताना चाहता हूं कि जो ब्लाक की हद बदल जाती है, उसके लिये यह अमैंडमैंट है। मिसाल के तौर पर कालका को ही ले लीजिए उसमें अगर एक ब्लाक बन गया बरवाला या रायपुर रानी और उन ब्लाक्स में कुछ गांव दूसरे ब्लाक में चले गये वहां पर जगह खाली हो गयी। उससे अगर दो मैम्बर्ज उस साईड से चले गये तो उनकी जगह दो मैम्बर्ज सरकार नौमीनेट करेगी ही। दो के क्या इलैक्शन होंगे। (शोर)

श्री लछमन सिंह: इलैक्शन करवा दो कोई हर्ज नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, आप जानते हैं कि समिति के इलैक्शन असैम्बली के इलैक्शन से कम नहीं हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं चार पांच सालों में एक दो ब्लाक्स की हद बदलती है या चार पांच सालों के बाद एक दो ब्लाक्स नये बनते हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, जब बांउडरी बदलती है तो

कहीं एक आध मैम्बर की कमी हो जाये तो वहां सरकार नौमीनेट कर देती है, सिर्फ इतना ही मकसद है।

श्री लछमन सिंह: नौमीनेशन का क्या क्राइटेरिया है? जिसको आप चाहोगे नौमीनेट कर दोगे? यह तो आपकी मर्जी की बात है मैं इसमें रूकावट नहीं डालता लेकिन अभी मिनिस्टर साहब ने माना है, वे मजबूर थे, कांपते कांपते इस बिल को दिन से यहां पर लाना नहीं चाहते थे। इसलिये मरी इनसे रिक्वैस्ट है कि इस बिल के बारे में जरा ठण्डे दिल से विचार करें। चीफ मिनिस्टर साहब खुद पंचायत समिति के चेयरमैन रहे हैं, वह बड़ी पवित्र जगह है। चेयरमैन से आप मिनिस्टर बने और फिर चीफ मिनिस्टर बने। सभी चीजें जानते हैं। इसलिये मेरी रिक्वैस्ट हे कि आप इस बिल को वापिस ले लें। यह कोई अच्छा बिल नहीं है। इन अलफाज के साथ आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। एक बार फिर मैं इस बिल की मुखालफित करता हूं।

चौ. कुलबीर सिंह मलिक (जुलाना): अध्यक्ष महोदय, इस समय हाउस के सामने पंचायत समितीज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल 1985 पेश किया गया है। मैं इसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। डैमोक्रेटिक सैट अप में पावर्ज को डीसैन्ट्रेलाईज करने के लिये नीचे से लेकर ऊपर तक अलग अलग अदायरे बनाये गये हैं और इस अदायरों में अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार लोगों को दिया हुआ है। जैसे पंचायत है, पंचायत समिति है या

म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, इन सब अदायरों में लोग अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजते हैं लेकिन इस बिल में यह अमैडमैंट ला कर सरकार एक अनडैमोक्रेटिक काम करने जा रही है। अभी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ब्लाक समिति में नौमीनेशन इसलिये की जाती है कि बीच में चुनाव नहीं हो सकते। मेरे अपने हल्के जुलाना में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को चुनाव हुआ। जो समिति का चुनाव हुआ वह 23 मैम्बर्ज का हुआ है या 25 का। ब्लाक समिति का कांस्टीच्यूशन यह है कि उसमें 16 प्राइमरी मैम्बर्ज होंगे, दो मैम्बर्ज कोआप्रेटिव सोसायटीज से होंगे एक मार्किट कमेटी से तथा 6 कोआपशन से होंगे। इस तरह से टोटल मिलकर 25 होंगे। जुलाना में जो 23 मैम्बर्ज पर चेयरमैन का चुनाव हुआ है उसमें दो पोस्टस खाली हैं। वहां पर मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसे करेंगे। जहां पर डीलिमिटेशन का सवाल है, वहां पर तो ये नौमीनेशन कर देंगे लेकिन जुलाना ब्लाक में पूरे पांच साल के लिये ये दो पोस्टें खाली रहेंगी।

श्री अध्यक्ष: कुलबीर सिंह जी, आप बिल के बारे बात करिये।

चौ. कुलबीर सिंह मलिक: एक रीजन इन्होंने दिया कि वहां पर भी चुनाव होंगे। इलैक्शनों में वैसे भी नौमीनेशन होना ठीक नहीं है क्योंकि जो मैम्बर इस तरह की कमेटी से आता है, वह मार्किट कमेअी भी नौमीनेटिड बाडी है एक तो नौमीनेटिड यह हो गया। दूसरे कोआप्रेटिव सोसायटीज से जो लोग आते हैं वे भी

एक घुआला होता है। कुछ आदमी एक कोआप्रेटिव सोसाइटी के मैम्बर्ज हैं उसके एक्ट में यह प्रोवाइडिड है कि 30 का कोरम होगा। 30 आदमी कही इकट्ठे हुए तो उन्होंने कोआप्रेटिव सोसायटी बना ली। तो यहां से जो दो मैम्बर्ज आते हैं उनमें भी सरकार का दखल होता है। अगर इसमें नौमीनेशन हुई तो यह ब्लाक समिति तो बिल्कुल ही गवर्नमैंट ऐजेन्सी हो जाएगी। जब नो–कान्फीडेन्स मोशन आता है उस समय ऐसा करके एक या दो और वोट कांग्रेसी पार्टी के हक में बढ़ जाएंगी। अगर किसी की नौमीनेशन होती है तो उसे राईट टू वोट भी नहीं होना चाहिए। एक बात और है कि इसमें जो मैम्बर्ज होते हैं उनमें से कुछ मैम्बर दूसरी बाडीज के भी मैम्बर होते हैं। उनकी इन्क्वायरी चलती है और उसमें वे रिमूव हो जाते हैं। जब एक आदमी सरपंच या पंच के पद से रिमूव हो जाए तो उसके लिए यह प्रोवीजन है –

"Provided that it a person ceases to be a Panch or Sarpanch or a Member of the Co-operative Society or a Member of the Market Committee, as the case may be, he shall cease to be a Member of the Panchayat Samiti"

इंकवायरी होने से अगर कोई सरपंच नहीं रहता तो वह पंचायत समिति का मैम्बर भी नहीं रहेगा तो यह वेकैन्सी फिल अप करने के लिये भी चुनाव होंगे। यह रीजन दिया गया है। बहाना बनाया गया है कि एक के लिये इलैक्शन मुशकिल हो जाएगा, इसलिये सरकार नौमीनेशन करती है। इसलिये यह

अन–कांस्टीच्यूशन और अन–डेमोक्रेटिक है, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, जैसे पंचायत समिति का पहला कांस्टीच्यूशन है उसमें सारे मैम्बर्ज 19 से 25 तक होते हैं। वह 19 भी इसलिये फिर अगर 19 में से ही दो महिलाएं और चार हरिजन उसमें आते हैं तो उसका कांस्टीटयूशन हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: यह तो ब्लाक समिति के एक्ट में लिखा है, वह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। कोई पर्टीकुलर बात बताओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्य: आप बोलने देंगे मैं तभी बताऊंगा। (शोर)

श्री अध्यक्ष: मैं इररैलेवैन्ट नहीं बोलने दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) जो आप बोल रहे हैं यह एक्ट में लिखा हुआ हैं आप रैपीटीशन कर रहे हैं।

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, रैपीटीशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आर्य साहब जो एक्ट में लिखा हुआ है वह रैपीटीशन नहीं है तो और कया है? आप कोई नयी बात बोलें तो ठीक है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, आप पात नहीं मेरे से क्यों गुस्से रहते हैं। आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। (शोर)

Mr. Speaker: No, please sit down.

श्री हीरा नन्द आर्य: मैं यह कहना चाहता थे स्पीकर साहब कि ..... (शोर)

श्री अध्यक्ष: अगर आप इस समय की बातें बोलने की कोशिश करेंगे तो मैं आप को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। आप बैठें। मास्टर शिव प्रसाद।

मास्टर शिव प्रसाद (अम्बाला): स्पीकर साहब, मैं इस बिल का विरोध इसलिये करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि यह जनता के अधिकारों पर छापा मारे जाने के लिये लाया गया है। जब कोई भी जगह खाली होती है, चाहे वहा पंचायत समिति में हो, असैम्बली में हो या लोक सभा में हो तो पब्लिक को अधिकार है कि वह अपना नुमाइंदा चुन कर भेजे। अभी जैसे सरदार लछमन सिंह ने बताया कि यदि कोई ब्लाक नया बनाया जाएगा तो उसमें खाली जगहों पर नौमीनेशन होगी। अभी मुख्यमंत्री जी ने बरवाला का नाम लिया और कहा कि 8 सीटें खाली हुई और उनकी जगह नौमीनेट कर दिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज अगर यह अधिकार सरकार के हाथ में आता है तो कल को जनता के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अब तो सरपंच पंचायत समिति में अपना मैम्बर

चुनकर भेजते हैं लेकिन बिल पास होने के बाद वे नहीं भेज सकेंगे। जैसे सरदार लछमन सिंह ने बताय कि एक ही बिरादरी के लोगों को नौमीनेट करके भेज दिया। अगर लोगों को अपने नुमाइंदे भेजने का अधिकार होगा तो हमें कोई आपति नहीं होगी। इसलिये मैं गवर्नमैंट से निवेदन करूंगा कि वह इस बिल को वापिस ले और लोगों के अधिकार लोगों के हाथ में ही रहने दे।

विकाए मंत्री (चौ. राजेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, सरदार लछमन सिंह, चौ. कुलबीर सिंह तथा अन्य कई सदस्यों ने कहा कि यह अमैंडमैंट अन–डैमोक्रेटिक है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसमें कोई नई बात नहीं है। आप एक्ट की सैक्शन 5 की सब–सैक्शन 3 देखें, इसमें पहले से ही नौमीनेशन का प्रोवीजन दे रखा हे। उसमें लिख है –

"(3) (i) It shall consist of Members as were representing the area immediately before re-delimitation and subsequently included in the re-delimited blocks; provided that if the number of such Members is less than that provided in clauses (a) and (c) of sub-section (1), the Government may nominate persons so as to complete the number in accordance with the said clauses....."

जब पंचायत समिति कांस्टीच्यूट होगी तो वैसे इसके टोटल मैम्बर 25 होते हैं लेकिन यह 24 की भी बन सकती है, 23 की भी बन सकती है बल्कि 19 मैम्बर तक की भी बन सकती है। इसके 16 तो प्राइमरी मैम्बर होते हैं, दो कोआप्रेटिव से आते हैं, एक मार्किट

कमेटी से आता है और 6 की कोऔपशन होती है। यानी चार हरिजनों में से और दो औरतों में से। अगर ये 6 के 6 इलैक्ट होकर आ जाते हैं या 6 से कम इलैक्ट होकर आ जाते हैं तो 25 में से उतना नम्बर कम हो जाएगा। यानी अगर ये सारे चुन कर आ जाते हैं तो कुछ नम्बर 19 रह जाएगा। अगर किसी पंचायत समिति का ब्लाक के रि–डिलिमिटेशन से पहले कांस्टीच्यूशन हो जाता है तो उस हालत में अमैंडमैंट के दिए गए प्रोसीजर को एडाप्ट करना पड़ेगा। यानी जैसे जैसे किसी ब्लाक के अन्दर कोई सीट खाली होगी उसको भरने के लिए गवर्नमैंट इस प्रोवीजन के तहत नौमीनेशन कर सकती है। यह सिर्फ वक्त बचाने के लिए किया गया है। बरवाला का ब्लाक बनाने के लिए सरकार लछमन सिंह जोकि उस समय मंत्री थे, ने खुद डी.एम. को एक नोट लिखा था। मैं उसे पढ़ कर सुना देता हूं –

"I would request the Development Minister to create a new block namely Barwala Block in my constituency with headquarter at Barwala. At present the villages which will from the part of the Barwala Block are in Raipur Rani Block."

ये 44 के 44 गांव रायपुर रानी के निकाले गए हैं जो इन्होंने मांग की थी, हमने वही किया है। (विघ्न) इन्होंने इस नोट में यह भी लिखा है कि लोग मुझे मिले हैं और मैं इस नोट के साथ उनके रैजोल्यूशन्ज भी लगा रहा हूं। इन्होंने आगे लिखा है –

"..... All these villages may be detached from the Raipur Rani Block....."

मास्टर शिव प्रशाद: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। हम नया ब्लाक बनाने के खिलाफ एतराज नहीं कर रहे हैं बल्कि जो पब्लिक के हक के ऊपर छापा मारने जा रहे हैं उसके बारे में बताएं।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब 1980 में बरवाला गये थे। मैंने वहां इनको कहा था कि और मिनिस्टर साहब को यह चिट्ठी लिखी थी। मैं तो कह रहा हूं कि यह इन्होंने बहुत अच्छी बात कर दी है लेकिन जो असली झगड़ा है वह तो नौमिनेशन का है।

चौ. राजेन्द्र सिंह: सरदार लछमन सिंह ने यह भी कहा कि मेरे हल्के से और रायपुर रानी से गांव निकाले जाएं। तो जो यह नया ब्लाक बरवाला बना है इसमें 44 के 44 गांव रायपुर रानी के हैं। फिर ये कहते हैं कि यह अमैंडमैंट अन–डैमोक्रेटिक है। अगर यह अमैंडमैंट अन–डैमोक्रेटिक है तो एक्ट की–सैक्शन 5 की सब सैक्शन 3 भी अन–डैमोक्रेटिक है। यह तो टाईम को सेव करने के लिये और पूरा साइकल चलाने से बचने के लिये कर रहे हैं वरना तो यह होगा कि पहले ब्लाक तोड़ो फिर नौमीनेशन करों हमने तो लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। यह अमैंडमैंट बिल्कुल ठीक है, इसलिये यह बिल पास किया जाए।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, जो विधेयक चर्चा के लिए प्रस्तुत है यह बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है। इसके लिए आर्डिनैन्स इशू किया गया .....

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, जो बातें मैम्बर पहले कह चुके हैं उनको दोबारा कहने का क्या फायदा है?

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, इन्होंने गवर्नर साहब को भी अन्धेरे में रख कर उनसे यह आर्डिनैन्स जारी करवा दिया। यह हायली अन–डैमोक्रेटिक है। इस गवर्नमैंट का फैशन यह हो गया है कि सारी पावर्ज इनके हाथ में हों। इनकी पार्टी में भी नौमीनेशन चलता है इनकी पार्टी का जब कोई प्रधान बन जाता है तो वह भी आगे दूसरे ओहदों पर नौमीनेट ही करता है। जब कभी चुनाव आते हैं लोक सभा के हों या असैम्बली के हों, अगर ये सरकारी मशीनरी के मिसयूज से या किसी जजबात का फायदा उठा कर जीतेंगे, फिर कहेंगे कि हम बहुत पापुलर हैं। स्पीकर साहब, मैं बड़ी सिम्पल सी बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने ब्लाक क्रिएट कर लिए उनकी कांस्टीच्यूएंसीज तय कर दी उसके मुताबिक चुनाव होने दें, ये नौमीनेशन क्यों करते हैं। नौमीनेशन का मतलब यह है कि आपका डैमोक्रेसी की असैन्स में विश्वास नहीं है। The people are soverign in democracy. जनता ही प्रभुसत्ता है। जनता को अपनी किस्मत का फैसला न करने देना इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। इन शब्दों के साथ मैं यह कहता हूं कि यह बिल पास नहीं होना चाहिए।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढ़डा): जनाब स्पीकर साहब, पंजाब पंचायत समिति (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1985 सदन में पेश किया गया है, इसमें में अपनी असहमति रिकार्ड करने के लिए खड़ी हुई हूं। यह अमैंडमैंट बिल्कुल अप्रजातान्त्रिक है। सफीदों मार्किट कमेटी के चुनाव तीन दफा टाले गए और उचाना में अभी चुनाव करवाए ही नहीं गए हैं। स्पीकर साहब, जहां पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष के ज्यादा आदमी हों, ये केवल वहीं पर चुनाव करवाएंगे। ऐसी कई जगहें हैं जहां पर अभी चुनाव नहीं करवाए गए हैं। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं हैं शायद रोहतक जिले में और कुरूक्षेत्र जिले में भी चुनाव नहीं करवाए गए हैं। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहती हूं कि और कहीं पर चाहे कुछ भी हो लेकिन पंचायत के अन्दर बैठकर चाहती हूं कि और कहीं पर चाहे कुछ भी हो लेकिन पंचायत के अन्दर बैठकर लोग झूठ नहीं बोलते इसलिए पंचायतों के लिए, पंचायती राज के लिए यह एक्ट लाया गया था और पंचायतों को रैगुलराइज किया गया था क्योंकि पंचायत तो बिना रिकगनाइज किए भी गांवों में होती थीं। लेकिन अब धीरे धीरे इन्होंने जब भी पंचायत एक्ट में अमैंडमैंट करने की कोशिश की है उसी वक्त गलत काम किए हैं। सरंपच की गर्दन डी.सी. के हाथ में दे दी, एस.डी.एम. के हाथ में दे दी, जब वे चाहें सरपंच को हटा सकते हैं। मैं कहती हूं कि सरपंच बेचारे चुनाव जीत कर आते हैं, उनके खिलाफ पैटीशन की जा सकती है, उनको इस तरह से नहीं हटाया जाना चाहिए। एक बहुत अच्छा पंचायत एक्ट बना था उसको अमैंड करते करते बिल्कुल खराब करके रख दिया।

अब नौमीनेशन का सिलसिला और कर दिया। स्पीकर साहब, इससे ज्यादा अप्रजातान्त्रिक बात और कया हो सकती है। कोई तरीका होना चाहिए, ये किस तरह से नौमिनेशन करेंगे, हम तो कोऔपशन के भी बिलकुल खिलाफ थे। जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वे भी चुनाव जीत कर आएं और जो महिलाएं हैं वे भी चुनाव जीत कर आएं। लेकिन इन्होंने गांव की पंचायत को अपनी मुट्ठी में रखने के लिये यह सब काम किए हैं। स्पीकर साहब, जो बी.डी. ओज. हैं उनके पास देहात की डिवैल्पमैंट के काम हुआ करते थे और जो ग्राम सचिव है वह गांव की सफाई और दूसरी बातों की तरफ ध्यान देता था लेकिन आज कुछ भी नहीं किया जा रहा है। गांव कूड़े के ढेर हो गए हैं। कभी गांव के सरपंच को सस्पैन्ड कर दिया जाता है कभी पंच को सस्पैन्ड कर दिया जाता है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से धीरे धीरे नगरपालिका समितियों के चुनाव बन्द कर दिए इसी तरह से पंचायतों के चुनाव भी बन्द कर दिए जाएंगे। पहले वहां पर भी नौमिनेशन हुई थी। अब यहां पर नौमिनेशन होते होते चुनाव बन्द कर देंगे। मैं इस बिल के बिल्कुल खिलाफ हूं, यह बिल्कुल अनडैमोक्रेटिक है और यह पंचायतों का नाश करने के लिये नौमिनेशन किया गया है। इसको पास न किया जाएं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है कि –

यह सदन पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) आर्डिनैन्स 1984 (हरियाणा आर्डिनैन्स न. 8 आफ 1984) को डिसएप्रूव करता है।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

Mr. Speaker: Question is –

That the Punjab Panchayat Samities (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनेक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनेक्टिंग फार्मूला का अनेक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मंत्री जी मोशन मूव करेंगे कि बिल पास किसा जाए।

Development Minister (Ch. Rajinder Singh): Sir, I beg to move -

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जब डीलिमिटेशन करते हैं, चाहे आप राणियों ब्लौक को ले लें चाहे कालका ब्लौक को ले लें, यदि दोनों ब्लौक्स के 25–25 मैम्बर आ जाएं उसके बाद जब आप डीलिमिटेशन करेंगे, उसमें कुछ गांव दूसरी तरफ चले जाएंगे तो उन गांवों के साथ वे मैम्बर भी दूसरे ब्लाक में चले जाएंगे। तो उस ब्लाक के मैम्बर 25 की बजाय 26 या 27 हो जाएंगे। जिस तरह से आप नौमिनेशन कर रहे हैं उसके मुताबिक एक समिति के 25 से ज्यादा मैम्बर बन ही नहीं सकते तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई मैम्बर पंचायत का भी मैम्बर हो, समिति का भी मैम्बर हो, सोसाइटी का भी मैम्बर हो, उसको अगर सस्पैन्ड कर दिया जाता है तो सस्पैन्ड होने के बाद उस मैम्बर को राइट आफ वोट का अधिकार रहता है या नहीं रहना?

चौ. राजेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरे ख्याल में आर्य साहब ने पूरी बात समझी नहीं। यह जो अमैंडमैंट लाई गई है यह चुनाव कम्पलीट होने के बाद की नहीं है। चुनाव होने के बाद इसे कहते हैं कांस्टीच्यूशन आफ दि समिति। कांस्टीच्यूशन आफ दी समिति का मतलब यह होता है जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 16 तो प्राइमरी मैम्बर होंगे। दो मैम्बर कोआप्रेटिव से होंगे और एक मैम्बर मार्किट कमेटी से होगा इस तरह से 19 मैम्बर होंगे और 6 मैम्बर कोआप्शन से आएंगे। अगर 19 मैम्बर्ज में पहले ही कोई हरिजन या महिला नहीं आए तो चार हरिजन और दो महिलाएं कोआप्शन से आएंगे। यदि पहले ही 19 मैम्बर्ज में एक दो या तीन हरिजन या कोई महिला आ गई तो उसके मुताबिक वे उतने ही कम होते चले जाएंगे। यह अमैंडमैंट इलैक्शन के दौरान की है, डयूरिंग दि प्रोसैस 25 के 25 मैम्बर्ज की कांस्टीच्यूशन पूरी नहीं हो गई बल्कि 19 मैम्बर्ज की है। अभी 25 मैम्बर तो हुए ही नहीं हैं, हुए ही सिर्फ 16–17–18 इसलिये 25 मैम्बर का सवाल ही पैदा नहीं होता। सब–सैक्शन 3 के तहत नौमिनेशन से भी पूरे नहीं होते।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(vii) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पेन्शन आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंड बिल, 1985

श्री अध्यक्ष: अब मुख्यमंत्री जी दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलाउंसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल पेश करेंगे।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा (सदस्य भता तथा पैन्शन) संशोधन विधेयक, 1985 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य भता तथा पैन्शन) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

स्पीकर साहब, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे कूपन की जो 16 हजार किलोमीटर की लिमिट पहले थी उसको 20 हजार किलोमीअर करने का विचार है। मैं इस सम्बन्ध में सम्बन्धित क्लाज पर अमैंडमैंट पेश करूंगा।

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री भागी राम (एलनाबाद, अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, 6 तारीख से यह सैंशन चल रहा है। जब इस सैंशन को बुलाना गया था तो लौंग सोच रहें थे कि बजट में मजदूरों, किसानों और हरिजनों को कोई राहत मिलेगी। किसान भाई भी सोच रहे थे कि इस साल बारिश न होने के कारण सरकार उन्हें कुछ मुआवजा देगी। (विध्न) स्पीकर साहब, आज सैशन खत्म हो जायेगा। कल या परसों हम अपने अपने क्षेत्रों में चले जाएंगे। जब लोग हमारे से पूछेंगे कि बजट में हमारे लिय क्या सुविधा दी गई हैं, उस समय हम क्या उनकी यही जवाब देंगे कि इस बजट में चूडियों का टैक्स 12 परसैंट से घटाकर 4 परसैन्ट किया गया है और दूसरे हम अपना यानि एम.एल.एज की पैन्शन और कांस्टीच्यूंसी अलांउस बढ़वा कर आए हैं। अगर किसानों को या मजदूरों को कोई राहत इस बजट में नहीं दी जाती तो मैं इस बिल का विरोध करता हूं और साथ ही साथ मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसे पास न किया जाये। स्पीकर साहब मैंने एक क्वैश्चन * * * *

श्री अध्यक्ष: चने की फसल के बारे में जो कुछ कहा गया है वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, जो एक्स एम.एल.एज. हैं उनकी पैन्शन भले ही बढ़ा दी जाये लेकिन अब जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री लछमन सिंह (कालका): स्पीकर साहब, इस किस्म की बात नहीं कहनी चाहिए जो जजबात की बात हो। अगर सच मायनों में पूछा जाये तो आज के महंगाई के जमाने में 500 रूपये या 750 रूपयों से भी कुछ बनने वाला नहीं है। अब इन्होंने रेलवे कूपन्ज की लिमिट 20 हजार किलोमीटर तक की मानी है। अगर इन 20 हजार किलोमीटर को अमांउअ में गिनेंगे तो सिर्फ 5 हजार रूपये ही बनते हैं। यानि एक साल में एक मैम्बर के हिस्से में 5 हजार रूपये और 90 एम.एल.एज. को पांच हजार से गुना करने पर साढ़े चार लाख रूप्ये ही बनते हैं। यदि दो तीन मिनिस्टरों के टैलीफोन खर्च को मिलाएं ता वह राशि भी साढ़े चार लाख रूपये हो जाती है। अब विधायक को हवाई जहाज से आने जाने की छूट होगी और दूसरे एयर कोचिज में एम.एल.एज. साहेबान आ जा सकेंगे। स्पीकर साहब, दूसरी स्टेट यू.पी. आदि में एम.एल.एज. को उतने कूपन दिए जाते हैं जितने वह इस्तेमाल करना चाहे। यहां पर भी बहुत सारे एम.एल.एज. ऐसे हैं जो कहीं नहीं जाते। उनके कूपन बच जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने कूपनों की एम.एल.एज. को जरूरत हो वह उनको दे दिए जाएं और जो इस्तेमाल न करना चाहे वहन करे। अब किराया भी बहुत बढ़ गया है। इसलिये रेलवे कूपन की लिमिट कम से कम 25—30 किलोमीटर तक होनी चाहिए। (विघ्न) जो मैम्बर यहां पर कमेटी की मींटिग वगैरह अटैन्ड करने के लिये आते हैं वे एक दिन पहले का आने का नोट देते हैं जबकि आते उसी दिन हैं जिस दिन मीटिंग होती है। वे एक दिन का टी.ए. लेने की बजाए तीन तीन

का टी.ए. लेते हैं। हम लोगों में भी तो कुछ करैक्टर होना चाहिए। हम ऐसा नहीं करते। सभी एम.एल.एज. तीन दिन का टी. ए. लेते हैं जबकि मीटिंग एक दिन के लिए ही होती है। यदि वह मैम्ब्र ईमानदार हैं तो उसे उसी दिन का टी.ए. लेना चाहिए जिस दिन वह मीटिंग अटैण्ड करता है। इसलिये मेरी फिर प्रार्थना है कि रेलवे कूपन की लिमिट को यदि 20 हजार किलोमीटर से बढ़ाकर 25–30 हजार किलोमीटर कर दिया जाता है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जितने कूपन इस्तेमाल हो सकेंगे वह हो जाएंगे नहीं जो बचे रहेंगे।

श्री मनफूल सिंह (असन्ध–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, रेलवे कूपन की बात और एक्स एम.एल.एज. की पैन्शन को बढ़ाने की जो अमैंडमैंट आई है, उस पर मैं बोलना चाहता हूं। एम.एल.एज. की पैन्शन बढ़ाने के बारे में मेरा सुझाव यह है कि जो एक्स एम.एल.एज. हैं उनकी तो पैन्शन भले ही बढ़ा दी जाये लेकिन जो अब एम.एल.एज. बैठे हैं जब ये एक्स हों जाएं तो इनकी किसी को पैन्शन नहीं मिलनी चाहिए, इनकी पैन्शन बन्द होनी चाहिए। इनकी पैन्शन बन्द होने से जो पैसा बचे वह किसानों को मुआवजे की शक्ल में दिया जाना चाहिए। पंजाब में भी किसानों को अब सरकार ने बोनस दिया है। स्पीकर साहब, मेरा फिर अनुरोध है कि अब जितने भी एम.एल.एज. हैं जब ये एक्स हो जाएं तो उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा भविश्य में नहीं दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्षः इन एम.एल.एज. में से कितने एक्स एम.एल. एज. हो जाएंगे।

श्री मनफूल सिंहः स्पीकर साहब, ये तो सारे ही एक्स हो जाएंगे। (हंसी) स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने चुनाव होने के बाद पार्टी छोड़ी है और जो मैम्बर डिफैक्शन करके गए हैं उन सब की पैन्शन बन्द होनी चाहिए। उन मैम्बरों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो यह चाहूंगा कि रेलवे कूपन की जो सीमा अब 16 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने जा रहे हैं उनको 20 हजार किलोमीटर से बढ़ाकर कम से कम 40 हजार किलोमीटर कर दी जानी चाहिए। आप जानते हैं कि भारतवर्श का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। यदि मैम्बर साहेबान सारे भारतवर्श को देखना चाहें तो ये 20 हजार किलोमीटर के कूपन बहुत कम पड़ते हैं। (विघ्न) आप तो फारेन में भी चले जाते हैं। इसलिए मेरा फिर अनुरोध है कि यह लिमिट 20 हजार से बढ़ा कर 40 हजार किलोमीटर तक कर दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि जितने भी मिनिस्टर हैं उन सबका ब्लड प्रैशर चैक होना चाहिए। (हंसी) यहां पर जो हमारे मिनिस्टर हैं उनमें से कई एक का ब्लड प्रैशन बहुत ज्यादा है जिसके कारण वे हमें बोलने भी नहीं देते। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि प्रत्येक मिनिस्टर का ब्लड प्रैशन चैक करने के लिए कोई रूल्ज वगैरा बना दिए जाएं। (हंसी) स्पीकर साहब, अब तक हमारे जितने भी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं वे सब के सब अपनी

सेहत बनाने में लग जाते हैं। इतना कहते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

चौ. सुरेन्द्र सिंह (तोशाम): स्पीकर साहब, मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो रेलवे कूपन मैम्बरों को दिए जाते हैं वे पैसे के कूपन दिए जाएं। इस बारे में पिछले सैशन में भी हाउस में आशवासन दिया गया था कि पैसे के दिए जाएंगे। जो माईलेज कूपन अब मैम्बरों को दिए जाते हैं वे एक तो वैसे ही कम हैं और दूसरे जब टिकट खरीदते हैं तो उन पर सरचार्ज वगैरा लग कर और भी कम हो जाते हैं।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो रेलवे कूपन मैम्बरों को दिए जाते हैं वे पैसे के कूपन दिए जाएं। इस बारे में पिछले सैशन में भी हाउस में आश्वासन दिया गया था कि पैसे के दिए जाएंगे। जो माईलेज कूपन अब मैम्बरों को दिए जाते हैं वे एक तो वैसे ही कम हैं और दूसरे जब टिकट खरीदते हैं तो उन पर सरचार्ज वगैरा लग कर और भी कम हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: इसमें एक बात रह गई है कि ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे पैन्शन के रूप में एक एम.एल.ए. को मिला करेंगे।

चौ. भजन लाल: चाहे कोई एक बार मैम्बर रहे या एक से अधिक बार मैम्बर रहे, उन सबको 500 रूपये मिलेंगे।

श्री निहाल सिंह: जो मैम्बर अपनी कार से बाई रोड आएगा उसका इसमें जिक्र नहीं है।

चौ. कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या लोन की सीमा भी कुछ और बढ़ाई जा रही है या नहीं। अब मकान के लिए एक मैम्बर एक लाख रूपये तक का लोन ले सकता है और कार के लिए साठ हजार रूपये लोन ले सकता है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि कार के लोन की भी सीमा साठ हजार से बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दी जानी चाहिए।

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, जहां तक राव निहाल सिंह जी ने कार के जरिए आने का सवाल किया है उसके लिए तो पहले ही रूल्ज में प्रोवीजन है। इसके लिए एक्ट में अमैंडमैंट लाने की जरूरत नहीं है। जो मैम्बर साहेबारन कार में आते हैं उनको एक रूपया पर किलोमीटर के हिबाब से पहले ही दिया जा रहा है।

श्री लछमन सिंह: एक रूपया तो पैट्रोल का खर्चा ही बैठता है।

चौ. भजन लाल: इसमें कोई प्रोफिट थोड़े ही कमाया होता है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, एक रूपया तो आजकल कुछ भी नहीं है। पैट्रोल का खर्चा है, का की डैप्रिसिएशन है और दूसरे खर्चे हैं जिनकी वजह से एक रूपया बहुत कम है।

चौ. भजन लाल: अगर अब माननीय सदस्यों की यही सलाह है तो एक रूपये की बजाये 1.25 रूपये कर देते हैं। कार द्वारा सफर करने पर माईलेज 1.25 रूपये हो जाएगा। इसके अलावा मैंने रेलवे कूपनों के बारे में सैक्रेटरी साहब से पूछा था। मैम्बर्ज की डिफिकल्टी को ध्यान में रखते हुए, पहले जो रेवले कूपन किलामीटर्ज की शक्ल में दिये जाते थे, अब हम उन कूपन्ज को पैसों की शक्ल में करने जा रहे हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, पहले हमने महसूस किया था कि रेल द्वारा सफर करने की मैक्सिमम लिमिट 16 हजा किलोमीटर काफी है, लेकिन अब महसूस कर रहे हैं कि 16 हजार की लिमिट कुछ भी नहीं है थोड़ी है। अब हमने इस लिमिट को 20 हजार किलोमदअर तक बढ़ाने का फैसला किया था। सरदार लछमन सिंह जी की बात ठीक है कि किराया बहुत बढ़ गया है, इसलिए 25 हजार से कम लिमिट नहीं होनी चाहिए। इनका सुझाव ठीक है। इनके सुझाव को मानते हुए हम 16 हजार से बढ़ाकर 25 हजार किलोमीटर कर देते हैं ताकि आरनेबल मैम्बर्ज को कोई दिक्कत न हो। इस संबंध में रैलैवैंट क्लाज पर मैं अमैंडमैंट मूव करूंगा। अध्यक्ष महोदय, एक सुजैशन श्री भागीराम ने दी। ये चौ. वीरेन्द्र सिंह की पार्टी के हैं, श्रीमती चन्द्रावती की पार्टी को तो मैं नहीं कहूंगां (व्यवधान) चलो छोड़िए, मे। इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता कि आपको पार्टी का है या नहीं। इनकी सुजैशन पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मैम्बर पैन्शन और अलाऊंस न लेना चाहे, न ले। इसमें एक कालम बना देना चाहिए जिसमें मैम्बर की सहमति या असहमति के

रिमार्कस हों कि वह लेना चाहता है या नहीं। जो मैम्बर नहीं लेना चाहता वह बेशक न ले, लेकिन यह कालम जरूर होना चाहिए ताकि कोई मैम्बर यह न कह सके कि मैंने मजबूरी में लिया है, मैं लेना नहीं चाहता था। सभी पार्टियों के मैम्बर मेरे पास आये और कहने लगे कि पैन्शन और अलाऊंस को बढ़ाओ। हमने कर दिया लेकिन यहां आकर हाउस में कहते हें कि यह नहीं बढ़ना चाहिए। यहां पर ऐसा क्यों कहते हैं, शायद इसीलिए कहते हैं कि उनका नाम प्रैस में आ जाए। अगर कोई हरिजन मैम्बर इतना ही त्यागी है तो उसको नहीं लेना चाहिए, लेकिन यह कालम जरूर होना चाहिए ताकि जो मैम्बर लेना चाहता है वह उस कालम में लिखे कि लेना चाहता हूं और जो नहीं लेना चाहता वह भी लिखे कि नहीं लेना चाहता। अध्यक्ष महोदय, पहले कांस्टीच्यूएंसी अलाऊंस 500 रूपये था, अब हमने इसको बढ़ाकर 750 रूपये कर दिया है क्योंकि इसमें सारे मैम्बर्ज की सुविधा का सवाल है और प्रदेश के लोगों की सेवा करने का सवाल है। माननीय सदस्य अपने अपने इलाके में लोगों की सेवा कर सकें, इसीलिए इस बिल के द्वारा कांस्टीच्यूएंसी अलाउंस में इजाफा किया है। मैं हाउस से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मपति से पास किया जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने जो बिल पेश किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। स्पीकर साहब, मैं हिपोक्रेसी में यकीन नहीं रखता। अगर मैम्बर साहिबान को यानी पब्लिक–मैन की लाईफ को पाक रखना है तो जो कुछ

इस वक्त लि रहा है, वह बहुत थोड़ा है, इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। आज के भावों को देखते हुए एक पब्लिक मैन तभी ईमानदार रह सकता है जब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। जितनी देर वह पोलिटिकस में रहेगा, उतनी देर तक वह पोलिटिक्स के सिवाये कोई दूसरा प्रोफैशन नहीं कर सकता। मैम्बर दूसरे कामों की तरफ तवज्जों ही नहीं दे सकता if he is a dedicated person वह अपने इलाके के लोगौं के लिए, अपनी पार्टी के लिए और अपनी आर्गेनाइजेशन के लिए ही काम कर सकता है, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। स्पीकर साहब, जैसा कि आपको पता है, इस सदन के सब मैम्बर, एक–आध को छोड़कर, आम घरों से ताल्लुक रखने वाले आदमी हैं और साधारण किसान घरों में पैदा हुए हैं। हमारे पास लम्बे चौड़े साधन नहीं हैं। इसी सिलसिले में एक बात पैन्शन के बारे में कहना चाहूंगा। जैसा कि दहिया साहब ने बताया कि अगर कोई एक बार पब्लिक सर्विस कमीशन का मैम्बर बन जाए और छः साल मैम्बर रहे तो छः साल के बाद वह एक हजार रूपये की पैन्शन के लिए एनटाइटल्ड है। पब्लिक सर्विस कमीशन से रिटायर होने के बाद वह जिन्दगी भर 1000 रूपया पैन्शन लेता है। वह पढ़ा लिखा आदमी होता है और उसका एप्टीच्यूट ही ऐसा होता है जिसकी वजह से उसको पब्लिक लाईफ में आने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई आदमी गलती से एक बार एम.एल.ए. बन जाए, उसका पीदा पब्लिक से नहीं छूट सकता, उसको थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ेगा, इसलिए पैन्शन की यह सुविधा बहुत कम है। जो मैम्बर एक दफा चुनकर आये,

उसी पैन्शन 500 रूपये कर दें, लेकिन जो दूसरी बार चुनकर आ जाए, उसको 600 रूपये कर दें, और अगर कोई तीसरी दफा आ जाए तो उसको 700 रूपये कर दें। 700 रूपये से ज्यादा न ले जाएं क्योंकि शायद स्टेट के रिसोर्सिज भी इससे ज्यादा इजाजत न दें।

विकास मंत्री (चौ. राजेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, जब मैं इलैक्ट होकर पहली दफा आया था तो 10 महीने में ही असैम्बली टूट गई थी। जब 1968 में दोबारा चुनकर आया तो पौने चार साल के बाद असैम्बली टूट गई। दोनों टर्म्ज में भी मेरे 5 साल पूरे नहीं हुए लेकिन उस बिल के मुताबिक जब तक पांच साल पूरे न हों तो 300 रूपये पैन्शन नहीं मिल सकती। अब जो अमैंडमैंट की जा रही है, उसके मुताबिक कोई भी मैम्बर चाहे एक बार चुन कर आये, चाहे दो दफा चुनकर आये और चाहे 6 महीने ही मैम्बर रहे, उसको 500 रूपये पैन्शन दी जाएगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मैं इतनी बारीकी में नहीं गया। आपका ख्याल ठीक है। जब पब्लिक सर्विस कमीशन का मैम्बर कमीशन में 6 साल सर्विस करने के बाद एक हजार रूपये की पैन्शन पाने के लिए एनटाईटल्ड हो जाता है तो एक एम.एल.ए. तीन टर्म्ज पूरी होने के बाद एक हजार न सही, कम से कम 700 रूपये का पैन्शन पाने के लिए एन्टाईटल हो जाए तो भी अच्छा है। इसके अलावा एक्स एम.एल.ए. की पैन्शन बढ़ाने के लिए भी मुख्यमंत्री जी ने मान

लिया है। एक्स एम.एल.ए. के बारे में एक रूल है, उसमें अमैंडमैंट कर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए।

श्री कंवल सिंह (धिराया): अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नमैंट से जानना चाहूंगा कि यह बिल किस डेट में लागू होगा। मेरे विचार में 1 अप्रैल, 1985 से लागू हो जाना चाहिए। इसके अलावा, जैसे चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि जो आदमी 5 साल एम.एल.ए. रह जाए उसको 300 रूपये रूपये, दूसरी बार इलैक्ट होकर आ जाए तो 500 रूपये पैन्शन रखी जाए और मैक्सिमम 700 या 800 रूपये पैन्शन होनी चाहिए। बस, मैं यही कहना चाहता हूं।

डा. ओम प्रकाश शर्मा (जगाधरी): स्पीकर साहब, जब एम.एल.एज. के लिए पैन्शन देने का कानून बना था, उस वक्त यही पास हुआ था कि जो मैम्बर 5 साल पूरे कर ले, वह पैन्शन का हकदार हो जाता है। इसके बाद चौ. देवी लाल बरसरे इकतदार आ गए। उन्होंने अमैंडमैंट कर दी कि जो एम.एल.ए. एक बार ओथ ले ले और ओथ लेने के चार घंटे के बाद अगर असैम्बली भंग हो जाए तो वह मैम्बर 300 रूपये महीना पैन्शन लेने के लिए एन्आईटल्ड हो जाएगा और हर एक साल के बाद 50 रूपये और मिलेंगे और यह 50 रूपये तक तक मिलते जाएंगे जब तक पैन्शन की रकम 500 रूपये तक न पहुंच जाए। इसके बारे में मेरा एक सुझाव है कि जो मैम्बर पांच साल पूरे कर ले, उसको पैन्शन 500 रूपये, जो दोबारा इलैक्ट होकर छटे साल में आ जाए

उसको और 50 रूपये सालाना दे दिया जाए और इसकी मैक्सिमम लिमिट 700 रूपये हो। इस चीज को हाउस से पास करा लिया जाए, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि एक मैम्बर अगर आज ओथ ले ले और दूसरे दिन असैम्बली भंग हो जाए तो वह पैन्शन लेने का हकदार हा जाता है। यह बात मुझे जंचती नहीं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, डा. ओम प्रकाश जी ने चौ. देवी लाल जी के जमाने का हवाला दिया। आप भी उस समय कैबिनेट के मैम्बर थे और आप जानते है कि यह बिल थोरोली डिस्कस हुआ था। यह एक दिन ओथ लेने वाली बात इसलिए की गई थी ताकि किसी को कोई नुक्सान न हो। कई दफा क्या होता है कि लोग तो एम.एल.ए. को पांच साल के लिए चुना कर भेज देते हैं लेकिन बिना उसकी गलती के हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि असैम्बली भंग हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हय बैनिफिट दिया गया था।

डा. ओम प्रकाश शर्मा: * * * *

श्री अध्यक्ष: यह कुछ नहीं लिखा जाएगा।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। क्या कूपन्ज बाई एयर भी इस्तेमाल हो सकते है?

श्री अध्यक्ष: यह तो पहली ही कह दिया गया है कि यह हो सकेंगे।

सेठ राम दास धमीजा (अम्बाला छावनी): स्पीकर साहब, मैं भी एब बात पूछना चाहता हूं मान लो कोई मैम्बर अढ़ाई साल के बाद कोर्ट से अन–सीट होता है और उसके बाद उसी कांस्टीच्यूऐंसी से कोई और एम.एल.ए. चुनकर आता है। ऐसे हालात में किसको पैन्शन मिलेगी?

राव इन्द्रजीत सिंह (जाटूसाना): स्पीकर साहब, मेरा एक सुझाव है। आम तौर पर पैन्शन, चाहे कोई गवर्नमैंट सर्वेन्ट है या फौजी है, उसके मारने के बाद उसकी बीवी को मिलती है, चाहे वह पूरी मिले या आधी मिले। हमारे यहां भी काफी लोग बुजुर्ग हैं। पता नहीं कल को क्या हो? इसलिए इस बिल में बीवी को पैन्शन देने का प्रोवीजन भी होना चाहिए। (हंसी)

श्री ओम प्रकाश महाजन: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफर आर्डर है। मैं एक बात की क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि अभी कुछ एम.एल.एज. बात कर रहे थे कि यदि एम.एल.ए. आर्डिनरी बस में सफर करता है तो दो और आदमी उसके साथ सफर कर सकते हैं, एयर कंडीशन्ड में वह अकेला सफर कर सकता है और वीडियों कोच में उसके साथ एक आदमी जा सकता है। मुख्यमंत्री जी कृपया यह बात स्पश्ट कर दें।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, दो तीन मुद्दे माननीय सदस्यों ने यहां उठाए हैं। एक तो वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की पैन्शन तो एक हजार

रूपये होती है लेकिन एम.एल.ए. की पैन्शन पांच सौ रूपये होती है जो कि थोड़ी है। अध्यक्ष महोदय, कमीशन का जो चेयरमैन बनता है वह सारी जिन्दगी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। यह एक कायदा है। इसीलिए उसको एक हजार रूपया पैन्शन मिलती है। जहां तक मैम्बर्ज की पैन्शन का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, हम पब्लिक के चुने हुए नुमायंदे हैं। सब लोग हमारी तरफ देखते हैं। हम ही देने वाले हैं और यदि हम ही ज्यादा लेने वाले हों तो मुनासिब बात नहीं होगी। हमें रीजनेबल बात करनी चाहिए। 100–200 रूपये का कोई फर्क नहीं पड़ता। 500 रूपये सोच समझ कर ही रखे गए हैं। वैसे तो इस बिल का हमारी साईड में बैठे हुए लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है, इनकी तरफ तो शायद एक दो को ही फायदा होगा, जयादा को नहीं। (विघ्न) पैन्शन का फायदा ज्यादा इस साईड को होगा। खैर, मैं इस बात में न जाते हुए कि फायदा किसको हो या न हो, एक ही बात कहना चाहता हूं कि पब्लिक के नुमायंदे हैं। हमें इस तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहिए क्योंकि क्रिटिसिज्म बड़ा होगा। इसलिए हमने जो फैसला किया है उसी पर हमें बने रहना चाहिए यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। (विघ्न) जहां तक इस बात संबंध है कि एक आदमी अढ़ाई साल एम.एल.ए. रहा और अढ़ाई साल दूसरा आदमी एम.एल.ए. रहा, उनमें से किसको पैन्शन मिलेगी, मेरा निवेदन यह है कि चाहे कोई पांच दिन भी एम.एल.ए. रहेगा या एक दिन भी एम.एल.ए. रहेगा, जिसने भी एम.एल.ए. की ओथ ले ली, उसे पांच सौ

रूपये मिलेंगे। (विघ्न) कूपन्ज हवाई जहाज में भी इस्तेमाल हो सकेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अढ़ाई साल के बाद जिसको कोर्ट ने डिसक्वालिफाई कर दिया हो वह पैन्शन का ऐनटाइटल्ड नहीं होना चाहिए।

चौ. भजन लाल: वह तो कायदे के मुताबिक सब कुछ होगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय हम कोशिश करेंगे कि यह बिल पहली अप्रैल से लागू हो जाए।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढ़ड़ा): स्पीकर साहब, अभी मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक के क्रिटिसिज्म की बात कही। इन्होंने यह भी कहा कि हम ही देने वाले हैं और यदि हम ही लेने वाले हो जाएं तो ठीक बात नहीं होगी। इनकी यह बात तो ठीक है लेकिन मैं उन्हें यह भी कहना चाहती हूं कि यह जो बसों का किराया हमने बढ़ाया है इस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म होगा कि हमने अपने पैसे तो बढ़ा लिए लेकिन बसों के किराये को कम नहीं किया। उसे भी हमें आधा कर देना चाहिए। (विघ्न)

एक सदस्य: फार्मर एम.एल.ए. के लिए भी बस में आना जाना फी होना चाहिए।

चौ. भजन लाल: उसके बारे में सोच रहे हैं।

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष: इस क्लाज पर मुझे मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक अमैंडमैंट का नोटिस मिला है। वे उसे मूव कर दें।

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal): I beg to move –

That in clause 3, for the words "sixteen thousand kilometers", wherever occurring, the words "twenty five thousand kilometers", be substituted.

Mr. Speaker: Motion moved –

That in clause 3, for the words “sixteen thousand kilometers”, wherever occurring, the words “twenty five thousand kilometers”, be substituted.

Mr. Speaker: Question is –

That in clause 3, for the words “sixteen thousand kilometers”, wherever occurring, the words “twenty five thousand kilometers”, be substituted.

The motion was carried.

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 3, एज अमैंडिड, बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनेक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि अनेक्टिंग फार्मूला बिल का अनेक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:–

कि बिल एज अमैंडिड पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि बिल एज अमैंडिड पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है –

कि बिल एज अमैंडिड पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव

वर्श 1981–82 के लिये हरियाणा कृशि विश्वविद्यालय, हिसार की वार्शिक रिपोर्ट

Mr. Speaker: I have received a notice of motion under Rule 84 from S/Shri Bhim Singh Dahiya, Ram Bilas Sharma, Mangal Sein, Fateh Chand Vij, Devi Dass, Shiv Parshad, Hira Nand Arya, Balvir Singh Grewal and Om Parkash (Beri), M.L.As. to discuss the annual Report of the Haryana Agricultural University, Hissar, for the year 1981-82, which was laid on the Table of the House on the 18th March 1985. Dr. Bhim singh Dahiya, may please move his motion.

Dr. Bhim Singh Dahiya: Sir, I beg to move –

That the Annual Report of the Haryana Agricultural University, Hissar, for the year 1981-82 which was laid on the Table of the House on the 18th March, 1985, be discussed.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Annual Report of the Haryana Agricultural University, Hissar, for the year 1981-82 which was laid on the Table of the House on the 18th March, 1985, be discussed.

16.00 बजे

डा. भीम सिंह दहिया (रोहट): स्पीकर साहब, सदन के पटल पर जो हरियाणा ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की 1981–82 की रिपोर्ट रखी गई है, उसके बारे में मैं दो चार बातें सदन के सामने रखना चाहूंगा। स्पीकर साहब, यूनिवर्सिटी का काम काज चलाने के लिए बोर्ड आफ मैंनेजमैंट होता है। उसमें 9 मैम्बर्ज हैं। 9 मैम्बर्ज में से तीन तो आई.ए.एस. हैं, दो या तीन एम.एल.एज. हैं और बाकी दूसरे लोग हैं। इन 9 मैम्बर्ज में एक भी ऐग्रीकल्चरल साइंटिस्ट नहीं है। इसमें न तो एच.ए.यू. का कोई साइंटिस्ट है और न ही किसी बाहर की यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट है। कोई स्पैशलिस्ट इस बोर्ड में नहीं है। न वहां के टीचर्ज का कोई नुमायंदा है और न ही किसी और कैपेसिटी में कोई है। स्पीकर साहब, ऐमिनैंट साइंटिस्टस इस बोर्ड में आने चाहिएं। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह तो इसकी कम्पोजीशन को बदल दिया जाए या इसकी स्ट्रैंग्थ ऐक्सटैंड करके 14 या 15 कर दी जाए, ताकि वहां के जो टीचर्ज हैं, साइंटिस्टस हैं उनको नुमांयदगी मिल जाए और

साथ ही एक, दो या तीन मैम्बर बाहर की यूनिवर्सिटीज से भी लिए जा सकें। ऐसा करके से यूनिवर्सिटी का काम ठीक ढंग से चल सकेगा और किन चीजों को अहमियत देनी चाहिए वह दी जा सकेगी। दूसरे इसी यूनिवर्सिटी में स्पोर्टस कालेज भी चल रहा है। अगर आन सन् 1981–82 की इस रिपोर्ट में नजर डालें तो स्पोर्टस कालेज का कोई भी ऐसा इवेन्ट नहीं है कि वह यूनिवर्सिटी लैवल पर या हरियाणा के लैवल पर प्रथम नम्बर पर रहा हो और उसके बारे में फख्र कर सकें। स्पोर्टस कालेज तो इसीलिए अलग बनाया गया था कि यहां से अच्छे स्पोर्टसमैन निकलें, वे नेशनल और इन्टर–नेशनल लैवल पर एक्सीलेन्ट एवार्ड प्रान्त करें। इस बारे में सोच–विचार करने की जरूरत है क्योंकि स्पोर्टस स्कूल राई में है और कालेज हिसार में है। दोनों अलग अलग जगहों पर हैं और तीसरी जगह पर डिपार्टमैंट को कर दिया। मेरा इस बारे में एक सुझाव है और मैंने यह सुझाव एप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए भी दिया था कि राई स्कूल का कैम्पस एक विश्वविद्यालय के बराबर है। अगर इस कालेज को भी वहीं पर इक्ट्ठा कर दिया जाये तो अच्छा रहेगा। राई के अन्दर हरियाणा इन्स्टीच्यूशन आफ स्पोर्टस खोल दिया जाये। उस कैम्पस का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। उस स्कूल और कालेज को एक जगह कर दिया जाये तो हमारे प्रदेश का नाम भी हो सकता है।

तीसरी बात, हम इसके फाइनैन्स पर नजर डालें। यहां पर एक साल की स्टेटमैंट पेज 230 पर दे रखी है – जिसमें

एस्टेबलिशमैंट, कन्सट्रक्शन एन्ड बिल्डिंग मैंटीनैंस वगैरह के लिए 86 लाख 12 हजार रूपया रखा है। कन्सट्रक्शन के लिए 10–12 लाख रूप्या रखा है लेकिन जो स्टाफ कन्सट्रक्शन और मैंटीनैंस के लिए रखा है उस पर 86 लाख रूपये का खर्चा है। यह बात ठीक है कि जब यह यूनिवर्सिटी बनी तो उस समय बहुत बड़ा कैम्पस बनाया गया था। उस समय इतने बड़े अमले की आवश्यकता थी क्योंकि उस समय काफी बिल्डिगें बननी थीं। अब तो मैंटीनैंस का काफी सिम्पल सा काम है। अब वहां पर इतने स्टाफ की जरूरत नहीं है। इसलिए वहां पर कम स्टाफ रखा जाये तो यह पैसा काफी बच सकता है।

वहां पर एक्सटैन्शन सर्विस का डिपार्टमैंट है जिसके बारे में रिपोर्ट में भी दिया गया है और एक्ट में भी है that the University will undertake extensiion services to the rural people within the State. जो एग्रीकलचरल यूनिवर्सिटी में रिसर्च की जाती है उसका फायदा किसानों तक पहुंचे लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ें तो उससे जाहिर होता है कि उस रिसर्च का फायदा किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। वे बातें गांव गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। गांवों में जो सैन्टर खोल रखे हैं उनके बारे में अगर गांवों में पूछें तो किसी को पता ही नहीं है कि एग्रीकलचरल यूनिवर्सिटी ने क्या रिसर्च किया है। जिस प्रकार गेहूं या किसी अन्य चीज का नया बीज तैयार किया जाता है तो वह एक्सटेन्शन सर्विस के जरिए गांव वालों तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।

चौ. बलबीर सिह ग्रेवाल (मुंढाल खुर्द): स्पीकर साहब, आज हाउस के सामने एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की सन् 1981–82 की रिपोर्ट है। इस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। दो–तीन प्वायंटस पर यहां पर चर्चा हुई है। शूगर केन क्रोन के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब से काफी लोगों ने दरखास्त की है कि उसकी रिकवरी हरियाणा प्रदेश में कम नहीं होती लेकिन जो कौस्ट दी जाती है वह कम दी जाती है। कौस्ट आफ प्रोडक्शन ज्यादा है और कीमत कम दी जाती है। आज के दिन फर्टिलाइजर और दूसरे इन–पुटस की कीमत बढ़ती जा रही है लेकिन शूगर केन की कीमत किसानों को कम मिलती है। अगर हम दूसरे प्रदेशों से मुकाबला करें तो बहुत ही कम मिलती है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का भी यह कर्त्तव्य है कि वह शूगरकेन के अच्छे बीच की रिसर्च करें क्योंकि हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के आफिसर साहेबान ने भी माना है कि शूगरकेन की प्रोडक्शन पर एकड़ घटती जा रही है। उन्हें ऐसी वैरायटी निकालनी चाहिए जिसकी रिकवरी पर–हैक्टेयर ज्यादा हो और किसान को भी ज्यादा फायदा हो। दूसरे पलसिज की और आयल सीडस की भी अच्छी वैरायटीज निकाली जानी चाहिएं क्योंकि उसकी प्रोडक्शन भी घट रही है। सीरियल्ज और फूड ग्रेन्ज को छोड़ कर आयल सीडज और दूसरी चीजों की हरियाणा में प्रोडक्शन घट रही है इसलिए हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इनकी ऐसी वैरायटी तैयार करे जिससे हरियाणा के किसानों की प्रोडक्शन बढ़े। हिसार की यह यूनिवर्सिटी सारे देश में मानी हुई यूनिवर्सिटी है। उस पर हमें पूरा

फख्र है लेकिन उसके बावजूद भी हमारी खेती में इतनी अधिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है। किसानों की माली हालत अच्छी नहीं हो रही है। अगर आप गांवों में जायें तो आपको पता लगेगा कि किसानों की क्या हालत है? स्पीकर साहब, जो चीज बाजार से किसान खरीदता है वह उसे महंगी मिलती है लेकिन उसकी अपनी पैदा की हुई चीज कम कीमत पर बिकती है। दोनों में बराबरी नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटी को ऐसी वैरायटीज निकालनी चाहिए जिससे हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए। हमारे यहां हरियाणा में पानी की कमी है। तीन चार साल से चर्चा हो रही है कि हरियाणा में पानी आयेगा लेकिन अभी उसके आने की संभावना नहीं है। सन् 1982 में हमारी लेट प्राईम मिनिस्टर ने पंजाब में एस.वाई.एल. को खोदने का उद्घाटन किया था लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। ये कहते हैं दो–तीन साल में वह नहर बन जायेगी लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हमारे प्रदेश में सीड की ऐसी वैरायटी डिवैल्प करनी चाहिए जिसको पानी की कम जरूरत हो। सीरियल्ज, पलसीज और आयल सीडज का ऐसा बीच तैयार करना चाहिए जिसमें पानी की कम आवश्यकता हो। दूसरे मैं यह भी सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा कि काटन और पैडी को बीमारी लग जाती है इसलिए उन बीमारियों की रोकथाम के लिए खास सीलिड रिसर्च होनी चाहिए।

स्पीकर साहब, अन्तिम बात यह है कि किसानों को मेलों में, कान्फ्रेन्सिज में पार्टीस्पेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा

संख्या में बुलाया जाना चाहिए ताकि उनको साइंटिस्टों के एक्सपीरिएंस से जानकारी हो सके और जो मोडर्न टैक्निकल खेती करने की है उसकी भी जानकारी हो सके। ऐसा करने से किसानों की माली हालत में सुधार होगा।

चौ. ओम प्रकाश (बेरी): अध्यक्ष महोदय, जो बातें इस रिपोर्ट में देखने को मिलती हैं वे तो करीब करीब हो चुकी हैं लेकिन मेरा एक सुझाव है जो मैं सरकार को देना चाहता हूं। हमारे प्रान्त में एक्सटेन्सिव कलटीवेशन की अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जितना इलाका अन्डर कलटीवेशन आ सकता था वह करीब करीब आ चुका है। अब इनटेन्सिव कलटीवेशन की जरूरत है जिससे हरियाणा में पैदावार बढ़ायी जा सकती है। इसमें गुंजाइश भी हे। इसके लिए एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कम्पीटेन्ट भी है। हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि फूड प्रोडक्शन को किस प्रकार से बढ़ाया जायेगां यह बात ठीक है कि हरियाणा प्रदेश में बिजली और पानी की कमी है। हरियाणा एग्रीकलचरल यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वह ऐसी वैरायटी व्हीट, राइस और दूसरे फूड ग्रेन्ज की खोजें जिससे थोड़े पानी में ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। यूनिवर्सिटी जो खादों, बीजों और दूसरी ट्रेनिंग के बारे में प्रोग्राम चलाती है उससे ही ये अपना छुटकारा ले लेते हैं। इससे काम नहीं चल सकता। आप साल में एक मेले का आयोजन करें तो उससे किसानों को ट्रेनिंग नहीं मिल सकती। किसानों को पूरी तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिये और

उन्हें पूरी तरह से ऐजुकेट करना चाहिये ताकि उनको एग्रीकलचरल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टस का पूरा फायदा हो सके। हमारी सरकार जो पैसा लगाकर इस मामले को आगे ले जा रही है, उसका फायदा किसानों तक पहुंच सके। इन शब्दों के साथ यह उम्मीद करते हुए कि सरकार मेरी इन बातों की ओर गौर करेगी, मैं अपना स्थान लेता हूं।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये है, मैं इनका स्वागत करता हूं और इस बात के लिये इनको बधाई भी देता हूं कि बहुत रीजनेबल बात माननीय सदस्यों ने कही है। आप जानते हैं कि हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार, अगर मैं यह कहूं कि एशिया में जापान को छोड़कर सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है, तो गलत बात नहीं होगी। हमारी यूनिवर्सिटी एक बहुत हो शानदार यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया है। देश मैं पहले दो यूनिवसिटीज ही गिनती में आया करती थीं – एक पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, लुधियाना और एक उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पन्त नगर। ये यूनिवर्सिटीज पहले बहुत अच्छी मानी जाती थीं। लेकिन हमारे हिसार की यूनिवर्सिटी इन दोनों यूनिवर्सिटीज से आगे हैं। इसके बारे में जो सुझाव आये हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे उन्होंने यह कहा कि वहां पर मैम्बर विशेशज्ञ होने चाहियें। अध्यक्ष महोदय, हर बोर्ड में एडवाईजर के तौर पर हमने विशेशज्ञ शामिल किये हुए हैं डीन,

एग्रीकल्चर कालेज है, जो एक टैक्नीकल आदमी है, वह उसमें शामिल है। डीन, एनीमल हस्बैंडरी उसमें शामिल होता है। डायरैक्टर, एग्रीकल्चर उस बोर्ड का मैम्बर होता है। इसके अलावा हमने हर डिस्ट्रिक्ट हैड–क्वार्टर पर एक कृशि ज्ञान केन्द्र खोल रखा है ताकि लोगों को कृशि के बारे में पूरी जानकारी दें। उनको यह बतायें कि आपने कौन सा बीज डालना है, किस समय डालना है इत्यादि। जहां तक इन्होंने गन्ने के बीज की बाबत कहा, अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पिछले एक–दो सालों से गन्ने की ईल्ड में कुछ फर्क पड़ा है। जितनी गन्ने की खेती होनी चाहिये, उतनी नहीं हो रही है और इसमें कुछ अन्तर आया है। अभी दो महीने पहले ही मैंने एक मीटिंग बुलायी थी। बाकायदा उसमें यूनिवर्सिटी के नुमाइन्दे भी बुलाये थे। एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के नुमाइन्दे भी बुलाने थे। हमने एक मीटिंग की कि हम प्रदेश के अन्दर नये शूगर मिल खोलने जा रहे हैं और गन्ने की ईल्ड इस कदर घटती गयी तो किसान को जो शूगर मिलें लगाने का फायदा होना चाहिये, वह नहीं हो सकेगा। इसलिये हमको इस बात की तह में जाना चाहिये कि इसका झाड़ कम क्यों हो गया है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इसके लिये नये बीज पैदा कर रही है ताकि किसान को उसका पूरा लाभ मिल सके। हमारी यूनिवर्सिटी ने तीन–चार किस्म की वैराइटीज गन्ने के बीच की पैदा की हैं। आप जानते हैं कि थोड़ा सा फर्क तो मिट्टी में यानी सोयल में भी पड़ता है। जब जमीन से आप बार–बार उपज लेते रहो, तो थोड़ी–बहुत वह कमजोर हो जाती है। थोड़ा सा झाड़ में या इल्ड

में फर्क आ ही जाता है। 3–4 वैराइटीज जो अब हम इस साल से शुरू करने जा रहे हैं, आप देखेंगे कि उससे फर्क आयेगा। रोहतक में और जीन्द में गन्ने को वैराइटी में कुछ फर्क है। नयी वैराइटी के आने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक रिसर्च का ताल्लुक है, ओम प्रकाश जी ने भी इसके बारे में कहा, हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में कितनी ही रिसर्च इस बारे में की जा रही है। शायद आजतक किसी दूसरी यूनिवर्सिटी ने इस बारे में रिसर्च नहीं की होगी जितनी हमारी इस यूनिवर्सिटी ने की है। आप आदमी तक वह पहुंचे, इसके लिये जैसे मैंने कहा, हमने हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर कृशि ज्ञान केन्द्र खोल रखे हैं। (व्यवधान व शोर) मेहरबानी करके आप लोगों से यह कहें कि वहां से जाकर जानकारी लें। हमने बाकायदा हिदायतें दे रखी हैं कि एक एक गांव में जाकर इन्सपैक्टर लोगों को यह बतायें कि कौन सा बीज किस समय डालना है, किस समय आपने खाद डालनी है और किस समय आपने पानी देना है। इसके अलावा सब डिविजनल हैड क्वार्टर पर बाकायदा सोयल टैस्टिंग के लिये लैबोरेट्री भी बना रखी हैं ताकि वहां पर जमीन की मिट्टी की टैस्टिंग हो सके और वह यह बता सके कि आपके इलाके में और आपकी जमीन में कौन सी चीज यदि बोयी जाये तो वह फायदेमन्द साबित होगी। वह जानकारी हम किसानों को देते हैं। यह हो सकता है कि कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गयी हो। हम उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि कृशि के किसी भी मामले में सलाह लेने के लिये

आप डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर कृशि ज्ञान केन्द्र से सम्पर्क स्थापित करें। वैसे हम एक बार फिर हिदायत जारी कर देंगे कि वह लोगों को जाकर सलाह दें। जहां तक काटन और दालों का सवाल है, सरकार सारी बातों को पूरी तरह से देख रही है। कई दफा कया होता है कि अचानक ही बीमारी लग जाती है। उसका ईलाज होने में थोड़ा सा टाईम लग जाता है। इतने में किसान का थोड़ा सा नुक्सान हो जाता है। लेकिन हमारी भरसक कोशिश यह रही है कि जहां पर किसान बीज डालता है, उसके साथ ही कोई न कोइ ऐसी दवाई भी डाली जाये ताकि उसको नुक्सान न हो। अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उन के ऊपर हमारी सरकार पूरी तहर से विचार करेगी और जो सुझाव माननेयोग्य होंगे, हम उनको मानने में भी संकोच नहीं करेंगे। यह कहते हुए कि माननीय सदस्यों के विचारों पर सरकार पूरी तरह से गौर करने की कोशि करेगी, मैं अपना स्थान लेता हूं।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received notice of a motion under Rule 84 from Sarvshri Ram Bilas Sharma, Mangal Sein, Fateh Chand Vij, Devi Dass and Shiv Parshad, M.L.As. for the discussion of the Audit Report of the Accounts of Haryana Financial Corporation for the year ending 31st March, 1982, which was laid on the Table of the House on the 18th March, 1985.

As none of these members is present, this motion is not moved.

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद

श्री अध्यक्ष: इससे पहले कि मैं हाउस को साइने–डाई–एडजर्न करूं, मैं सब आनरेबल मैम्बर्ज का बहुत–बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे कोआप्रेट किया।

आवाजें: हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं प्रैस वालों का भी मशकूर हूं। उन्होंने भी काफी कोआप्रेट किया है। अफसर साहेबान का भी मैं मशकूर हूं। खासतौर पर मैं विधान सभा सैक्रेटेरियेट के कर्मचारियों का बड़ा भारी मशकूर हूं जिन्होंने बड़ी मेहनत और लग्न से काम किया है। इन शब्दों के साथ मैं फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, आपने भी सैशन को बहुत शानदार ढंग से चलाया है। इसके लिये मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और मुबारिकबाद देता हूं तथा आपके स्टाफ को बधाई देता हूं।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं भी अपनी पार्टी तथा अपोजीशन की तरफ से हाउस को अच्छी तरह से चलाने तथा हमें कंसीड्रेशन शो करने के लिये आपका धन्यवाद करती हूं। हमें आपकी तरफ से कोई गिला नहीं है। हमारी लड़ाई तो सरकार से है।

श्री अध्यक्षः अब हाउस साइने–डाई–एडजर्न किया जाता है।

***16.25 बजे**

(तत्पश्चात् सदन अनिश्चित काल के लिये *स्थगित हुआ)।